



विनियोग लेखे

2015-16



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2015–16

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना	1	
विनियोग लेखे का सार	2—15	
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	17—19	
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (भारित विनियोग)	21—23	
लोक ऋण (भारित विनियोग)	24—25	
01	सामान्य प्रशासन	26—29
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	30—31
03	पुलिस	32—36
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	37—38
05	जेल	39
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	40—42
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	43—45
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	46—49
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	50—51
10	वन	52—56
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	57—59
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	60—62
13	कृषि	63—69
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	70—74
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	75—78
16	मछली पालन	79—80
17	सहकारिता	81—82

18	श्रम	83—85
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	86—93
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	94—99
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	100—102
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	103
23	जल संसाधन विभाग	104—110
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	111—114
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	115—116
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	117—119
27	स्कूल शिक्षा	120—127
28	राज्य विधान मंडल	128—129
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	130—133
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	134—140
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	141—143
32	जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	144—146
33	आदिम जाति कल्याण	147—149
34	समाज कल्याण	150—152
35	पुनर्वास	153
36	परिवहन	154—155
37	पर्यटन	156—157
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	158—161
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	162—163
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	164—201
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	202—204
43	खेल और युवा कल्याण	205—207
44	उच्च शिक्षा	208—211

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	212—215
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	216—217
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	218—224
49	अनुसूचित जाति कल्याण	225
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	226
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	227—228
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	229—231
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	232—233
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	234—239
56	ग्रामोद्योग	240—242
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	243—248
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	249
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	250—272
65	विमानन विभाग	273
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	274—276
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	277—284
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	285—287
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	288—291
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	292—295
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	296—298
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	299
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	300—304
80	त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	305—309
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	310—315
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	316—319
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	320—322

परिशिष्ट

परिशिष्ट	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	325–326
----------	---	---------

प्रस्तावना

वर्ष 2015–16 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में—

मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

पुनर्विकास प्राधिकारी द्वारा संस्थीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2 % से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

- (1) सभी प्रकरणों में जहां पूर्ण आधिक्य है प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्ष ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्ष के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)	प्रभारित	2,28,13,039
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)	प्रभारित	.. 1,72,23,754
01 सामान्य प्रशासन	दत्तमत	15,41,504 84,863
	प्रभारित	2,14,612 ..
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	दत्तमत	2,21,020 ..
03 पुलिस	दत्तमत	2,64,03,014 3,65,000
	प्रभारित	6,100 ..
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	दत्तमत	1,62,273 ..
05 जेल	दत्तमत	11,78,115 ..
	प्रभारित	10 ..
06 वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	3,89,36,754 1,000
	प्रभारित	2,750 ..
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	25,09,262 ..
	प्रभारित	9,00,355 ..
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	दत्तमत	66,93,644 22,73,800
	प्रभारित	1,526 ..
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	1,21,365 2,500
	प्रभारित	10 ..
10 वन	दत्तमत	90,96,712 1,87,000
	प्रभारित	2,61,947 ..
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	15,37,252 9,95,400
	प्रभारित	35 1,000

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)

2,34,89,080	6,76,041
			(67,60,40,988)	..
..	1,25,01,801	..	47,21,953	..
13,68,529	83,362	1,72,975	1,501	..
1,81,699	..	32,913
1,51,275	..	69,745
2,52,71,044	1,86,941	11,31,970	1,78,059	..
2,941	..	3,159
1,53,671	..	8,602
11,02,138	..	75,977
..	..	10
3,58,80,400	4,928	30,56,354
1,688	..	1,062	..	3,928
20,81,610	..	4,27,652	..	(39,28,426)
5,48,634	..	3,51,721
55,62,816	17,38,743	11,30,828	5,35,057	..
1,001	..	525
93,739	..	27,626	2,500	..
..	..	10
80,39,752	65,446	10,56,960	1,21,554	..
1,27,095	..	1,34,852
13,25,644	5,16,072	2,11,608	4,79,328	..
..	..	35	1,000	..

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	1,48,55,767	15,73,000
प्रभारित	25,77,451	..
13 कृषि		
दत्तमत	1,02,09,957	51
प्रभारित	950	..
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	35,11,146	4,76,000
प्रभारित	20	..
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	13,53,593	13,28,300
16 मछली पालन		
दत्तमत	4,58,507	12,510
प्रभारित	20	..
17 सहकारिता		
दत्तमत	14,33,544	5,18,301
प्रभारित	15	..
18 श्रम		
दत्तमत	11,76,757	10,000
प्रभारित	20	..
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	1,31,42,151	3,09,482
प्रभारित	9,750	..
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	39,26,168	18,30,750
प्रभारित	1,000	..
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	15,62,850	92,06,901
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय		
दत्तमत	58,374	..
प्रभारित	5	..
23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	44,64,644	42,89,024
प्रभारित	110	9,000

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	(₹ हजार में)
1,43,28,479	18,56,851	5,27,288	..	2,83,851 (28,38,50,858)
25,77,451
75,57,728	..	26,52,229	51	..
250	..	700
29,98,661	30,000	5,12,485	4,46,000	..
..	..	20
6,00,037	11,00,088	7,53,556	2,28,212	..
3,95,855	7,498	62,652	5,012	..
..	..	20
7,82,101	4,48,159	6,51,443	70,142	..
..	..	15
7,40,706	..	4,36,051	10,000	..
..	..	20
1,12,44,525	1,58,630	18,97,626	1,50,852	..
8,107	..	1,643
34,23,784	11,01,329	5,02,384	7,29,421	..
5	..	995
4,17,937	30,42,398	11,44,913	61,64,503	..
42,794	..	15,580
..	..	5
39,78,302	33,73,278	4,86,342	9,15,746	..
..	7,214	110	1,786	..

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	1,06,83,822	1,49,42,000
प्रभारित	..	82,130
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	25,28,229	15,96,340
प्रभारित	500	..
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,20,507	1,55,000
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	3,92,27,010	11,04,920
प्रभारित	320	..
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	4,83,080	..
प्रभारित	7,900	..
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	27,41,145	7,40,000
प्रभारित	4,79,270	..
30 पंयायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,41,31,403	99,15,500
प्रभारित	200	..
31 योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,99,707	..
प्रभारित	40	..
32 जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	9,91,980	200
प्रभारित	10	..
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	1,56,02,345	500
प्रभारित	100	..
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	7,07,543	1,000
प्रभारित	40	..
35 पुनर्वास		
दत्तमत	15,502	..

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	(₹ हजार में)
75,36,498	81,54,426	31,47,324	67,87,574
..	76,353	..	5,777
21,07,313	8,40,713	4,20,916	7,55,627
..	..	500
3,45,408	30,620	75,099	1,24,380
2,96,52,528	7,75,732	95,74,482	3,29,188
..	..	320
3,14,629	..	1,68,451
2,479	..	5,421
21,18,527	1,55,000	6,22,618	5,85,000
3,61,047	..	1,18,223
1,27,95,973	67,38,258	1,13,35,430	31,77,242
..	..	200
2,09,554	..	1,90,153
..	..	40
8,08,759	193	1,83,221	7
..	..	10
1,49,19,452	500	6,82,893
..	..	100
5,56,730	1,000	1,50,813
..	..	40
14,487	..	1,015

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

36 परिवहन		
दत्तमत	5,76,609	10,000
प्रभारित	2,010	..
37 पर्यटन		
दत्तमत	5,93,600	1,60,000
39 खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	5,32,98,104	5,35,800
प्रभारित	50	..
40 आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	42,314	3,55,000
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
दत्तमत	9,55,43,374	2,35,38,145
प्रभारित	10	1,500
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	..	78,16,700
प्रभारित	..	25,000
43 खेल और युवा कल्याण		
दत्तमत	11,23,696	31,277
प्रभारित	25	..
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	59,47,190	91,100
प्रभारित	70	..
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	6,61,585	48,68,005
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी		
दत्तमत	1,52,500	97,950
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग		
दत्तमत	59,20,511	9,49,450
प्रभारित	20	..
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	3,43,780	..
50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	15,430	..

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	(₹ हजार में)
3,27,652	10,000	2,48,957
722	..	1,288
1,66,900	..	4,26,700	1,60,000	..
3,71,45,389	3,80,173	1,61,52,715	1,55,627	..
..	..	50
30,901	1,83,319	11,413	1,71,681	..
6,40,81,512	1,66,68,470	3,14,61,862	68,69,675	..
..	10,647	10
..	40,96,695	..	37,20,005	..
..	22,063	..	2,937	..
3,85,793	17,479	7,37,903	13,798	..
..	..	25
46,26,675	33,484	13,20,515	57,616	..
..	..	70
6,12,004	39,02,837	49,581	9,65,168	..
93,000	27,129	59,500	70,821	..
25,61,593	3,36,645	33,58,918	6,12,805	..
..	..	20
2,49,994	..	93,786
24,870	9,440 (94,39,540)

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
दत्तमत	1,09,760	2,500
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	2,84,369	4,20,000
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	11,55,000	6,00,000
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	90,78,718	4,48,760
प्रभारित	10	..
56 ग्रामोद्योग		
दत्तमत	8,72,922	27,022
प्रभारित	10	..
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		
दत्तमत	3,23,78,772	2,000
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	7,400	5,20,000
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
दत्तमत	3,30,02,990	1,15,81,693
प्रभारित	10	..
65 विमानन विभाग		
दत्तमत	1,74,042	4,95,400
प्रभारित	10	..
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण		
दत्तमत	21,68,440	2,16,500
67 लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	50,39,904	60,85,121
प्रभारित	4,500	..
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	..	20,56,777

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	(₹ हजार में)
77,691	..	32,069	2,500	..
1,13,611	2,56,297	1,70,758	1,63,703	..
8,90,350	..	2,64,650	6,00,000	..
62,17,607	3,87,050	28,61,111	61,710	..
..	..	10
6,75,938	14,423	1,96,984	12,599	..
..	..	10
1,38,40,735	..	1,85,38,037	2,000	..
3,273	5,10,566	4,127	9,434	..
2,15,21,990	68,77,296	1,14,81,000	47,04,397	..
..	..	10
1,54,893	4,95,400	19,149
..	..	10
15,67,274	15,824	6,01,166	2,00,676	..
37,78,949	48,28,563	12,60,955	12,56,558	..
2,859	..	1,641
..	18,48,068	..	2,08,709	..

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण दत्तमत	48,45,820	..
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी दत्तमत	13,35,761	..
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबाड्ड से सहायकता प्राप्त परियोजनाएं दत्तमत	..	40,15,000
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं दत्तमत	..	30,00,000
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय दत्तमत प्रभारित	38,91,238 420	13,93,000 ..
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	3,49,85,534	35,26,000
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत प्रभारित	1,52,58,855 6,90,000	40,75,000 ..
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	1,39,65,367	26,22,700
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	4,47,208	9,10,000
योग दत्तमत : ..	56,57,07,439	13,23,70,242
योग प्रभारित : ..	2,79,75,250	1,73,42,384
महायोग : ..	59,36,82,689	14,97,12,626

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना				
	बचत		आधिक्य		
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	
13,90,367	..	34,55,453	
10,71,606	..	2,64,155	
..	28,52,669	..	11,62,331	..	
..	29,64,743	..	35,257	..	
32,31,218	5,30,962	6,60,020	8,62,038	..	
..	..	420	
3,09,61,231	26,95,564	40,24,303	8,30,436	..	
1,22,45,817	10,89,567	30,13,038	29,85,433	..	
6,54,410	..	35,590	
1,13,94,955	23,26,754	25,70,412	2,95,946	..	
3,05,761	5,30,006	1,41,447	3,79,994	..	
41,86,70,934	8,42,90,148	14,70,45,945	4,83,67,873	9,440	2,87,779
2,79,59,468	1,26,18,078	6,91,823	47,33,453	6,76,041	9,147
44,66,30,402	9,69,08,226	14,77,37,768	5,31,01,326	6,85,481	2,96,926

विनियोग लेखे का सार-जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :—

अनुदान संख्या और नाम—

अनुभाग

दत्तमत—अनुदान

06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	..	पूंजीगत
12—उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	..	पूंजीगत
50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	..

प्रभारित—विनियोग

.. ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	..
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	..	पूंजीगत

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2015–16 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
(₹ हजार में)				
विनियोग लेखे के अनुसार				
कुल व्यय	41,86,70,934	2,79,59,468	8,42,90,148	1,26,18,078
घटाइये—वसूलियों का जोड़	96,19,796	..	33,04,102	..
वित्त लेखे के 11—दत्तमत एवं भारित व्यय के विवरण में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	40,90,51,138	2,79,59,468	8,09,86,046	1,26,18,078

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार-समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्वः— अनुदान संख्या—50

(ii) पूंजीगतः—अनुदान संख्या—06

(ख) प्रभारित विनियोग :-

पूंजीगत :- अनुदान संख्या—41

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुईः—

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :—अनुदान संख्या— 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 81, 82 एवं 83.

(ii) पूंजीगत :—अनुदान संख्या —03, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 66, 67, 68, 75, 79, 80, 81, 82 एवं 83.

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व :—अनुदान संख्या—01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 47, 55, 56, 64, 65, 67 एवं 79.

(ii) पूंजीगतः—अनुदान संख्या—लोक ऋण., 11, 23 एवं 42.

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित की गए हैं ।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ—साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा हैं।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियां के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 18 VDVCj 2016

स्थान : नई दिल्ली

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(प्रभारित विनियोग)

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
----------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष –

**2048—ऋण घटाने या उसका परिहार
करने के लिए विनियोजन**

2049—ब्याज अदायगियां

राजस्व:

मूल	2,28,13,039		
पूरक	सांकेतिक	2,28,13,039	2,34,89,080
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			+6,76,041 1,04,744
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 67,60,40,988 के आधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 6,760.41 लाख के अंतिम आधिक्य के परिपेक्ष्य में 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,047.44 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) विनियोग में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2049—01—101—7711—8.32—प्रतिशत छत्तीसगढ़

राज्य विकास ऋण 2025—

पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	2,912.00

2,912.00

2,912.00

..

(2) 2049—01—123—4854—केन्द्रीय सरकार की

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज—

मूल	54,000.00	
पुनर्वि.	1,221.05	55,221.05

55,221.05

..

(3) 2049—01—200—3732—राष्ट्रीय कृषि और

ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय

कृषि निधि से लिये गए

ऋणों पर ब्याज—

मूल	12,000.00	
पुनर्वि.	3,479.00	15,479.00

15,479.00

..

(4) 2049—01—305—2624—पुराने ऋणों का प्रबंध—

मूल 90.00

पुनर्वि.	136.00	226.00
----------	--------	--------

226.00

..

(5) 2049—03—104—4033—विभागीय भविष्य

निधि पर ब्याज—

मूल	400.00	
पुनर्वि.	721.87	1,121.87

4,781.18

+3,659.31

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा— जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 2,912.00 लाख, ₹ 1,221.05 लाख, ₹ 3,479.00 लाख, ₹ 136.60 लाख एवं ₹ 721.87 लाख का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 से 2014–15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं 2014–15 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	----------------	------------------	----------------------------------

(6) 2049–03–104–4487—सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	27,500.00	30,529.48	+3,029.48
(7) 2049–03–104–95—अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	200.00	271.61	+71.61

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	----------------	------------------	----------------------------------

(1) 2049–01–101–2199—नया बाजार ऋण—

मूल	15,000.00		
पुनर्वि.	(–)4,542.00	10,458.00	10,458.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,452.00 लाख की कमी, नये बाजार ऋणों हेतु भिन्न शीर्षान्तर्गत प्रावधान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005–06 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2049–01–200–3087—भारतीय जीवन बीमा निगम

से लिए गए ऋणों पर ब्याज—

मूल	500.00		
पुनर्वि.	(–)500.00		..

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005–06 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2049–01–200–3089—भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय

पेशागियों और कैश बैलेंस की

कमी की पूर्ति हेतु लिए गए

अग्रिमों पर ब्याज—

मूल	1,080.00		
पुनर्वि.	(–)1,053.11	26.89	26.89

(4) 2049–04–101–3707—राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों

की आयोजनागत योजनाओं के लिए

ऋणों पर ब्याज—

मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	(–)797.98	8,202.02	8,202.02

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 1,053.11 लाख एवं ₹ 797.98 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005–06 से 2014–15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2049—60—701—4192—शासकीय कर्मचारी समूह बीमा			
योजना (बीमा निधि पर ब्याज)—			
मूल 1,650.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93.27 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 93.27 लाख की अन्य कमी की संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 186.54 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93.27 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 93.27 लाख की अन्य कमी की संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 186.54 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
योजना (बचत निधि पर ब्याज)—			
मूल 5,300.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 697.54 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 697.54 लाख की अन्य कमी की संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,395.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 697.54 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 697.54 लाख की अन्य कमी की संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,395.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2049—60—701—4209—शासकीय सेवक परिवार			
कल्याण निधि पर ब्याज—			
मूल 750.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 255.63 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 255.63 लाख की अन्य कमी की संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 511.26 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 255.63 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 255.63 लाख की अन्य कमी की संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 511.26 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2049—60—701—990—क्षतिपूर्ति और अन्य			
बॉन्ड्स पर ब्याज—			
मूल 1,025.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 513.42 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 511.58 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष –

6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

पूँजीगत :

मूल	1,08,28,654			
पूरक	63,95,100	1,72,23,754	1,25,01,801	(—)47,21,953
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				47,17,240
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) वास्तविक व्यय के परिपेक्ष्य में, मार्च 2016 को प्राप्त किया गया ₹ 63,951.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 47,219.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को ₹ 47,172.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 6003—103—8140—भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार—

मूल	500.00		
पुनर्वि.	(—)500.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 6003—110—637—उपाय तथा साधन अग्रिम—

मूल	14,250.00		
पूरक	51,750.00		
पुनर्वि.	(—)56,237.00	9,763.00	9,763.00

प्रावधान से ₹ 56,237.00 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46,670.57 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,566.43 लाख की कमी का संयुक्त प्रभाव था। दोनों कमीयों के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 6003—110—779—कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम—

मूल	14,250.00		
पूरक	12,201.00		
पुनर्वि.	2,213.12	28,664.12	28,617.00

(—)47.12

लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ लाख में)		
(2) 6003-111-5670—केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां—			
मूल	25,820.00		
पुनर्विनियोग	6,493.85	32,313.85	32,313.85
(3) 6004-01-800-9484—सेन्ट्रल पूल बटालियन—			
मूल	70.60		
पुनर्विनियोग	63.30	133.90	133.90
(4) 6004-02-101-3052—ब्लाक कर्जे—			
मूल	6,156.00		
पुनर्विनियोग	790.97	6,946.97	6,946.97

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 2,213.12 लाख, ₹ 6,493.85 लाख, ₹ 63.30 लाख एवं ₹ 790.97 लाख का आवधन के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014-15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय

आधिक्य+
बचत(—)

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

2013—मंत्री परिषद

2015—निर्वाचन

2051—लोक सेवा आयोग

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2055—पुलिस

2059—लोक निर्माण कार्य

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4216—आवास पर पूँजीगत परिव्यय

7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	13,32,409			
पूरक	2,09,095	15,41,504	13,68,529	(—)1,72,975
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,85,727
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित—

मूल	2,07,612			
पूरक	7,000	2,14,612	1,81,699	(—)32,913
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				21,213
(31 मार्च 2016)				

पूँजीगत :

दत्तमत	84,863	83,362	(—)1,501
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,500
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 13,685.29 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1,434.96 लाख अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था वहीं दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 655.99 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,729.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,857.27 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2013—101—3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	116.60		
पुनर्वि.	(—)61.03	55.57	55.41
			(—)0.16
(2) 2013—102—3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	181.08		
पुनर्वि.	(—)65.87	115.21	119.26
			+4.05
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 61.03 लाख एवं ₹ 65.87 लाख की कमी आर्थिक मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2013—105—9064—मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान—			
मूल	1,325.00		
पूरक	1,300.00		
पुनर्वि.	(—)322.06	2,302.94	2,302.94
			..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.06 लाख की कमी प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वेच्छानुदान स्वीकृत किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2013—108—3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)104.97	95.03	127.17
			+32.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.97 लाख की कमी प्राप्त देयकों के आधार पर भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2015—101—6262—राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	1,009.70		
पूरक	654.10		
पुनर्वि.	(—)175.64	1,488.16	1,534.88
			+46.72
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.64 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2052—090—5053—राज्य स्थापना दिवस समारोह हेतु	330.00	117.02	(—)212.98
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(7) 2052—091—458—आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय—			
मूल	911.60		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)106.77	804.83	807.55
			+2.72
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.77 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(8) 2055—101—4544—सी.आई.डी. (इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	610.90		
पूरक	6.00		
पुनर्वि.	(—)218.53	398.37	397.06
			(—)1.31
(9) 2055—101—5461—एन्टी करण्शन ब्यूरो—			
मूल	452.40		
पुनर्वि.	(—)59.33	393.07	385.47
			(—)7.60

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 218.53 लाख एवं ₹ 59.33 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, आर्थिक भितव्ययी उपायों को अपनाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अभिश्चित्ता, मांग प्राप्त नहीं होने, देयक प्राप्त नहीं होने एवं प्राप्त अनुमोदन के आधार पर वाहन क्रय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत में अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2070—003—5435—प्रशासन अकादमी—			
मूल	413.36		
पुनर्वि.	(—)102.04	311.32	316.35
			+5.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.04 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(11) 2070—104—5460—विशेष अन्वेषण			
स्थापना (एस.आई.ई.)—			
मूल	99.00		
पुनर्वि.	(—)49.29	49.71	45.75
			(—)3.96

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 49.29 लाख की कमी में से ₹ 45.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 4.19 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2251—090—4329—सचिवालय—			
मूल	1,267.80		
पुनर्वि.	(—)170.97	1,096.83	1,094.59
			(—)2.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.97 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की अतिरक्त कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 170.97 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 3451—090—4327—सचिवालय—			
मूल	1,202.00		
पुनर्वि.	(—)97.49	1,104.51	1,105.45
			+0.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

2052—090—4327—सचिवालय—			
मूल	4,175.70		
पुनर्वि.	(—)142.52	4,033.18	4,298.81
			+265.63

अनुदान संख्या 01—समाप्त

चिकित्सा व्यय में वृद्धि होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 175.52 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 142.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) कुल व्यय मूल विनियोग से कम रहा, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 70.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 329.13 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 212.13 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2012—03—090—4330—सचिवालय—			
मूल	453.38		
पुनर्वि.	(—)124.67	328.71	326.89
			(—)1.82
(2) 2012—03—103—9059—घरेलू कर्मचारी—			
मूल	321.19		
पुनर्वि.	(—)50.12	271.07	271.24
			+0.17
(3) 2051—102—3689—राज्य लोक			
सेवा आयोग	1,191.10	1,075.95	(—)115.15

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(viii) ₹ 15.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 में केवल ₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
7610—800—9439—मंत्रियों को चिकित्सा अग्रिम—			
मूल	15.00		
पुनर्वि.	(—)15.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 15.00 लाख का प्रत्याहरण माननीय मंत्रियों से चिकित्सा अग्रिम हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं

2053—जिला प्रशासन

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2075—विविध सामान्य सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250—अन्य सामाजिक सेवाएं

राजस्व	2,21,020	1,51,275	(—)69,754
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			60,145
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) ₹ 697.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 601.45 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2052—092—6513—मानव अधिकार आयोग—

मूल	205.00		
पुनर्वि.	(—)76.66	128.34	166.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 76.66 लाख की कमी में से ₹ 38.33 लाख की कमी, रिक्त पदों की पर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 38.33 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2070—800—4678—स्वागत तथा सामर्प्तिक

पदाधिकारी का कार्यालय—

मूल	149.40		
पुनर्वि.	(—)74.01	75.39	75.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 2070—800—5079—विशेष जांच

आयोग—

मूल	102.60		
पुनर्वि.	(—)54.19	48.41	36.99

(—)11.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54.19 लाख की कमी आयोग का कार्यकाल पूर्ण होने से देयकों का लम्बित नहीं रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2235—60—107—4674—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों

को भत्ते तथा उपादान—

मूल	300.00		
पुनर्वि.	(—)184.06	115.94	0.60

(—)115.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.06 लाख की कमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 02 समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(-)
(5) 2235—60—800—7297—लोक नायक			
जय प्रकाश नारायण			
सम्मान निधि—			
मूल 700.00			
पुनर्वि. (-)134.98	565.02	553.66	(-)11.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.98 लाख की कमी, भीसा बंदियों की पेंशन निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(-)
2235—60—800—1982—दुर्घटना मृतकों के परिवार			
तथा घायलों को वित्तीय सहायता 400.00	430.55	430.55	+30.55
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 03—पुलिस

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2055—पुलिस

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,52,86,603			
पूरक	11,16,411	2,64,03,014	2,52,71,044	(-)11,31,970
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,80,649
(31 मार्च 2016)				
प्रभारित		6,100	2,941	(-)3,159
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,671
(31 मार्च 2016)				

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	3,55,000			
पूरक	10,000	3,65,000	1,86,941	(-)1,78,059
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,78,059
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 8,259.57 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 2,904.54 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 11,164.11 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 11,319.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 9,806.49 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान			

(1) 2055—001—3680—राज्य मुख्यालय—

मूल	5,595.40		
पूरक	215.00		
पुनर्वि.	(-)790.51	5,019.89	5,073.63

+53.74

लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं केन्द्रीय निगरानी प्रणाली का उन्नयन किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की वृद्धि, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने तथा मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण समर्पण द्वारा (₹ 449.51 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा (₹ 436.00 लाख) की अन्य कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 790.51 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा हुई कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(2) 2055—001—7012—पुलिस जवाबदेही

प्राधिकरण—

मूल	330.12	72.02	70.74	(—)1.28
पुनर्वि.	(—)258.10			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2055—003—195—अन्य पुलिस

प्रशिक्षण शालाएं—

मूल	4,456.79	3,461.73	3,466.00	+4.27
पूरक	30.00			
पुनर्वि.	(—)1,025.06			

लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने तथा मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण समर्पण द्वारा (₹ 823.06 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा (₹ 232.00 लाख) ₹ 1,055.06 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,025.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा हुई कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 2055—003—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

8917—काउन्टर इनसरजेंसी एण्ड

एन्टी टेरोरिस्ट स्कूल—

मूल	300.00	3.16	3.16	..
पुनर्वि.	(—)296.84			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.84 लाख की कमी केन्द्रीय योजना के बन्द हो जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2055—101—279—अभियोजन

संचालनालय—

मूल	1,537.30	1,485.21	1,464.76	(—)20.45
पुनर्वि.	(—)52.09			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.09 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2055—104—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7307—विशेष अधोसंरचना

विकास योजना—

मूल	2,500.00
पुनर्वि.	(—)2,500.00			

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,500.00 लाख का प्रत्याहरण केन्द्रीय योजना के बन्द होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(7) 2055—108—5067—विधि चिकित्सा विज्ञान 783.00 558.85 (—)224.15

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)

(8) 2055—109—121—केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(—)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2055—109—4491—सामान्य व्यय—

(जिला स्थापना)—			
मूल	1,27,114.66		
पूरक	4,963.75		
पुनर्वि.	(—)914.71	1,31,163.70	1,31,449.41 +285.71

लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने तथा वन भूमि अधिगृहण मुआवजा दिए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 665.00 लाख की वृद्धि, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने तथा मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण समर्पण (₹ 1,480.71 लाख) एवं पुनर्विनियोजन (₹ 99.00 लाख) द्वारा ₹ 1,579.71 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,025.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा हुई कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(10) 2055—109—6717—प्रतिपूर्ति योग्य

सुरक्षा संबंधी व्यय—			
मूल	11,185.00		
पूरक	511.67		
पुनर्वि.	(—)2,157.46	9,539.21	9,446.20 (—)93.01

लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने तथा वन भूमि अधिगृहण मुआवजा दिए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख की वृद्धि, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने तथा मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण समर्पण (₹ 1,207.46 लाख) एवं पुनर्विनियोजन (₹ 1,049.00 लाख) द्वारा ₹ 2,256.46 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,157.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा हुई कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(11) 2055—109—8333—सड़क सुरक्षा

कोष से व्यय—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(—)72.13	277.87	277.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2055—109—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7660—महिला अपराध			
अनुसंधान इकाई—			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(—)350.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 350.00 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(13) 2055—115—2643—पुलिस बल का

आधुनिकीकरण—			
मूल	2,500.00		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(—)1,300.38	2,199.62	2,268.37 +68.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,300.38 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)				
(14) 2055—800—7506—नक्सल क्षेत्रों में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण—		68.75	68.75	.. (-)68.75
(15) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय		2,010.64	1,666.51	(-)344.13
(16) 2070—107—492—आव्हान पर होने वाला व्यय		13,402.00	10,749.45	(-)2,652.59

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है एवं 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)				
(1) 2055—104—4492—सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)—				
मूल	72,099.07			
पूरक	1,520.40			
पुनर्वि.	(-)787.73	72,831.74	74,345.69	+1,513.95
लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 169.00 लाख की वृद्धि, एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण समर्पण (₹ 631.73 लाख) एवं पुनर्विनियोजन (₹ 325.00 लाख) द्वारा ₹ 856.73 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 787.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा हुई कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।				
(2) 2055—113—7494—छ.ग. पुलिस हाऊसिंग कापोरेशन—				
मूल	250.00			
पुनर्वि.	133.00	383.00	383.00	..
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 133.00 लाख का आवर्धन लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(3) 2055—114—4155—बेतार केन्द्र, रायपुर—				
मूल	2,643.33			
पूरक	संकेतिक			
पुनर्वि.	826.16	3,469.49	3,423.77	(-)45.71

बेतार संयंत्र के लिए तरंग भुगतान किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 950.00 लाख की वृद्धि एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 123.84 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 826.16 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) ₹ 31.59 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 26.71 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4055—208—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2629—पुलिस—

मूल	3,550.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(—)1,780.59	1,869.41	1,869.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,780.59 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। ..

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)	वास्तविक	आधिकय+
कुल	व्यय	बचत(—)
अनुदान	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद्

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व:

मूल	1,55,864			
पूरक	6,409	1,62,273	1,53,671	(—)8,602
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,157
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 64.09 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 86.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 111.57 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय—

मूल	200.00			
पूरक	50.00	250.00	232.23	(—)17.77

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2070—106—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7465—रिवेम्पिंग ऑफ				
सिविल डिफेंस	92.62	(—)92.62

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2216—80—001—5347—संपदा संचालनालय 34.28 16.96 (—)17.32

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 2235—60—200—3700—राज्य सैनिक बोर्ड—

मूल	70.82			
पुनर्वि.	(—)24.84	45.98	45.99	+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(5) 2235—60—200—6704—जन जागरण

अभियान—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	50.00	50.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2235—60—200—9262—जिला सैनिक बोर्ड—

मूल	437.17		
पुनर्वि.	(-)52.43	384.74	385.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 52.43 लाख की कमी में से ₹ 51.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं हितग्राहियों की मृत्यु हो जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 1.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2235—60—200—2653—पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के

लिए अनुदान, सहायक अनुदान—

मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)13.15	486.85	712.16

प्रावधान से समर्पण द्वारा ₹ 13.15 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 05—जेल

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2056—जेल

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	11,64,085		
-----	-----------	--	--

पूरक	14,030	11,78,115	11,02,138	(—)75,977
------	--------	-----------	-----------	-----------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				75,838
------------------------------	--	--	--	--------

(31 मार्च 2016)

प्रभारित	10	..	(—)10	
----------	----	----	-------	--

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10	
------------------------------	--	--	----	--

(31 मार्च 2016)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 140.30 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ है। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 759.77 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 758.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
अनुदान	व्यय	बचत(—)	
	(₹ लाख में)		

(1) 2056—001—2272—निर्देशन और प्रशासन—

मूल	229.10		
-----	--------	--	--

पुनर्वि.	(—)68.97	160.13	160.19	+0.06
----------	----------	--------	--------	-------

(2) 2056—101—938—केन्द्रीय एवं जिला जेलें—

मूल	10,811.75		
-----	-----------	--	--

पूरक	140.30		
------	--------	--	--

पुनर्वि.	(—)689.41	10,262.64	10,261.19	(—)1.45
----------	-----------	-----------	-----------	---------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 68.97 लाख एवं ₹ 689.41 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2006—07 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्यां (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त होना दृष्टिगत हुआ है।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ हजार में)
-----------------------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2435—अन्य कृषि कार्यक्रम
- 2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय
- 7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	3,88,20,791			
पूरक	1,15,963	3,89,36,754	3,58,80,400	(−)30,56,354
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,70,738
(31मार्च 2016)				
प्रभारित		2,750	1,688	(−)1,062
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				50
(31मार्च 2016)				

पूँजीगत:

दत्तमत	1,000	4,928	+3,928
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 527.03 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 627.60 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 5.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,159.63 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 30,563.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 8,707.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2054—095—2274—निर्देशन और प्रशासन—

मूल	1,362.60		
पुनर्वि.	(−)304.89	1,057.71	1,045.70

(2) 2054—095—4307—संभागीय स्थापना—

मूल	620.60		
पुनर्वि.	(−)174.98	445.62	445.24

(3) 2054—095—8904—ऑडिट सेल का गठन—

मूल	227.20		
पुनर्वि.	(−)143.22	83.98	83.96

(−)0.02

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(4) 2054—097—1026—खजाना स्थापना—

मूल	2,880.40		
पूरक	605.60		
पुनर्वि.	(—)788.19	2,697.81	2,711.84

+14.03

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 304.89 लाख, ₹ 174.98 लाख, ₹ 143.22 लाख एवं ₹ 788.19 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2054—098—4361—स्थानीय निधि लेखा—

मूल	1,634.95		
पुनर्वि.	(—)415.85	1,219.10	1,208.11

(—)10.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 415.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, दावे प्राप्त नहीं होने, सीधी भर्ती की परीक्षा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित किए जाने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2071—01—101—2413—सेवा निवृत वेतन

भोगियों को देय	2,46,500.00	2,09,400.61	(—)37,099.39
----------------	-------------	-------------	--------------

(7) 2071—01—104—4590—सेवा एवं मूल्य

निवृति पुरस्कार	32,000.00	29,536.87	(—)2,463.13
-----------------	-----------	-----------	-------------

(8) 2071—01—115—5438—अवकाश नगदीकरण

15,000.00	12,408.28	(—)2,591.72
-----------	-----------	-------------

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(9) 2071—01—117—6801—राज्य शासन का

अंशदान—

मूल	30,000.00		
पुनर्वि.	(—)3,897.79	26,102.21	26,102.21

(10) 2435—60—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त			
करण हेतु ब्याज अनुदान—			

मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(—)2,065.81	934.19	934.19

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,897.79 लाख एवं ₹ 2,065.81 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2885—60—190—4843—अधोसंरचना

विकास निगम—			
मूल	520.00		

पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(—)790.00	230.00	230.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 790.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2071—01—102—3080—भारत में पेशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	300.00	687.72	+387.72
(2) 2071—01—105—2514—परिवार पेशन	51,000.00	70,121.02	+19,121.02
(3) 2071—01—111—4010—विधायकों का पेशन	500.00	972.92	+472.92

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था। क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 से 2014—15 के दौरान निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(4) 2235—60—200—7000—पेशन कल्याण

कोष की राशि की प्रतिपूर्ति—			
मूल 20.00 पुनर्वि. (-)20.00	..	356.48	+356.48

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 20.00 लाख के प्रत्याहरण के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

31 मार्च 2016 को ₹ 20.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के बावजूद भी इस शीर्षान्तर्गत राशि ₹ 3,56,47,543 का किया गया व्यय जो कि बिना बजट व्यय का परिणाम है।

प्रभारित—

(v) ₹ 10.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 केवल ₹ 0.50 की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 39,28,426 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vii) प्रावधान से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

7810—122—5675—मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तर्राज्यीय समायोजन	10.00	49.28	+39.28
---	-------	-------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	19,45,162		
पूरक	5,64,100	25,09,262	20,81,610
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(−)4,27,652
(31 मार्च 2016)			2,58,136

प्रभारित	9,00,355	5,48,634	(−)3,51,721
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,51,716

(31 मार्च 2016)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 20,816.10 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 5.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर में प्राप्त किया ₹ 5,636.00 लाख अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,276.52 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 2,581.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(−)
अनुदान	व्यय		
	(₹ लाख में)		

(1) 2030—02—797—7428—छत्तीसगढ़ उपकर

आधिनियम 1982 के अन्तर्गत

भूमि के अंतरण पर उपकर

का ग्रमीण विकास निधि

में अंतरण—

मूल 3,000.00

पुनर्वि. (−)602.14

2,397.86

2,397.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 602.14 लाख की कमी उपकर संग्रहण में कमी के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2030—03—001—1480—जिला प्रभार—

मूल 1,342.30

पुनर्वि. (−)312.86

1,029.44

1,287.23

+257.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 312.86 लाख की कमी में से ₹ 275.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 37.17 लाख की कमी के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(3) 2039—001—122—अधीक्षण—			
मूल	2,205.81		
पुनर्वि.	13.70	2,219.51	2,057.03
			(—)162.48
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 13.70 लाख का आवर्धन वरिष्ठ प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर के मानदेय का भुगतान एवं विभाग के लिए हाईड्रोमीटर/थर्मामीटर क्रय किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2039—001—1470—जिला कार्यपालिक स्थापना	4,479.42	3,750.56	(—)728.86
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2039—102—1111—अबकारी सामग्री की खरीद—			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(—)13.70	106.30	2.08
			(—)104.22
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 13.70 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2039—102—8629—नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन	300.00	..	(—)300.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(7) 2039—800—4034—विभागीय मंदिरा दुकानों का संचालन—			
मूल	1,018.25		
पूरक	5,000.00	6,018.25	4,109.01
			(—)1,909.24
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(8) 2040—001—3569—मुख्यालय स्थापना व्यय—			
मूल	943.20		
पूरक	641.00		
पुनर्वि.	(—)767.70	816.50	816.47
			(—)0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 767.70 लाख की कमी कर्मचारियों की संख्या कम किए जाने जी. एस. टी. एन. के लिए अनुपूरक प्रावधान किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2040—101—1509—जिला स्थापना—			
मूल	5,006.66		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)762.80	4,243.86	4,244.30
			+0.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 762.80 लाख की कमी में से ₹ 31.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 731.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 07—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2030—01—101—4612—स्टाम्पों की लागत—

मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)37.81	82.19	530.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 37.81 लाख की कमी में से ₹ 36.78 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 1.03 लाख की कमी के साथ अत्यधिक आधिक्य के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2030—02—101—2456—न्यायिकेतर स्टाम्पों

की लागत—

मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)4.74	295.26	376.72

प्रावधान से समर्पण द्वारा ₹ 4.74 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2016)।

(3) 2030—02—102—2455—न्यायिकेतर स्टॉम्प की

बिक्री पर व्यय	300.00	1,089.84	+789.84
----------------	--------	----------	---------

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) ₹ 3,517.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 3,517.16 की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	विनियोग	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2030—02—797—7429—छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण—

मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,517.16	5,482.84	5,482.84

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 3,517.16 लाख की कमी अतिरक्त पंचायत उपकर कम संग्रहण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

- 2029—भू—राजस्व
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2216—आवास
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2711—बाढ़ नियंत्रण
- 3054—सड़कें और पुल
- 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
- 4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
- 6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	64,92,464			
पूरक	2,01,180	66,93,644	55,62,816	(—)11,30,828
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,53,421
(31 मार्च 2016)				
प्रभारित		1,526	1,001	(—)525
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				285
(31 मार्च 2016)				

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	5,54,000			
पूरक	17,19,800	22,73,800	17,38,743	(—)5,35,057
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,39,500
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 102.91 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 1,908.89 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,011.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 11,308.28 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 11,534.21 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 08—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2029—102—2503—परिमापन, व्यवस्थापना

तथा लेख्य संग्रह			
संबंधी कार्य—			
मूल	432.20		
पुनर्वि.	(—)56.35	375.85	369.08
			(—)6.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति वित्तीय वर्ष के अन्त में किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2029—103—1472—जिला खर्च—

मूल	19,574.21		
पूरक	102.91		
पुनर्वि.	(—)2,704.54	16,972.58	17,595.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,704.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सर्वेक्षण कार्य सम्पादित नहीं होने, कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने, नई मशीनों को वित्तीय वर्ष के अन्त में स्थापित किए जाने, प्रशिक्षु पटवारियों की संख्या कम होने कम्प्यूटरों का क्रय नहीं किए जाने एवं प्लास्टर मशीन क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 2029—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

9981—लघु सिंचाई योजनाओं			
की संगणना मानदेय तथा			
अन्य आकस्मिक व्यय—			
मूल	177.69		
पुनर्वि.	(—)165.83	11.86	8.68
			(—)3.18

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.83 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2029—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7635—राष्ट्रीय भू—अभिलेख			
का आधुनिकीकरण			
(एन.एल.आर.एम.पी.)—			
मूल	5,952.86		
पुनर्वि.	(—)5,189.68	763.18	819.81
			+56.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,189.68 लाख की कमी भारत संचार निगम लिमिटेड रुडकी को निष्पादित किए गए प्रारंभिक कार्य का कम भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(5) 2029—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5917—भू—अभिलेख कम्प्यूटरीकरण			
योजना का विस्तार—			
मूल	350.50		
पुनर्वि.	(—)139.74	210.76	116.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(6) 2029—797—6754—अधोसंरचना विकास

निधि में अंतरण—

मूल	12,540.00
पुनर्वि.	(-)4,318.14

8,221.86

8,221.86

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,318.14 लाख की कमी अधोसंरचना उपकर की कम वसूली के कारण उल्लिखित की गई है। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2052—099—3657—राजस्व बोर्ड—

मूल	397.20
पुनर्वि.	(-)187.45

209.75

209.60

(-)0.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.45 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा दावे, यात्रा एवं अवकाश यात्रा रियायत के देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपयों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2053—093—1510—जिला स्थापना—

मूल	21,045.05
पुनर्वि.	(-)1,291.79

19,753.26

19,488.60

(-)264.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,291.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों से यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने, नवीन वाहन क्रय किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपयों के अपनाने एवं जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2053—101—452—आयुक्त संभागीय

कार्यालय—

मूल	797.72
पुनर्वि.	(-)115.87

681.85

658.23

(-)23.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2216—03—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7298—नक्सल प्रभावित परिवारों

के लिये आवास योजना—

मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)50.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख का प्रत्याहरण जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2515—102—8911—अधोसंरचना

निधि से व्यय—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(12) 2711—01—103—8910—पर्यावरण निधि से व्यय—

मूल	240.00
पुनर्वि.	(-)240.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 240.00 लाख का प्रत्याहरण शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(13) 3054—04—337—8911—अधोसंरचना

निधि से व्यय—

मूल	1,100.00
पुनर्वि.	(—)1,100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,100.00 लाख का प्रत्याहरण शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिकय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

2029—797—6753—पर्यावरण निधि

का अंतरण—

मूल	245.00
पूरक	1,908.89
पुनर्वि.	4,318.14
	6,472.03
	6,472.03

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,318.14 लाख का आवर्धन पर्यावरण उपकर में अधिक जमा के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(v) ₹ 5.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 2.85 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 17,198.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिकयपूर्ण सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 5,350.57 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 5,395.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 4059—01—051—6333—भू—राजस्व

कार्यालय भवन—

मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(—)1,074.00	126.00	189.43
			+63.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,074.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4515—196—0510—अधोसंरचना विकास निधि—

8911—अधोसंरचना

निधि से व्यय—

मूल	4,320.00
पुनर्वि.	(—)4,320.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 4,320.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत	1,21,365	93,739	(—)27,626
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			28,460

प्रभारित	10	..	(—)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			10

पूंजीगत:

दत्तमत	2,500	..	(—)2,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			2,500

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 276.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 284.60 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+ बचत(—)
अनुदान			

(1) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण,

भण्डारण और वितरण—

मूल	773.95		
पुनर्वि.	(—)181.43	592.52	533.83

(—) 58.69

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 181.43 लाख की कमी गतिशील प्रक्रिया में ₹ 48.31 लाख की प्रत्याशित बचत एवं समर्पण द्वारा ₹ 133.12 लाख की अन्य कमी, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मांग प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, दावे प्राप्त नहीं होने, नवीन मशीन क्रय नहीं किए जाने एवं डाक व्यय में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई।

(2) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस

रायपुर—

मूल	249.41		
पुनर्वि.	(—)75.54	173.87	169.82

(—)4.05

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 123.85 लाख की कमी, ₹ 48.31 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 116.35 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 75.54 लाख की कमी उल्लिखित की गई। (अ) पुनर्विनियोजन द्वारा एवं तथा (ब) पुनर्विनियोजन द्वारा के निवल प्रभाव के कारण था। समर्पण द्वारा कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, मांग प्राप्त नहीं होने, किराये के परिसर को छोड़ने तथा नये रायपुर में मुद्रणालय स्थानांतरित किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य कमी मुद्रणालय में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। वृद्धि नवीन स्थापित मुद्रणालय में विद्युत व्यवस्था एवं मुद्रणालय हेतु फर्नीचर क्रय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई।

अनुदान संख्या 09—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
2058—104—301—अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य—			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-)8.12	11.88	79.88
			+68.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8.12 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।
अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पुंजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 25.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 10—वन

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी

4406—वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	87,76,712			
पूरक	3,20,000	90,96,712	80,39,752	(-)10,56,960
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,40,610
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित—

मूल	2,60,530			
पूरक	1,417	2,61,947	1,27,095	(-)1,34,852
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				82,800
(31 मार्च 2016)				

पूंजीगत :

दत्तमत	1,87,000	65,446	(-)1,21,554
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,34,755
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 3,200.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 10,569.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 5,406.10 लाख का अभ्यर्पण कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 2406—01—001—3555—मुख्यालय—

मूल	1,706.11		
पुनर्वि.	(-)268.47	1,437.64	1,438.36

समर्पण द्वारा ₹ 292.47 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 268.47 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा कमी व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2406—01—101—2786—प्रादेशिक संभाग

(क्षेत्रीय वृत्त)—			
मूल	1,080.25		
पुनर्वि.	(-)4.40	1,075.85	970.67

समर्पण द्वारा ₹ 5.40 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(3) 2406—01—101—3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस—			
मूल 2,571.20			
पुनर्वि. (-)99.59	2,471.61	1,999.94	(-)471.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.59 लाख की कमी व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2406—01—101—3877—क्षेत्रीय वन मण्डल—			
मूल 32,046.00			
पुनर्वि. (-)381.27	31,664.73	30,273.73	(-)1,391.00
समर्पण द्वारा ₹ 356.27 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 381.27 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2406—01—101—1303—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (-)376.58	123.42	121.67	(-)1.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 376.58 लाख की कमी व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है, जबकि प्रावधान में पहले ही पुनर्विनियोजन किया गया था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2016)।			
(6) 2406—01—101—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 1,000.00			
पुनर्वि. (-)797.80	202.20	156.71	(-)45.49
(7) 2406—01—101—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 1,000.00			
पुनर्वि. (-)554.25	445.75	450.35	+4.60
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 797.80 लाख एवं ₹ 554.25 लाख की में कमी अतिरिक्त राशि को पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य योजना में स्थानांतरित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(8) 2406—01—102—3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों से हित) संरक्षण—			
मूल 1,600.00			
पुनर्वि. (-)14.27	1,585.73	1,194.10	(-)391.63

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष

**कुल
अनुदान**

**वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)**

**आधिकय+
बचत(—)**

(9) 2406—01—102—4475—सामाजिक

वानिकी—

मूल	1,058.64			
पुनर्वि.	(-)24.41	1,034.23	934.71	(-)99.52

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 14.27 लाख एवं ₹ 24.41 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2406—01—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7622—राष्ट्रीय बांस मिशन—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण केन्द्रांश एवं राज्यांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2406—01—102—0430—वन विकास निधि—

6699—वन विकास उपकर

निधि से व्यय—

मूल	2,080.00			
पुनर्वि.	(-)257.68	1,822.32	1,739.69	(-)82.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.68 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(12) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1902—तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण

बांस रोपण सहित—

मूल	950.00			
पुनर्वि.	(-)267.22	682.78	677.23	(-)5.55

(13) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2533—हरियाली प्रसार

योजना—

मूल	720.00			
पुनर्वि.	(-)16.74	703.26	356.14	(-)347.12

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 267.22 लाख एवं ₹ 16.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(14) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6724—बांस वनों का

पुनरोद्धार—

मूल	1,150.00			
पुनर्वि.	(-)258.41	891.59	879.41	(-)12.18

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.41 लाख की कमी अतिरिक्त राशि को पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य योजना में स्थानांतरित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(15) 2406—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6828—पथ वृक्षारोपण—

मूल	440.00			
पुनर्वि.	(-)243.72	196.28	195.41	(-)0.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.72 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(−)
(रु लाख में)			
(16) 2406—01—105—252—अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (−)390.00	1,610.00	1,610.00	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 390.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि आंशिक रूप से जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2406—01—203—535—इमारती लकड़ी— मूल 9,230.00 पुनर्वि. (−)818.90	8,411.10	8,248.84	(−)162.26
(18) 2406—01—203—5641—वन प्रबंधन समितियाँ— मूल 3,300.00 पुनर्वि. (−)5.99	3,294.01	2,839.48	(−)454.53
उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 818.90 लाख एवं ₹ 5.99 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत तथा 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2406—01—204—2901—बांस— मूल 1,633.50 पुनर्वि. (−)156.81	1,476.69	1,452.00	(−)24.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2406—02—110—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेन्ट	200.00	29.00	(−)171.00
(21) 2406—02—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	1,000.00	380.06	(−)619.94
(22) 2406—02—110—0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय	520.00	298.51	(−)221.49
(23) 2406—02—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित	300.00	119.71	(−)180.29
उपरोक्त क्रम संख्या (20) से (23) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत, 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2007—08 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 2406—04—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7261—राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	3,000.00	..	(−)3,000.00
₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 10—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) पर उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2406—01—204—5641—वन प्रबंधन समितियां	825.00	1,265.57	+440.57
(2) 2406—02—110—2900—अभ्यारण क्षेत्र	2,343.20	2,423.34	+80.14
(3) 2406—02—110—3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण	81.00	433.35	+352.35
(4) 2406—04—101—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7261—राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	1,500.00	3,500.00	+2,000.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से भी कम था, मार्च 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 14.17 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 1,348.52 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 828.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन विनियोग पर कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2406—01—797—3885—वन विकास निधि में अंतरण—			
मूल	2,080.00		
पुनर्वि.	(-)828.00	1,252.00	1,252.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 828.00 लाख की कमी शासन द्वारा निधि आंशिक रूप से जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2406—02—797—3885—वन विकास निधि में अंतरण 520.00 .. (-)520.00

₹ 520.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) ₹ 1,215.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,347.55 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेक पूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4406—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5538—एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना—			

मूल	1,500.00	225.00	280.71	+55.71
पुनर्वि.	(-)1,275.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,275.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2230—श्रम एवं रोजगार

2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग

2852—उद्योग

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4852—लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूँजी परिव्यय

6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	14,71,221		
पूरक	66,031	15,37,252	13,25,644
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)2,11,608
(31 मार्च 2016)			2,03,382

प्रभारित	35		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)35
(31 मार्च 2016)			35

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	9,95,400		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)4,79,328
(31 मार्च 2016)			4,79,328

प्रभारित	1,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,000
(31 मार्च 2016)			1,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 76.31 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 584.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 660.31 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,116.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 2,033.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
का निरीक्षण—	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2230—01—102—8034—स्टीम बायलरों

का निरीक्षण—

मूल	131.35		
पुनर्वि.	(-)8.61	122.74	71.39
(-)51.35			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(2) 2851—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6857—उद्योगों को व्याज अनुदान— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (—)770.02	3,029.98	2,997.43	(—)32.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8.02 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 762.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 770.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2851—200—1464—जिला औद्योगिक केन्द्र— मूल 1,843.16 पुनर्वि. (—)210.58	1,632.58	1,634.65	+2.07
(4) 2852—80—001—3370—संचालनालय उद्योग— मूल 798.85 पूरक 18.98 पुनर्वि. (—)196.99	620.84	620.49	(—)0.35
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 210.58 लाख एवं ₹ 196.99 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिकय के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है एवं 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2852—80—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8890—खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (—)607.13	592.87	592.87	..
(6) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (—)98.16	1,901.84	1,901.84	..
(7) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8928—मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)217.06	282.94	282.84	(—)0.10
(8) 2852—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9283—प्रतियोगितायें, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (—)621.08	1,378.92	1,378.92	..

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 607.13 लाख, ₹ 98.16 लाख, ₹ 217.06 लाख एवं ₹ 621.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
	अनुदान	व्यय	
	(₹ लाख में)		

2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9068—औद्योगिक इकाइयों को

लागत पूंजी अनुदान—

मूल 1,900.00

पुनर्वि. 761.27

2,661.27

2,661.27

..

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 0.73 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 762.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 761.27 लाख का आवधन उल्लिखित किया गया है, कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.35 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2014—15 के दौरान सम्पूर्ण विनियोग निरन्तर अप्रयुक्त होना दृष्टिगत हुआ है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
	अनुदान	व्यय	
	(₹ लाख में)		

(1) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6742—औद्योगिक पार्कों

के लिए अनुदान—

मूल 2,500.00

पुनर्वि. (—)1,500.00

1,000.00

1,000.00

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6888—छत्तीसगढ़ व्यापार

केन्द्र की स्थापना—

मूल 2,600.00

पुनर्वि. (—)2,600.00

..

..

..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,600.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8983—औद्योगिक क्षेत्र में

अधोसंरचनात्मक

उन्नयन कार्य—

मूल 2,107.00

पुनर्वि. (—)109.81

1,997.19

1,997.19

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.81 लाख कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के

दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(vii) ₹ 10.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

- 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
- 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
- 6801—उर्जा परियोजना के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	94,44,087			
पूरक	54,11,680	1,48,55,767	1,43,28,479	(—)5,27,288
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,01,900
(31 मार्च 2016)				..

प्रभारित—

मूल	20,00,000			
पूरक	5,77,451	25,77,451	25,77,451	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	13,25,000			
पूरक	2,48,000	15,73,000	18,56,851	+2,83,851
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 5,272.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 6,019.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान		व्यय	
			(₹ लाख में)

(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार

बिजली शुल्क—

मूल	1,130.86			
पूरक	2,487.00			
पुनर्वि.	(—)454.00	3,163.86	3,150.49	(—)13.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 454.00 लाख की कमी नवीन स्थापित मण्डल द्वारा गतिविधियां प्रारम्भ नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2801—80—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7305—पॉच एच.पी.के कृषि पम्पों को

निःशुल्क विद्युत शुल्क में

राहत हेतु सब्सिडी—

मूल 50,000.00

पुनर्वि. (—)4,200.00

45,800.00

45,800.00

..

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2810—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7694—सौर उर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)600.00	400.00	400.00	..
(4) 2810—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7695—विद्यामान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)300.00	200.00	200.00	..
(5) 2810—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8670—सोलर लेम्प/सोलर स्टडी लेम्प का निःशुल्क प्रदाय— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)300.00	200.00	200.00	..
(6) 2810—60—600—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7697—बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)120.00	80.00	80.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 4,200.00 लाख, ₹ 600.00 लाख, ₹ 300.00 लाख, ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 120.00 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयकों को पारित किए जाने के बाद भी राशि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2810—02—101—0410—उर्जा विकास निधि— 7693—सोलर पम्प हेतु सहायक अनुदान— मूल 1,490.00 पूरक 400.00	1,890.00	2,411.50	+521.50
(2) 2810—60—600—0410—उर्जा विकास निधि— 3188—उर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान	600.00	810.00	+210.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पुंजीगत :

दत्तमत—

(iv) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 28,38,50,858 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

(v) प्रावधान से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
4801—06—800—0410—उर्जा विकास निधि—			
6758—कृषि पम्पों का उर्जीकरण—			
मूल	8,000.00		
पूरक	2,480.00	10,480.00	13,318.51
			+2,838.51

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(vi) विद्युत / ऊर्जा विकास निधि :—

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेण्ड वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्त्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर “राजस्व शीर्ष” 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के “मुख्य शीर्ष” 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क—797—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क—3218—उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण” को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2015 को प्रारम्भिक शेष ₹ 3,382.72 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 25,774.51 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत “मुख्य शीर्ष—2045—797 संचय तिथि से/में स्थानांतरण—3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण” को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 25,774.51 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2016 को ₹ 3,382.72 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन—देन“मुख्य शीर्ष—8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि” में सम्मिलित है जिसका लेखा वित लेखे 2015—16 के “21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण” में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2401—फसल कृषि—कर्म

2402—मृदा तथा जल संरक्षण

4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	95,33,635			
पूरक	6,76,322	1,02,09,957	75,57,728	(—)26,52,229
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				29,09,142
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2016)

950

250

(—)700

600

पूंजीगत :

दत्तमत

51

..

(—)51

51

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2016)

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 5,145.31 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 1,617.91 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 6,763.22 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 26,522.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 29,091.42 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
अनुदान		व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2401—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—

मूल	5,500.00		
पूरक	1,250.00		
पुनर्वि.	(—)2,753.31	3,996.69	3,996.69

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,753.31 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2401—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7258—नेशनल मिशन ऑन ऑइल सीड़स

एण्ड ऑइल पॉम—

मूल	525.50		
पूरक	131.37		
पुनर्वि.	(—)189.10	467.77	467.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.10 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(3) 2401—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7264—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 345.00 पुनर्वि. (-)173.47	171.53	225.63	+54.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 173.47 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2401—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 3,182.50 पुनर्वि. (-)101.42	3,081.08	3,002.78	(-)78.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.42 लाख की कमी तकनीकी कारणों से कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(5) 2401—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8987—बीज गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रयोगशाला— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण योजना का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2401—105—7283—छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)6.51	793.49	..	(-)793.49
विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.50 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6.51 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2401—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8900—जैविक खेती मिशन— मूल 713.00 पुनर्वि. (-)257.36	455.64	453.38	(-)2.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.36 लाख की कमी हरी खाद तैयार किए जाने हेतु बीजों के उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(8) 2401—108—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेनफोड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 1,054.71 पुनर्वि. (-)415.39	639.32	447.80	(-)191.52

अनुदान संख्या 13—जारी

निधि का अन्य योजना में स्थानान्तरण किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 487.61 लाख की कमी एवं भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि विमुक्त किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72.22 लाख की वृद्धि निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 415.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	(—)6,521.60	2,478.40	2,498.41
			+20.01
समर्पण द्वारा ₹ 5,347.17 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,174.43 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,521.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(10) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7265—एन.एम.एस.ए.ओन फार्म वाटर मेनेजमेंट योजना—			
पूरक	1,250.00		
पुनर्वि.	(—)1,250.00		
इस योजना को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में समाहित किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 1,077.78 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 172.22 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,250.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(11) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—			
मूल	870.00		
पुनर्वि.	(—)120.36	749.64	749.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.36 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (हरित क्रांति)—			
मूल	10,200.00		
पूरक	2,246.78		
पुनर्वि.	(—)6,390.48	6,056.30	6,037.97
			(—)18.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,390.48 लाख की कमी धान की गुणवत्ता पर 10 वर्षीय प्रतिबन्ध होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(13) 2401—109—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन			
ऑन एग्रीकल्चर			
एक्सटेंशन—			
मूल	1,610.00		
पुनर्वि.	(—)327.21	1,282.79	1,282.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 327.21 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
			(₹ लाख में)

(14) 2401—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7293—मौसम आधारित फसल			
बीमा योजना (कॉपर्स फण्ड)—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(—)487.65	12.35	12.35

धान की प्रदर्शनी हेतु निर्धारित समय पर राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.65 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 487.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 487.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(15) 2401—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8997—परिवर्तित राष्ट्रीय			
फसल बीमा योजना—			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(—)2,500.00		

समर्पण द्वारा ₹ 0.10 लाख की कमी योजना का कियान्वयन नहीं किए जाने एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर परिवर्तित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का कियान्वयन किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,499.90 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,500.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है।

(16) 2401—113—6929—सहायक यंत्री

कार्यालय—			
मूल	455.00		
पुनर्वि.	(—)112.95	342.05	341.55

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 112.95 लाख की कमी में से ₹ 46.43 लाख कमी वास्तविक संख्या के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 66.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(17) 2401—113—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत			
कृषि यंत्रों पर अनुदान—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(—)1,088.07	411.93	412.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,088.07 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(18) 2401—113—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8962—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत			
यांत्रिकीकरण रोपाई, जोताई एवं			
बुआई हेतु अनुदान—			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(—)250.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2401—113—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8963—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत			
कृषि यंत्र बैकों की स्थापना—			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(—)246.00	4.00	4.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 246.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(20) 2401—113—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8964—कृषि यात्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार प्रसार— मूल 250.00 पुनर्वि. (—)250.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा राशि विसुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2401—119—9188—उद्यान विकास योजना— मूल 3,739.05 पुनर्वि. (—)381.21	3,357.84	3,360.81	+2.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 381.21 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6831—राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हेतु राज्यांश— मूल 7,952.00 पुनर्वि. (—)1,817.34	6,134.66	6,550.80	+416.14
जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 2,377.34 लाख की कमी एवं केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश की आवश्यकता होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 560.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,817.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(23) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 4,593.00 पुनर्वि. (—)3,360.54	1,232.46	1,255.76	+23.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,360.54 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(24) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7265—एन.एम.एस.ए. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना— पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (—)1,500.00			
योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने से समर्पण द्वारा ₹ 940.00 लाख की कमी एवं केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश की आवश्यकता होने से पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 560.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 870.00 पुनर्वि. (—)537.78	332.22	332.22	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 537.78 लाख की कमी के प्रर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(26) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 1,339.57 पुनर्वि. (—)124.01 1,275.56 833.95 (—)441.61			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 124.01 लाख की कमी के प्रर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

(27) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8945—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
(साग सब्जी)—
मूल 505.00
पुनर्वि. (—)505.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 505.00 लाख का प्रत्याहरण योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(28) 2401—119—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7662—कम्यूनिटी फैसिंग योजना—
मूल 100.00
पुनर्वि. (—)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया।

(29) 2402—102—3143—भूमि संरक्षण

कटावरोधक बंधान की योजना—
मूल 2,960.95
पुनर्वि. (—)769.51 2,191.44 2,177.49 (—)13.95

स्वीकृत संख्या के विरुद्ध वास्तविक संख्या के अनुसार व्यय किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 17.85 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 751.66 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 769.51 लाख कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2401—001—119—अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द— (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)— मूल 19,777.00 पूरक 10.00 पुनर्वि. 911.16 20,698.16 24,109.93 +3,411.77			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 911.16 लाख का आवर्धन वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—				
7267—एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ				
मैनेजमेंट योजना—				
मूल	314.00			
पूरक	92.67			
पुनर्वि.	125.48	532.15	530.77	(—)1.38

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 950.71 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 825.23 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 125.48 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि स्वाईल हेल्थ कार्ड एवं पारम्परिक कृषि विकास योजना को भारत सरकार की स्वीकृति से उप योजना में सम्मिलित किए जाने एवं कमी एन. एम. एस. ए. में सेवा उपलब्ध कराने वालों का चयन नहीं किए जाने तथा बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा यंत्रों की दर निर्धारित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 2401—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	
8792—राष्ट्रीय कृषि	
विकास योजना—	
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	2,986.89
	2,986.89
	2,986.89
	2,986.89
	..

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,986.90 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,986.89 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि, राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लागू किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 2401—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	
7707—सिंचाई हेतु	
डीजल अनुदान—	
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	223.05
	223.05
	216.15
	(—)6.90

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 223.72 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.67 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 223.05 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में डीजल पम्पों से सिंचाई किए जाने के हेतु सहायता अनुदान प्रदान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 7.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 6.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 0.51 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2403—पशुपालन

4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	34,34,296		
पूरक	76,850	35,11,146	29,98,661
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			(—)5,12,485 5,39,857

प्रभारित—

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	20	..	(—)20 20
---	----	----	-------------

पूंजीगत :

दत्तमत	4,76,000	30,000	(—)4,46,000 4,46,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 422.87 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 345.63 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 768.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 5,124.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 5,398.57 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अवविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2403—001—1468—जिला एवं

संभागीय स्तर—

मूल	2,294.97		
पूरक	(—)265.11	2,029.86	2,032.95

+3.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 265.11 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2403—101—2549—पशु औषधालय

एवं चिकित्सालय—

मूल	13,228.87		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)1,446.11	11,782.76	11,775.46

(—)7.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,446.11 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य योजना में स्थानान्तरण होने के कारण एवं कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(3) 2403—101—3786—रोगाणुज्ञा—

मूल	441.07		
पुनर्वि.	(—)66.42	374.65	374.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5620—पशुरोग नियंत्रण—			
मूल	985.00		

पुनर्वि.	(—)186.82	798.18	778.95
----------	-----------	--------	--------

केन्द्रीय निधि की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 183.37 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 370.19 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 186.82 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। ₹ 370.19 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7471—नाबार्ड योजनान्तर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान—			
मूल	700.00		

पुनर्वि.	(—)338.55	361.45	358.65
----------	-----------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 338.55 लाख की कमी भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(6) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8898—राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना—			
मूल	250.00		

पूरक	250.00		
पुनर्वि.	(—)103.70	396.30	396.05

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.70 लाख की कमी भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2403—102—1108—गहन पशु

विकास परियोजना—			
मूल	3,787.80		

पुनर्वि.	(—)444.69	3,343.11	3,343.93
----------	-----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 444.69 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य योजना में स्थानान्तरण होने के कारण एवं कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2403—102—5535—छत्तीसगढ़ गौ—सेवा एवं

ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान—			
मूल	371.00		

पूरक	20.00		
पुनर्वि.	(—)165.50	225.50	225.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.50 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। ..

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(9) 2403—103—3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर—			
मूल 1,131.55			
पुनर्वि. (-)92.55	1,039.00	1,036.92	(-)2.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.55 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2403—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 8652—ग्रामीण बैंकयार्ड कुक्कुट पालन योजना—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (-)100.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण अन्य योजना में (₹ 80.00 लाख) स्थानान्तरित एवं योजना के बन्द (₹ 20.00 लाख) किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2403—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर—			
मूल 279.00			
पुनर्वि. (-)127.48	151.52	151.52	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 127.48 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2403—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5027—बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढ़िकरण—			
मूल 270.30			
पुनर्वि. (-)175.97	94.33	94.13	(-)0.20
नवीन बकरी पालन प्रक्षेत्र निर्माण कार्य हेतु राशि विमुक्त नहीं किए जाने से समर्पण द्वारा ₹ 151.97 लाख की कमी एवं प्रक्षेत्र में बकरियों की खरीद नहीं किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 175.97 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(13) 2403—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)—			
मूल 2,447.22			
पुनर्वि. (-)889.16	1,558.06	1,557.86	(-)0.20
नवीन बकरी पालन प्रक्षेत्र निर्माण कार्य हेतु राशि विमुक्त नहीं किए जाने से समर्पण द्वारा ₹ 705.79 लाख की कमी एवं प्रक्षेत्र में बकरियों की खरीद नहीं किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 183.37 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 889.16 लाख की कमी उल्लिखित की गई।			
(14) 2403—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8947—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (एन.एम.पी.एस.)—			
मूल 220.00			
पुनर्वि. (-)218.74	1.26	1.26	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 218.74 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(15) 2403—109—9329—अंजोरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय			
हेतु सहायक अनुदान—			
मूल 1,841.00			
पुनर्वि. (—)460.25	1,380.75	1,380.75	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 460.25 लाख की कमी विभाग द्वारा चौथी किश्त की राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(16) 2403—800—8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना—			
मूल 1,011.47			
पूरक 150.00			
पुनर्वि. (—)157.32	1,004.15	999.21	(—)4.94

आधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य योजना में स्थानान्तरण होने, मुत्यु तथा सेवानिवृत्ति होने के कारण समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.32 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य ₹ 7.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 157.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—	813.61	872.52	+58.91

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2403—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—			
7257—राष्ट्रीय गौवशीय, भैसवंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजना—			
मूल 265.00			
पुनर्वि. 65.00	330.00	330.00	..

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 15.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 65.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि, गोजातीय नस्ल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं डेयरी विकास के कारण उल्लिखित की गई है। कमी बीमा निधि को एन. एल. एम. में समाहित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2403—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—			
7621—नेशनल लाइव स्टॉक मिशन—			
मूल 1,000.00			
पूरक 186.00			
पुनर्वि. (—)16.16	1,169.84	1,375.99	+206.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16.16 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 14—समाप्त

पूँजीगत :
दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7403—पशु चिकित्सा

विश्वविद्यालय—

मूल	850.00
पुनर्वि.	(-)550.00

300.00

300.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 550.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9329—अंजोरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय

हेतु सहायक अनुदान—

मूल	110.00
पुनर्वि.	(-)110.00

(3) 4403—109—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

7403—पशु चिकित्सा

विश्वविद्यालय—

मूल	3,800.00
पुनर्वि.	(-)3,800.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 110.00 लाख एवं ₹ 3,800.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2403—पशुपालन

2405—मछली पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	13,53,593	6,00,037	(—)7,53,556
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,68,723
(31 मार्च 2016)			

पूंजीगत	13,28,300	11,00,088	(—)2,28,212
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,43,323
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 7,535.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 7,687.23 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2202—01—789—197—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

327—अस्वच्छ धन्दे में लगे

लोगों के बच्चों के लिए

आश्रम, छात्रवृत्तियां—

मूल 405.00

पुनर्वि. (—)244.90

160.10

209.11

+49.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 244.90 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2202—01—789—197—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन

के लिये अनुदान मूलभूत

न्यूनतम सेवाओं के लिये—

मूल 2,000.00

पुनर्वि. (—)1,970.00

30.00

159.49

+129.49

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(3) 2202—02—789—196—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन

के लिये अनुदान मूलभूत

न्यूनतम सेवाओं के लिये—

मूल 120.00

पुनर्वि. (-)82.00

38.00

78.57

+40.57

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,970.00 लाख एवं ₹ 82.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2235—60—789—198—1003—अंतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

2,500.00

2,317.55

(-)182.45

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2405—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल 390.00

पुनर्वि. (-)191.07

198.93

198.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 191.07 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(6) 2405—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8947—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (एन.एम.पी.एस.)—

मूल 110.00

पुनर्वि. (-)110.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 110.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(7) 2515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तीकरण योजना—

मूल 600.00

पुनर्वि. (-)161.09

438.91

415.93

(-)22.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.09 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(8) 2515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7690—ई—पंचायत—

मूल 120.00

पुनर्वि. (-)120.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 120.00 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की किया गया है।

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(9) 2853—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 5,450.00 पुनर्वि. (—)4,765.03	684.97	802.27	+117.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,765.03 लाख की कमी वित्त विभाग से देय तिथि तक निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

2515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7689—ई.टी.सी./ पी.टी.सी.

का सशक्तीकारण—

मूल 120.00

पुनर्वि. (—)0.11

119.89

179.76

+59.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.11 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पूंजीगत :

(iv) ₹ 2,282.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 2,433.23 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4515—789—196—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तीकारण योजना—

मूल 288.00

पुनर्वि. (—)154.72

133.28

157.08

+23.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 154.72 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि का आबंटन आंशिक रूप से किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 4515—789—197—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तीकारण योजना—

मूल 216.00

पुनर्वि. (—)216.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 216.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 4515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7688—तीन हजार से अधिक

आबादी वाले ग्रामों में

मिनी स्टेडियम निर्माण—

मूल 552.00

पुनर्वि. (-)214.66

337.34

338.67

+1.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.66 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि का आबंटन आंशिक रूप से किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 4515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8986—मुख्यमंत्री समग्र

ग्रामीण विकास योजना—

मूल 12,200.00

पुनर्वि. (-)1,847.85

10,352.15

10,478.13

+125.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,847.85 लाख की कमी कोषालय से राशि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2405—मछली पालन

2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

4405—मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	4,43,862			
पूरक	14,645	4,58,507	3,95,855	(—)62,652
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				78,274
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

पूँजीगत :

दत्तमत	12,510	7,498	(—)5,012
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,012
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 100.00 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 46.45 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 146.45 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 626.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 782.74 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2405—101—162—अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग

के लिए जिला स्तर

का अमला—

मूल	2,375.47		
पुनर्वि.	(—)129.92	2,245.55	2,244.02
			(—)1.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 129.92 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8947—राष्ट्रीय कृषि विकास

(एन.एम.पी.एस.)योजना—

मूल

पुनर्वि.

325.00

(—)325.00

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 2405—109—7434—मत्सिकी मद्याविद्यालय
कवर्धा हेतु अनुदान—

मूल	165.00		
पुनर्वि.	(—)65.00	100.00	100.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 2405—109—0101—राज्य आयोजन (सामान्य)—

7434—मत्सिकी मद्याविद्यालय

कवर्धा हेतु अनुदान—

मूल	75.00		
पुनर्वि.	(—)75.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 75.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजन (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल	325.00		
पुनर्वि.	(—)105.75	219.25	374.98

+155.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.75 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4405—004—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7434—मत्सिकी मद्याविद्यालय

कवर्धा हेतु अनुदान—

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(—)50.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2425—सहकारिता

4425—सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	10,33,544			
पूरक	4,00,000	14,33,544	7,82,101	(—)6,51,443
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				6,51,934

प्रभारित

15

..

(—)15

15

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016)

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	3,28,301			
पूरक	1,90,000	5,18,301	4,48,159	(—)70,142
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				70,461

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 4,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 6,514.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 6,519.34 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2425—001—123—अधीक्षण—

मूल	3,462.26			
पुनर्वि.	(—)344.66	3,117.60	3,125.00	+7.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.66 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2425—001—2282—निर्देशन—

मूल	549.88			
पुनर्वि.	(—)47.46	502.42	508.19	+5.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 2425—001—8932—छत्तीसगढ़, राज्य सहकारी अधिकरण—

मूल	79.97		
पुनर्वि.	(-)55.80	24.17	24.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 55.80 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5628—कृषक ऋण व्याज दर			
युवितयुक्तकरण हेतु			
व्याज अनुदान—			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,000.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 6,000.00 लाख का प्रत्याहरण कोषालय से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2014—15 के दौरान सम्पूर्ण विनियोग निरन्तर अप्रयुक्त होना दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 701.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 704.61 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7678—सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूंजी—			
मूल	248.00		
पूरक	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)104.60	2,043.40	2,043.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.60 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 6425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5055—सहकारी शक्कर कारखाना—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	2,400.00	2,400.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230—श्रम तथा रोजगार

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	11,76,757			
पूरक	सांकेतिक	11,76,757	7,40,706	(-)4,36,051
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,32,897
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित	20	..	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20

(31 मार्च 2016)

पूंजीगत:

दत्तमत	10,000	..	(-)10,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10,000

(31 मार्च 2016)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,360.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को ₹ 4,328.97 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(₹ लाख में)

(1) 2210—01—102—791—कर्मचारी राज्य

बीमा चिकित्सालय—

मूल	1,589.35		
पुनर्वि.	(-)217.53	1,371.82	1,345.56

(-)26.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 217.53 लाख की कमी में से ₹ 137.81 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 79.72 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3676—राज्य बीमा

अस्पताल—

मूल	2,641.65		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)566.73	2,074.92	2,082.52

+7.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से 566.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं नवीन औषधालय के प्रारम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(3) 2230—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7440—राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)200.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2230—01—101—4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला— मूल 866.37 पुनर्वि. (—)103.55 762.82 761.85 (—)0.97			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2230—01—101—4272—श्रम न्यायालय— मूल 397.50 पुनर्वि. (—)78.09 319.41 320.58 +1.17			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.09 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2230—01—102—5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा— मूल 287.00 पुनर्वि. (—)84.74 202.26 201.06 (—)1.20			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 84.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2230—01—103—4270—श्रम कल्याण निधि की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (—)86.51 213.49 213.49 ..			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(8) 2230—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (—)1,034.64 965.36 956.90 (—)8.46			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,034.64 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2230—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8977—असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)663.05 336.95 327.60 (—)9.35			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 663.05 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(10) 2230—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8989—ठेका मजदूर, घरेलू
कामकाजी महिला एवं
हमाल कल्याण मण्डल—
मूल 1,000.00
पुनर्वि. (—)631.33

368.67 368.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 631.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(11) 2230—01—112—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

2837—बंधक मजदूरों की
पुनर्वास योजना—
मूल 610.00
पुनर्वि. (—)451.20

158.80 158.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 451.20 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2014—15 के दौरान सम्पूर्ण विनियोग का निरन्तर अप्रयुक्त रहना दृष्टिगत हुआ है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4250—201—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8352—राज्य में बीड़ी मजदूरों
के लिए आवास निर्माण—
मूल 100.00
पुनर्वि. (—)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण आवास निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211—परिवार कल्याण

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,30,26,500			
पूरक	1,15,651	1,31,42,151	1,12,44,525	(-)18,97,626
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				27,60,309
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित—

मूल	1,750			
पूरक	8,000	9,750	8,107	(-)1,643
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,248
(31 मार्च 2016)				

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	1,96,760			
पूरक	1,12,722	3,09,482	1,58,630	(-)1,50,852
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				31,268
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :**

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 556.50 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 600.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,156.51 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 18,976.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 27,603.09 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2210—01—110—2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—

(मूलभूत सेवाएं)–

मूल	221.50			
पुनर्वि.	(-)76.54	144.96	145.48	+0.52

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2210—01—110—748—ओषधालय—

मूल	667.80			
पुनर्वि.	(-)112.67	555.13	566.79	+11.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 112.67 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	--------------------------------

(3) 2210—01—196—1473—जिला

चिकित्सालय—

मूल	7,086.00		
पुनर्वि.	(—)1,617.27	5,468.73	6,550.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,617.27 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2210—01—200—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7637—राज्य केंसर

संस्थान—

मूल	1,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)1,000.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8631—शव वाहिका

योजना—

मूल	358.00		
पूरक	600.00	958.00	822.32

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(6) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य

बीमा योजना	2,550.00	1,885.00	(—)665.00
------------	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(7) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8649—मुख्यमंत्री शहरी

स्वास्थ्य कार्यक्रम—

मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)200.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2210—03—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6884—राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन—

मूल	36,960.00		
पुनर्वि.	(—)11,034.63	25,925.37	25,925.37

भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 10,754.63 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 280.00 लाख कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 11,034.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, जिसके पर्याप्त कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(9) 2210—03—198—2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)—			
मूल	18,467.90		
पुनर्वि.	(-)1,897.35	16,570.55	16,730.33
			+159.78
समर्पण द्वारा ₹ 1,387.35 लाख एवं अन्य पुनर्विनियोजन ₹ 510.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रावधान में ₹ 1,897.35 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2210—03—198—620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	2,314.10		
पुनर्वि.	(-)554.00	1,760.10	1,815.75
			+55.65
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 554.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2210—03—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—(मूलभूत सेवाएं)—			
मूल	4,146.90		
पुनर्वि.	(-)592.50	3,554.40	3,741.54
			+187.14
समर्पण द्वारा ₹ 227.50 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 365.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 592.50 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2210—06—003—2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण—			
मूल	362.50		
पुनर्वि.	(-)206.08	156.42	205.70
			+49.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.08 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2210—06—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण—			
मूल	183.30		
पुनर्वि.	(-)95.27	88.03	89.42
			+1.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.27 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210—06—101—4244—शीत ज्वर—			
मूल	1,807.70		
पुनर्वि.	(-)375.23	1,432.47	1,451.97
			+19.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.23 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2210—06—101—8150—बहुदेशीय कार्यकर्ता योजना—			
मूल	1,173.60		
पुनर्वि.	(-)588.76	584.84	1,053.70
			+468.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 588.76 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत—
		(₹ लाख में)	

- (16) 2210—06—101—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—
 6729—एड्स नियंत्रण
 कार्यक्रम—
 मूल 2,700.00
 पुनर्वि. (—)1,519.24 1,180.76 1,180.76 ..
- समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,519.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।
 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
- (17) 2210—06—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—
 5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि
 हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान—
 मूल 1,250.00
 पुनर्वि. (—)125.00 1,125.00 1,125.00 ..
- समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।
- (18) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
 5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी—
 मूल 600.00
 पुनर्वि. (—)221.56 378.44 347.00 (—)31.44 ..
- समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.56 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।
- (19) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
 7636—बाल श्रवण योजना—
 मूल 200.00
 पुनर्वि. (—)100.00 100.00 100.00 ..
- समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी राज्य शासन से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।
- (20) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
 7671—मुख्यमंत्री बाल मधुमेह रोकथाम
 एवं सुरक्षा योजना—
 मूल 300.00
 पुनर्वि. (—)180.00 120.00 120.00 ..
- समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।
- (21) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
 7679—टी.बी. के रोकथाम
 हेतु पोषण आहार—
 मूल 500.00
 पुनर्वि. (—)500.00
- समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख के प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।
- (22) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
 8632—बाल हृदय सुरक्षा योजना—
 मूल 700.00
 पुनर्वि. (—)100.00 600.00 600.00 ..
- समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष

**कुल
अनुदान**

**वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)**

**आधिक्य+
बचत—**

(23) 2210—06—102—1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)— मूल 488.60 पुनर्वि. (-)261.90	226.70	246.92	(-)20.22
--	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 261.90 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2210—06—104—750—औषध नियंत्रण—

मूल 535.20 पुनर्वि. (-)136.88	398.32	460.81	+62.49
----------------------------------	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.88 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(25) 2210—80—798—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)300.00	200.00	200.00	..
---	--------	--------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी राज्य शासन से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 2211—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 459.20 पुनर्वि. (-)180.30	278.90	327.80	+48.90
---	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.30 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(27) 2211—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन— मूल 474.50 पुनर्वि. (-)162.41	312.09	383.33	+71.24
---	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(28) 2211—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

336—ऑक्जीलियरी नर्स, मिड वार्फ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण— मूल 300.60 पुनर्वि. (-)150.47	150.13	159.86	+9.73
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.47 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत—
		(₹ लाख में)	

(29) 2211—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

621—उप स्वास्थ्य केन्द्र—				
मूल	7,896.10			
पुनर्वि.	(—)1,748.95	6,147.15	7,602.38	+1,455.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,748.95 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2211—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6791—शहरी स्वास्थ्य केन्द्र—				
मूल	318.40			
पुनर्वि.	(—)92.66	225.74	234.21	+8.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 2211—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

6106—युनिवर्सल				
इम्युनाइजेशन—				
मूल	130.00			
पुनर्वि.	(—)130.00			

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 130.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत—
		(₹ लाख में)	

(1) 2071—01—800—5499—सेवा निवृत कर्मचारियों

को चिकित्सा सुविधा—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)91.08	108.92	410.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.08 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(2) 2210—01—001—2283—निर्देशन और प्रशासन

(राजीव गांधी मिशन,			
मूलभूत सेवायें)—			
मूल	2,051.50		
पूरक	531.50		
पुनर्वि.	259.04	2,842.04	3,630.22

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 540.96 की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 259.04 का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि, विशिष्ट सेवाओं के लिए आऊट सोर्सिंग की सेवाएं लेने के कारण उल्लिखित की गई हैं। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2210—03—197—5998—सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	3,133.40		
पुनर्वि.	(—)629.73	2,503.67	3,563.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 629.73 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
(4) 2210—03—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 5,207.20 पुनर्वि. (-)654.89 4,552.31 5,836.32 +1,284.01			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 734.89 की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 654.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। वृद्धि, विद्युत हेतु व्यय की आवश्यकता एवं जल भार के कारण उल्लिखित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 2210—03—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 3,817.90 पुनर्वि. (-)57.34 3,760.56 4,292.61 +532.05			
--	--	--	--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.34 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 2210—06—101—858—कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 2,031.20 पुनर्वि. (-)926.64 1,104.56 2,494.28 +1,389.72			
--	--	--	--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 926.44 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित— (v) ₹ 16.43 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 32.48 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			
--	--	--	--

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
2210—01—001—2283—निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवाये)— मूल 10.00 पूरक 80.00 पुनर्वि. (-)24.98 65.02 81.07 +16.05			

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 24.98 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पूँजीगत : दत्तमत— (vii) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1,127.22 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।			
--	--	--	--

(viii) ₹ 1,508.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 312.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
---	--	--	--

अनुदान संख्या 19—समाप्त

(ix) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4210—01—196—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2283—निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवाये)— पूरक	500.00	500.00	406.15 (—)93.85
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 4210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 502.60 पुनर्वि. (—)162.62	339.98	53.98	(—)286.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(3) 4210—02—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 616.00 पुनर्वि. (—)50.06	565.94	149.95	(—)415.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4210—04—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)	400.00	..	(—)400.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(5) 4210—80—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7398—मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2215—जलपूर्ति तथा सफाई

4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	36,76,168			
पूरक	2,50,000	39,26,168	34,23,784	(—)5,02,384
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,61,981
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित	1,000	5	(—)995
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			995
(31 मार्च 2016)			

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	18,30,750			
पूरक	सांकेतिक	18,30,750	11,01,329	(—)7,29,421
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,63,581
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 2,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 5,023.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 7,619.81 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2215—01—001—2294—निर्देशन—

मूल	1,520.72		
पुनर्वि.	(—)408.72	1,112.00	+0.19

(2) 2215—01—001—2715—प्रशासन—

मूल	8,315.50		
पुनर्वि.	(—)1,272.75	7,042.75	7,063.37

(3) 2215—01—052—693—ओजार और संयंत्र—

मूल	722.00		
पुनर्वि.	(—)688.01	33.99	54.18

+20.19

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2215—01—101—5300—स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—	मूल 1,335.80 पुनर्वि. (-)446.68	889.12	897.81 +8.69

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 408.72 लाख, ₹ 1,272.75 लाख, ₹ 688.01 लाख एवं ₹ 446.68 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (2) एवं 2013—14 से एवं 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(5) 2215—01—102—1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण—	मूल 535.00 पुनर्वि. (-)112.86	422.14	418.00 (-)4.14
--	----------------------------------	--------	----------------

(6) 2215—01—102—1854—ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन—	मूल 1,426.78 पुनर्वि. (-)246.73	1,180.05	1,181.78 +1.73
---	------------------------------------	----------	----------------

(7) 2215—01—102—2219—नलकूपों का अनुरक्षण—	मूल 4,818.30 पुनर्वि. (-)369.28	4,449.02	4,551.34 +102.32
---	------------------------------------	----------	------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 112.86 लाख, ₹ 246.73 लाख, एवं ₹ 369.28 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 एवं 2010—11 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(8) 2215—01—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम—	मूल 3,363.00 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (-)3,035.80	2,827.20	5,571.69 +2,744.49
---	---	----------	--------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,035.80 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप राशि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(9) 2215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9938—भू—जल स्त्रोतों का रिचार्जिंग—	मूल 150.00 पुनर्वि. (-)148.93	1.07	1.07 ..
---	----------------------------------	------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.93 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(10) 2215—01—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7431—पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	875.00	625.20	(-)249.80
बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(11) 2215—01—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6897—दल्ली राजहरा जल प्रदाय योजना	300.10	..	(-)300.10
(12) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7371—बिलाईगढ़ जल प्रदाय योजना	100.00	..	(-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(13) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7449—अहिवारा आवर्धन जल प्रदाय योजना	385.00	285.40	(-)99.60
(14) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7450—धमधा जल प्रदाय योजना	199.00	0.29	(-)198.71
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(15) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8566—मगरलोड भैसमुड़ी जल प्रदाय योजना	300.10	..	(-)300.10
(16) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8613—उतरई जल प्रदाय योजना	300.10	..	(-)300.10
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(17) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8908—नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना	950.00	854.63	(-)95.37
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2215—01—799—4058—विविध लोक कार्य अग्रिम— मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)448.34	1,251.66	1,466.68	+215.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 448.34 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2215—02—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6841—जल निकासी योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 20—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
(1) 2215—01—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8538—महासमुंद जल आवर्धन योजना	0.10	92.10	+92.00
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7309—गोरेला जल प्रदाय योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्वि.	..	389.58	+389.58
यद्यपि इस शीर्षान्तर्गत अनुपूरक प्रावधान में सांकेतिक राशि का प्रावधान किया गया था, जिसे 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। सांकेतिक प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के बावजूद भी इस शीर्षान्तर्गत राशि ₹ 3,89,58,000 का व्यय बिना बजट व्यय का परिणाम है।			
(3) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7387—पाण्डातराई जल प्रदाय योजना	0.10	205.89	+205.79
(4) 2215—01—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7509—अभनपुर जल प्रदाय योजना	500.00	1,087.96	+587.96
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में “2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 1,466.68 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष ‘उचंत’ में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बन्धित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं, और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गए हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है। ‘उचंत’ शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई :-

(1) क्रय— राज्य में 1983—84 से प्रवर्तित नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप परिप्रेक्ष्य में उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय बटटे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

अनुदान संख्या 20—जारी

2015–16 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न “उचंत” उप शीर्षों के अन्तर्गत “उचंत” लेन-देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया हैः—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2015 को नामें + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2016 को नामें + जमा (-)
2215—जल आपूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	(-)1,600.70	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+10,564.68	1,466.68	424.65	+11,606.71
योग	+10,514.21	1,446.68	424.65	+11,556.24

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) ₹ 7,294.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 4,635.81 लाख की राशि अस्पष्टित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

(1) 4215—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2715—प्रशासन—			
मूल	440.00		
पुनर्वि.	(-)227.23	212.77	238.26
			+25.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 227.23 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(2) 4215—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7664—ग्रम लाखौली आरंग में एन.सी.सी. प्रशिक्षण परिसर में जल प्रदाय योजना—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4215—01—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	2,751.00	..	(-)2,751.00
--	----------	----	-------------

₹ 2,751.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4215—01—102—0311—नाबाड पोषित योजनाएं (सामान्य)—			

5403—पाइप द्वारा ग्रामीण			
जल प्रदाय योजना—			
मूल	8,375.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)3,627.24	4,747.76	(—)270.02

(5) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
9937—पाईपों द्वारा ग्रामीण			
जल प्रदाय योजना—			

मूल	2,480.00		
पुनर्वि.	(—)140.95	2,339.05	2,388.48

+49.43

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,627.24 लाख एवं ₹ 140.95 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(6) 4215—02—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5699—शालाओं की			
शौचालय व्यवस्था—			
मूल	275.00		
पुनर्वि.	(—)275.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 275.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5403—पाइप द्वारा ग्रामीण			
जल प्रदाय योजना	55.00	333.36	+278.36

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ लाख में)	

मुख्य शीर्ष—

- 2215—जलपूर्ति तथा सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	15,57,850			
पूरक	5,000	15,62,850	4,17,937	(—)11,44,913
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,45,855
(31 मार्च 2016)				

पूंजीगत :

मूल	35,71,900			
पूरक	56,35,001	92,06,901	30,42,398	(—)61,64,503
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				17,86,102
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यधिक कम था, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 11,449.13 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 11,458.55 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2216—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7444—विकास नगर योजना—	
मूल	3,500.00
पुनर्वि.	(—)3,500.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,500.00 लाख के प्रत्याहरण वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2216—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7670—मुख्यमंत्री आवासीय योजना—	
मूल	5,000.00
पुनर्वि.	(—)5,000.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 5,000.00 लाख के प्रत्याहरण वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

(3) 2217-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण—			
मूल	1,750.00		
पुनर्वि.	(-)1,110.00	640.00	640.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,110.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा मांग के अनुसार राशि विमुक्त नहीं किए जाने एवं कोषालय द्वारा विमुक्त राशि पर आपत्ति लिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2217-01-051-1201—विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7334—जी.ई.एफ.सहायता प्राप्त			
एस.यू.टी.पी. योजना—			
मूल	900.00		
पुनर्वि.	(-)492.20	407.80	407.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 492.20 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2217-01-053-8635—नया मंत्रालय

का रख रखाव—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	1,400.00	1,400.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा मांग के अनुसार राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2217-05-001-2020—नगर और

ग्राम निवेश—			
मूल	1,037.50		
पुनर्वि.	(-)374.64	662.86	672.24
			(-)9.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 374.64 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010-11 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2217-05-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7411—विकास प्राधिकरणों को अनुदान—

मूल	250.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)300.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख की प्रत्याहरण वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण तथा कोषालयों द्वारा विमुक्त राशि पर ली गई आपत्ति के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्याधिक था तथा दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 56,300.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 61,645.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 17,861.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 21—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
		(₹ लाख में)	

(1) 4217—01—050—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5371—नया रायपुर विकास

प्राधिकरण—

पूरक 56,300.00

पुनर्वि. (-)3,100.00

53,200.00

9,416.00

(-)43,784.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,100.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 4217—01—051—1201—विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7334—जी.ई.एफ.सहायता प्राप्त

एस.यू.टी.पी. योजना—

मूल 4,000.00

पुनर्वि. (-)947.04

3,052.96

3,052.96

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 947.04 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा राशि प्राप्त नहीं होने तथा कोषालय द्वारा विमुक्त राशि पर ली गई आपत्ति के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4217—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5371—नया रायपुर विकास

प्राधिकरण—

मूल 31,214.00

पूरक 50.00

पुनर्वि. (-)13,808.98

17,455.02

17,455.02

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 13,808.98 लाख की कमी मांग के अनुसार ₹ 3,808.98 लाख की राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 10,000.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय

आधिक्य+
बचत(−)

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

राजस्व :

दत्तमत	58,374	42,794	(−)15,580
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			14,324

प्रभारित	5	..	(−)5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			5

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 155.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 143.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(−)
(₹ लाख में)			

(1) 2217—80—001—6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—

मूल	227.89			
पुनर्वि.	(−)41.99	185.90	188.93	+3.03

प्रावधान से ₹ 41.99 लाख की कमी समर्पण द्वारा ₹ 37.96 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.03 लाख की अन्य कमी की संयुक्त प्रभाव थी। जिसके दोनों कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2217—80—001—7442—संभागीय कार्यालय की स्थापना—

मूल	305.75			
पुनर्वि.	(−)88.30	217.45	200.93	(−)16.52

प्रावधान से ₹ 88.30 लाख की कमी समर्पण द्वारा ₹ 92.33 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.03 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान निरन्तर अप्रयुक्त रहना दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)	

मुख्य शीर्ष—

2700—मुख्य सिंचाई

2701—मध्यम सिंचाई

4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत (31 मार्च 2016)	44,64,644	39,78,302	(-)4,86,342 4,99,732
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	110	..	(-)110 110

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	42,86,524		
पूरक	2,500	42,89,024	33,73,278
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			(-)9,15,746 9,32,780

प्रभारित—

मूल	2,500		
पूरक	6,500	9,000	7,214
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			(-)1,786 1,786

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,863.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 4,997.32 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2700—02—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	1,624.10		
पुनर्वि.	(-)75.31	1,548.19	1,400.33

प्रावधान में ₹ 75.31 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, रख रखाव कार्यों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 175.31 लाख की कमी, जल उपभोक्ता समिति द्वारा निधि का उपयोग नहीं करने एवं स्वीकृत कार्यों के अनुसार भुगतान करने के कारण उल्लिखित का निवल प्रभाव था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2700—06—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	460.20		
पुनर्वि.	29.73	489.93	332.82

(--)157.11

अनुदान संख्या 23—जारी

प्रावधान में ₹ 29.73 लाख का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा 50.00 लाख की वृद्धि, रख रखाव कार्यों का भुगतान एवं समर्पण द्वारा 20.27 लाख की कमी, जल उपभोक्ता समिति द्वारा निधि का उपयोग नहीं करना तथा कार्यों के अनुसार भुगतान करने का निवल परिणाम के कारण कमी हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(3) 2700–10–101–2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	488.92		
पुनर्वि.	(–)102.91	386.01	386.50
			+0.49
प्रावधान से ₹ 102.91 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा 2.91 की एक अन्य कमी के संयुक्त परिणाम के कारण हुई। दोनों कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2701–80–001–275—आवियाना स्थापना—			
मूल	1,872.80		
पुनर्वि.	(–)277.78	1,595.02	1,528.73
			(–)66.29
प्रावधान से ₹ 277.78 लाख की कमी के कारण समर्पण द्वारा व्यय किए जाने के कारण अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010–11 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2701–80–001–3556—मुख्यालय स्थापना			
यूनिट। —			
मूल	2,206.40		
पुनर्वि.	(–)904.79	1,301.61	1,318.52
			+16.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 904.79 लाख की कमी में से ₹ 800.00 लाख की कमी चुनाव पूर्ण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 104.79 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010–11 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2701–80–001–815—कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	13,698.20		
पुनर्वि.	(–)1,908.16	11,790.04	12,021.11
			+231.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,908.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2701–80–001–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
814—कार्यपालिक स्थापना			
(विद्युत / यांत्रिकी)—			
मूल	676.80		
पुनर्वि.	(–)74.76	602.04	598.30
			(–)3.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.76 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006–07 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2701–80–001–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
815—कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	14,562.75		
पुनर्वि.	(–)949.21	13,613.54	13,487.34
			(–)126.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 949.21 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
अनुदान		व्यय	(₹ लाख में)

(1) 2700—01—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	51.66		
पुनर्वि.	(—)2.12	49.54	137.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2.12 लाख की कमी रख—रखाव कार्यों का भुगतान, जल उपभोक्ता समिति द्वारा निधि का उपयोग नहीं करने एवं स्वीकृत कार्यों के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3264—मंडल स्थापना—			
मूल	1,075.12		

पुनर्वि.	(—)11.55	1,063.57	1,239.98	+176.41
----------	----------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.55 लाख की कमी के कारण साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में ‘उचंत’ शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ (—)273.68 लाख सम्मिलित है। ‘उचंत’ के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2015—16 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित ‘उचंत’ लेन देन का विश्लेषण विभिन्न ‘उचंत’ उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2015 को नामे+ जमा(—)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2016 को नामे+ जमा(—)
2701—मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(—)838.35	(—)3.52	..	(—)841.87
(ii) भण्डार	+894.30	..	13.35	+880.95
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+2,695.99	(—)270.16	..	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उच्चंत	+147.09	+147.09
कुल	+2,899.03	(—)273.68	13.35	+2,612.00

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम था, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 25.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 9,157.46 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 9,327.80 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 23—जारी

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
		(₹ लाख में)	

(1) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3556—मुख्यालय स्थापना(यूनिट- ।)—			
मूल	608.45		
पूरक	25.00		
पुनर्वि.	(-)105.47	527.98	530.21

+2.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.47 लाख की कमी के कारण साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	6,060.00		
पुनर्वि.	(-)1,051.30	5,008.70	5,054.64

+45.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,051.30 लाख की कमी के कारण साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3556—मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)—			
मूल	782.30		
पुनर्वि.	(-)117.16	665.14	685.23

+20.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.16 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	5,010.00		
पुनर्वि.	(-)1,602.09	3,407.91	2,916.45

(-)491.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,602.09 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू—अर्जन प्रकारणों का निराकरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)390.58	609.42	609.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 390.58 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4700—06—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य—			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,336.60	63.40	63.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,336.60 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(7) 4700—06—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण—

मूल	1,250.00
पुनर्वि.	(-)715.18

534.82

534.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 715.18 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(8) 4700—09—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा संलग्न कार्य—

मूल	3,001.10
पुनर्वि.	(-)262.93

2,738.07

2,676.08

(--)61.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 262.93 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूर्ति का निराकरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(9) 4700—10—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य—

मूल	1,000.00
पुनर्वि.	(-)923.75

76.25

76.24

(--)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 923.75 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 920.00 लाख की कमी, समर्पण द्वारा ₹ 3.75 लाख की अन्य कमी कार्यों की धीमी प्रगति एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के संयुक्त परिणामों के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 4700—11—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य—

मूल	1,000.00
पुनर्वि.	(-)530.51

469.49

469.48

(--)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 530.51 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 365.00 लाख की कमी, समर्पण द्वारा ₹ 165.51 लाख की अन्य कमी, कार्यों की धीमी प्रगति एवं निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति का संयुक्त प्रभाव के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 4701—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा संलग्न कार्य—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण नवीन कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 4701—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा संलग्न कार्य—

मूल	150.00
पुनर्वि.	(-)150.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण, समर्पण द्वारा ₹ 47.25 लाख की कमी, नये योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 102.75 लाख की अन्य कमी जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016), का संयुक्त प्रभाव था।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(13) 4701—38—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (—)366.42	1,633.58	1,633.76	+0.18
--	----------	----------	-------

प्रावधान से ₹ 366.42 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 266.42 लाख की अन्य कमी, निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण हुई हैं, का संयुक्त प्रभाव था।

(14) 4701—80—002—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4793—जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना— मूल 1,478.10 पुनर्वि. (—)263.26	1,214.84	1,210.34	(—)4.50
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 263.26 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4711—01—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6757—खाद्य नियंत्रण परियोजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (—)2,472.35	527.65	515.23	(—)12.42
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,472.35 लाख की कमी के केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालिक स्थापना(यूनिट। एवं।।)— मूल 7,028.75 पुनर्वि. (—)78.00	6,950.75	7,111.27	+160.52
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 4700—02—052—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3402—मशीने तथा उपकरण— मूल 2.50 पुनर्वि. (—)0.02	2.48	415.38	+412.90
---	------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.02 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 4700—12—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 3,400.10 पुनर्वि. 1,121.10	4,521.20	4,430.00	(—)91.20
---	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,121.10 लाख का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,825.00 लाख की वृद्धि, मुख्य कार्य इस वित्त वर्ष के दौरान पूर्ण किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 703.90 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है का निवल प्रभाव था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(4) 4701—03—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बाध तथा संलग्न कार्य—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	303.32	403.32	403.32

प्रावधान में ₹ 303.32 लाख का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की वृद्धि, निर्माण कार्य का भुगतान किए जाने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 96.68 लाख की कमी, निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है, का निवल प्रभाव था।

(5) 4701—10—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बाध तथा संलग्न कार्य—

मूल	250.00		
पुनर्वि.	100.00	350.00	350.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्यों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(x) उच्चांत लेन देन :-

इस अनुदान के पूँजीगत (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उच्चांत शीर्ष के अधीन ₹ 15.08 लाख की राशि सम्मिलित है। उच्चांत के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) पर की गई है।

वर्ष 2015—16 के दौरान इस अनुभाग हेतु उच्चांत लेन देन का विश्लेषण उच्चांत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंतशीर्षों सहित नीचे दिया जा रहा है—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2015 को नामे+ जमा(—)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2016 को नामे+ जमा (—)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—				(₹ लाख में)
(i) क्रय	(—)830.51	(—)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	+346.16
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+1,605.30	15.08	36.85	+1,583.53
(iv) कार्यशाला उच्चांत	(—)76.61	(—)76.61
कुल	+1,044.34	15.08	36.85	+1,022.57

प्रभारित—

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4701—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4948—डिक्री धन का भुगतान—

मूल	20.00		
पुनर्वि.	(—)16.95	3.05	3.05

समर्पण द्वारा विनियोजन से ₹ 16.95 लाख की कमी डिक्री धन के भुगतान हेतु प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

3053—नागर विमानन्

3054—सङ्क तथा सेतु

5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,04,73,822		
पूरक	2,10,000	1,06,83,822	75,36,498
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)31,47,324
..			

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	1,49,42,000		
पूरक	सांकेतिक	1,49,42,000	81,54,426
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)67,87,574
..			

प्रभारित—

मूल	43,830		
पूरक	38,300	82,130	76,353
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)5,777
..			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 31,473.24 लाख की उपलब्ध बचत होने पर भी वर्ष दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, यह अपर्याप्त बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल	वास्तविक
		अनुदान	व्यय
(₹ लाख में)			

(1) 3054—01—337—134—अनुरक्षण और

मरम्मत—साधारण मरम्मत—

मूल	3,400.00		
पूरक	2,100.00	5,500.00	2,945.98
(—)2,554.02			

(2) 3054—03—337—134—अनुरक्षण और

मरम्मत—साधारण मरम्मत

		4,500.00	4,216.60
(—)283.40			

(3) 3054—03—337—1826—डामरीकरण

		2,400.00	234.71
(—)2,165.29			

(4) 3054—03—337—2227—नवीनीकरण

		5,000.00	2,716.98
(—)2,283.02			

(5) 3054—03—337—4090—विशेष मरम्मत—

मूल	4,000.00		
पूरक	सांकेतिक	4,000.00	1,963.48
(—)2,036.52			

(6) 3054—03—797—8716—केन्द्रीय सङ्क निधि

		22,900.00	8,313.00
(—)14,587.00			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(7) 3054—04—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	8,000.00	7,606.83	(—)393.17
(8) 3054—04—337—1826—डामरीकरण	1,500.00	411.67	(—)1,088.33
(9) 3054—04—337—2227—नवीनीकरण	25,500.00	23,475.17	(—)2,024.83
(10) 3054—04—337—4090—विशेष मरम्मत	1,200.00	672.61	(—)527.39
(11) 3054—04—337—4557—सुदृढ़ीकरण	2,200.00	853.46	(—)1,346.54
(12) 3054—04—337—7510—ग्रामीण मार्गों का संधारण 11,200.00		9,193.24	(—)2,006.76
(13) 3054—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7609—ए. डी. बी. सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना का स्थापना व्यय	215.52	81.73	(—)133.79

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत, 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (3), (4), (7), (8), (9) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2009—10 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010—11 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5), (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है, और उसके समतुल्य राशि “3054—सड़कें तथा पुल—800—अन्य व्यय” जिसके लिए अनुदान संख्या 24—“लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल” में प्रावधान किया गया है, के नामें डालकर जमा लेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता”को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है, और बाद में जमा लेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता” को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2016 को जमा लेखे में ₹ 4,838.26 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2015—16 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21—आकर्षिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 67,875.75 लाख की उपलब्ध बचत होने पर भी वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना अप्र्याप्त बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(1) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4151—वृहद पुलों का निर्माण—			
मूल	16,896.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्निर्मि.	(—)2,500.00	14,396.00	8,840.01
			(—)5,555.99

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.00 लाख की कमी व्यय की प्रत्याशित कमी के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(2) 5054—03—337—0520—केन्द्रीय सङ्क निधि— 8716—केन्द्रीय सङ्क निधि	22,900.00	3,565.76	(—)19,334.24
(3) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4336—राज्यों में सङ्कों का निर्माण राज्य मार्ग	23,417.00	11,509.55	(—)11,907.45
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(4) 5054—03—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8716—केन्द्रीय सङ्क निधि	1,000.00	..	(—)1,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)			
(5) 5054—04—337—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	10,992.00	957.12	(—)10,034.88
(6) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण सङ्कों का निर्माण	12,057.00	4,512.67	(—)7,544.33
(7) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों की मुख्य सङ्कों का निर्माण— मूल 42,371.00 पूरक सांकेतिक	42,371.00	39,678.12	(—)2,692.88
(8) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	6,854.00	2,303.07	(—)4,550.93
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(9) 5054—80—190—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 6812—एन्यूटी के अन्तर्गत राज्य में सङ्क निर्माण हेतु निवेश	1,000.00	..	(—)1,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(10) 5054—80—190—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 7593—छत्तीसगढ़ सङ्क विकास निगम मर्यादित— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (—)750.00	4,250.00	..	(—)4,250.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 750.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(1) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3775—रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण— मूल 6,868.00 पुनर्वि. 2,500.00	9,368.00	9,427.96	+59.96

अनुदान संख्या 24—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.00 लाख का आवर्धन ऋणों का भुगतान तथा कार्य की प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(2) 5054—05—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7720—छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम

के माध्यम से सड़कों का निर्माण—

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. 750.00

750.00

750.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 750.00 लाख का आवर्धन मूल बजट में सड़क निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित—

(viii) ₹ 57.77 लाख के उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना अप्र्याप्त बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ix) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	विनियोग	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

5054—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3115—भू—अर्जन हेतु मुआवजा—

मूल 437.00

पूरक 383.00

820.00

763.54

(—)56.46

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	25,28,229			
पूरक	सांकेतिक	25,28,229	21,07,313	(—)4,20,916
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,21,395
(31 मार्च 2016)				
प्रभारित	500		..	(—)500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				500
(31 मार्च 2016)				

पूंजीगत :

दत्तमत	15,96,340	8,40,713	(—)7,55,627
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,55,627
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाः

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,209.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 4,213.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+ बचत(—)
अनुदान (₹ लाख में)			

(1) 2853—02—001—4639—मुख्यालय स्थापना—

मूल	1,196.87			
पुनर्वि.	(—)322.62	874.25	876.54	+2.29

प्रावधान से ₹ 322.62 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की वृद्धि, लम्बित देयकों का भूगतान किए जाने तथा समर्पण द्वारा ₹ 327.62 लाख की कमी, दावे प्राप्त नहीं होने, आर्थिक मितव्ययी उपायों को अपनाने तथा राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई है का निवल प्रभाव था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई थी।

(2) 2853—02—001—4640—जिला स्थापना—

मूल	1,559.20			
पुनर्वि.	(—)108.57	1,450.63	1,470.84	+20.21

प्रावधान से ₹ 108.57 लाख की कमी समर्पण द्वारा ₹ 97.57 लाख की कमी, दावे प्राप्त नहीं होने, आर्थिक मितव्ययी उपायों के अपनाने, जिलों से मांग प्राप्त न होने तथा वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख की अन्य कमी, निलामी प्रक्रिया पूर्ण न होने कारण उल्लिखित की गई है का संयुक्त प्रभाव था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
(3) 2853—02—001—4643—क्षेत्रीय स्थापना—			
मूल	1,176.22		
पूरक	संकेतिक		
पुनर्वि.	(—)226.49	949.73	932.02
			(—)17.71

प्रावधान से ₹ 226.49 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख की वृद्धि, पुरानी गाड़ी को निलामी द्वारा विक्रय किये जाने में नई गाड़ी क्रय किए जाने के कारण तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी, आर्थिक मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण तथा समर्पण द्वारा ₹ 232.49 लाख की अन्य कमी आर्थिक मितव्ययी उपायों के अपनाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है, का निवल प्रभाव था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2853—02—797—5390—खनिज निधि में अंतरण—

मूल	21,350.00		
पुनर्वि.	(—)3,556.27	17,793.73	17,793.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,556.27 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 5.00 लाख का संपूर्ण विनियोजन वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)

4853—01—004—0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—

6701—खनिज निधि से व्यय—

मूल	15,963.04		
पुनर्वि.	(—)7,556.27	8,407.13	8,407.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,556.27 लाख की कमी छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समीति से स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2205—कला एवं संस्कृति

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

**4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं
संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय**

राजस्व :

मूल	3,46,595			
पूरक	73,912	4,20,507	3,45,408	(—)75,099
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				79,573
(31 मार्च 2016)				

पूँजीगत :

मूल	1,15,000			
पूरक	40,000	1,55,000	30,620	(—)1,24,380
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,15,588
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 739.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 750.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 795.73 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2205—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

3077—बहु आयामी संस्कृति
संस्थान—

मूल	125.00		
पुनर्वि.	(—)125.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 125.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2205—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8975—छ.ग. लोक कला संगीत अकादमी

एवं लोकगीतों व लोक

नृत्यों का संरक्षण—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(—)50.10	49.90	49.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.10 लाख की कमी नवीन योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 26—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(3) 2205—103—2685—प्रकाशन खण्ड—

मूल	122.95		
पुनर्वि.	(—)104.86	18.09	18.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.86 लाख की कमी नवीन योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अवकाश यात्रा रियायत का लाभ नहीं लेने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2205—103—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7416—तेरहवां वित्त आयोग की

अनुशंसा के अन्तर्गत

प्राप्त अनुदान—

पूरक	231.00		
पुनर्वि.	(—)48.09	182.91	182.91

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48.09 लाख की कमी कार्य योजना वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2205—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4267—शोध संगोष्ठियां—

मूल	80.00		
पुनर्वि.	(—)74.70	5.30	5.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.70 लाख की कमी कार्य योजना वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2205—104—3675—राज्य पुरालेख

संचालनालय—

मूल	136.46		
पुनर्वि.	(—)110.56	25.90	25.99

+0.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.56 लाख की कमी कर्मचारियों की सेवा निवृति होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं नवीन योजना हेतु स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2205—107—4283—संग्रहालय—

मूल	352.47		
पुनर्वि.	(—)59.36	293.11	292.56

(-)0.55

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 59.36 लाख की कमी अवशेषों का भुगतान नहीं किए जाने, कर्मचारियों की सेवा निवृति होने, मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने, यात्रा दावे प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं कार्य भारित स्थापना के वेतन भत्तों का भुगतान कार्य भारित आकस्मिक स्थापना के स्थान पर वेतन एवं भत्तों के शीर्ष से भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 1,243.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 1,155.88 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 26—समाप्त

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

- (1) 4202-04-106-1302—वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)–

7416—तेरहवां वित्त आयोग की

अनुशंसा के अन्तर्गत

प्राप्त अनुदान—

पूरक 200.00

पुनर्वि. (-)5.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.62 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

- (2) 4202-04-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4283—संग्रहालय—

मूल 150.00

पूनर्वि. (-)150.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार से नवीन योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

- (3) 4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-

3077—बहु आयामी संस्कृति संरथान—

मूल 1,000.00

पनवि. (-)1,000.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख का प्रत्याहरण राज्यांश के अनुरूप केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 27-स्कूल शिक्षा

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष-

- 2202-सामान्य शिक्षा
 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205-कला एवं संस्कृति
 4202-शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं
 संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत-

मूल	3,89,47,860			
पूरक	2,79,150	3,92,27,010	2,96,52,528	(-)95,74,482
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				93,06,401
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित	320	..	(-)320
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत :

दत्तमत-

मूल	11,02,697			
पूरक	2,223	11,04,920	7,75,732	(-)3,29,188
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,37,970
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 2,091.50 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 200.00 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 500.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,791.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 95,744.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 93,064.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
		(₹ लाख में)	

(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-

मूल	6,344.90		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,936.77	5,908.13	5,904.32

(-)3.81

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,936.77 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, राज्य उत्सव की व्यवस्था नहीं किए जाने एवं आऊट सोर्सिंग के लिए आवश्यक कार्यवाहीं नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006-07 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(2) 2202—01—001—3930—विकास खण्ड स्तर कार्यालय की रथापना— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 3,612.40 पुनर्वि. (—)704.10 2,908.30 2,949.64 +41.34			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 704.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं देयकों के लम्बित नहीं रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (3) 2202—01—053—9005—इमारतों का अनुरक्षण

लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत— मूल 11,400.00 पुनर्वि. (—)9,378.06	2,021.94	2,021.94	..
---	----------	----------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,378.06 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (4) 2202—01—101—3491—माध्यमिक शालाएं

(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 22,338.60 पुनर्वि. (—)1,897.62	20,440.98	20,516.57	+75.59
--	-----------	-----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,897.62 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

- (5) 2202—01—101—4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं—

(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 31,880.60 पुनर्वि. (—)7,057.61	24,822.99	25,033.90	+210.91
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,057.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं कोषालय द्वारा देयकों के वापिस किए जाने से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

- (6) 2202—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 47,980.60 पूरक 10.20 पुनर्वि. (—)1,696.47	46,294.33	46,294.85	+0.52
--	-----------	-----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,696.47 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं यात्रा व्यय हेतु राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (7) 2202—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 25,777.10 पूरक 5.30 पुनर्वि. (—)2,381.80	23,400.60	23,402.80	+2.20
--	-----------	-----------	-------

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,381.80 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, यात्रा व्यय हेतु राशि का उपयोग नहीं किए जाने एवं कोषालय द्वारा देयकों के वापिस किए जाने से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य+
		अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)		

(8) 2202–01–102–110—अशासकीय विद्यालयों को

अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—				
मूल	4,500.00			
पुनर्वि.	(–)364.13	4,135.87	4,218.01	+82.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 364.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्राथमिक एवं उच्चतर विद्यालयों के बन्द होने एवं संस्थागत निधि का बालोद जिले में समायोजित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2202–02–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

110—अशासकीय विद्यालयों को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	600.00	258.72	(–)341.28
---	--------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008–09 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2202–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8659—अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति—	3,500.00	3,178.69	3,178.89	+0.20
पुनर्वि.	(–)321.31			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.31 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202–01–107–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3,032.00	1,841.16	(–)1,190.84
--	----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2202–01–107–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7673—विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	300.00	..	(–)300.00
--	--------	----	-----------

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(13) 2202–01–107–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8646—राज्य प्रशिक्षण योजना	200.00	1.66	(–)198.34
----------------------------	--------	------	-----------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(14) 2202—01—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1394—छात्राओं का गणवेश (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,367.00 पुनर्वि. (—)1,202.88	164.12	164.77	+0.65
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,202.88 लाख की कमी अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किए जाने एवं कोषालय द्वारा देयकों के वापिस किए जाने से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2202—01—111—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 1,07,117.00 पुनर्वि. (—)48,191.12	58,925.88	58,925.88	..
--	-----------	-----------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48,191.12 लाख की कमी कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(16) 2202—01—112—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,871.00 पुनर्वि. (—)659.06	3,211.94	3,210.19	(—)1.75
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 659.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण नहीं होने एवं दर्ज संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(17) 2202—01—112—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,506.00 पुनर्वि. (—)558.42	2,947.58	2,928.97	(—)18.61
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 558.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण नहीं होने, दर्ज संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने एवं रसोई घर की छत का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(18) 2202—01—112—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 3,245.00 पुनर्वि. (—)427.60	2,817.40	3,007.94	+190.54
---	----------	----------	---------

(19) 2202—01—112—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,475.00 पुनर्वि. (—)276.73	2,198.27	2,237.03	+38.76
--	----------	----------	--------

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 427.60 लाख एवं ₹ 276.73 लाख की कमी वास्तविक दर्ज संख्या के विरुद्ध कम उपस्थिति रहने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(20) 2202—02—053—9005—इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत—	मूल 800.00 पुनर्वि. (-)249.84	550.16	550.16 ..
(21) 2202—02—053—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9005—इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत—	मूल 700.00 पुनर्वि. (-)183.74	516.26	516.26 ..
			उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 249.84 लाख एवं ₹ 183.74 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयकों को वापिस किए जाने से राशि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।
(22) 2202—02—104—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य सञ्जोदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—	मूल 1,877.50 पुनर्वि. (-)865.69	1,011.81	1,043.39 +31.58
			समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 865.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
(23) 2202—02—105—4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	512.60	373.25	(-)139.35
(24) 2202—02—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6744—एजुसेट कार्यक्रम	156.00	44.71	(-)111.29
			उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।
(25) 2202—02—109—578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—	मूल 16,273.10 पुनर्वि. (-)670.65	15,602.45	15,640.64 +38.19
			समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 670.65 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 404.29 लाख), कोषालय द्वारा देयक वापिस किए जाने से राशि का आहरण (₹ 110.87 लाख) नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 155.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
(26) 2202—02—109—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7331—बालिका प्रोत्साहन योजना—	मूल 850.00 पुनर्वि. (-)850.00	..	1.08 +1.08
			समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 850.00 लाख का प्रत्याहरण योजना अधिक समय से अस्तित्व में नहीं रहने से भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
			चूंकि इस शीर्षान्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 850.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण कर दिया गया था, ₹ 1.08 लाख का व्यय जो कि बिना बजट प्रावधान के व्यय किए जाने का परिणाम है।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(27) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-

7247-राष्ट्रीय माध्यमिक

शिक्षा अभियान-

मूल 25,000.00

पुनर्वि. (-)10,176.31

14,823.69

14,823.69

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,176.31 लाख की कमी कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने एवं कोषालय द्वारा देयक वापिस किए जाने से राशि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(28) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

578-उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय-

मूल 37,839.00

पुनर्वि. (-)1,711.46

36,127.54

36,168.98

+41.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,711.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009-10 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई।

(29) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7367-मॉडल स्कूल योजना-

पूरक 576.00

576.00

(-)576.00

₹ 576.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(30) 2202-02-110-110-अशासकीय विद्यालयों को

अनुदान (मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए)-

मूल 6,000.00

पुनर्वि. (-)156.28

5,843.72

5,843.94

+0.22

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5646-सैनिक स्कूल

की स्थापना-

मूल 300.00

पुनर्वि. (-)100.00

200.00

200.00

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(32) 2202-80-001-3858-लोक शिक्षण

संचालनालय-

मूल 790.40

पुनर्वि. (-)147.46

642.94

636.22

(-)6.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कम देयक प्राप्त होने, नया रायपुर में संचालनालय का स्थानान्तरण किए जाने, नवीन प्रकाशकों द्वारा पुस्तकों उपलब्ध नहीं कराए जाने, देयकों के लम्बित नहीं होने, यूरोपीय कमीशन से कम्प्यूटर क्रय किए जाने एवं राज्य उत्सव का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(33) 2202-80-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)–

5526—मदरसा बोर्ड
का गठन—
मूल 512.40
पुनर्वि. (-)409.93

102.47 102.47 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 409.93 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल 1,511.50 1,085.18 (-)426.32

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :–

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)–

5551—हाईस्कूल की छात्राओं
को निःशुल्क सायकल
प्रदाय—

मूल 1,500.00
पुनर्वि. (-)44.01 1,455.99 1,649.44 +193.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 44.01 लाख की कमी वास्तविक दर्ज संख्या के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) ₹ 3.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2014-15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 22.23 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 3,291.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 3,379.70 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :–

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)–

3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत चूनतम सेवाओं के लिए)–

मूल 300.00
पूरक 11.38
पुनर्वि. (-)288.62 22.76 22.76 ..

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 4202—01—201—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4396—सरकारी प्राथमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	500.00		
पूरक	10.85		
पुनर्वि.	(-)500.00	10.85	98.77
			+87.92

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 288.62 लाख एवं ₹ 500.00 लाख की कमी राज्य शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 4202—01—201—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	
7657—विज्ञान केन्द्र	
की स्थापना—	
मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00
	..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4202—01—202—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—	
7367—मॉडल स्कूल	
योजना—	
मूल	2,527.24
पुनर्वि.	(-)790.08
	1,737.16
	1,737.16
	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 790.08 लाख की कमी चालू कार्य हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	
5646—सैनिक स्कूल	
की स्थापना—	
मूल	1,500.00
पुनर्वि.	(-)1,500.00
	..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	
578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—	
मूल	200.00
पूरक	(-)200.00
	..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख की प्रत्याहरण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कोषालय में देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय

आधिक्य+
बचत(—)

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	4,79,080			
-----	----------	--	--	--

पूरक	4,000	4,83,080	3,14,629	(—)1,68,451
------	-------	----------	----------	-------------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,390
------------------------------	--	--	--	-------

(31 मार्च 2016)				
-----------------	--	--	--	--

प्रभारित	7,900	2,479	(—)5,421	
----------	-------	-------	----------	--

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
------------------------------	--	--	--	----

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 40.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,684.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 33.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2011—02—101—4007—विधान सभा—

मूल	2,897.50			
पूरक	40.00	2,937.50	2,067.02	(—)870.48

(2) 2011—02—103—4009—विधान सभा सचिवालय 1,719.00 999.22 (—)719.78

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2004—05 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006—07 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2011—02—103—4312—संसदीय कार्य विभाग—

मूल	104.30			
पुनर्वि.	(—)33.90	70.40	69.83	(—)0.57

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, यात्रा व्यय में कमी किए जाने एवं पुस्तकें क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2011—02—103—6582—भारतीय संसदीय

संघ को सहायक अनुदान	70.00	10.22	(—)59.78
---------------------	-------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 54.21 लाख की उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्षक	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

2011–02–101–125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

का यात्रा भत्ता	79.00	24.79	(-)54.21
-----------------	-------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2004–05 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2014—न्याय प्रशासन

2015—निर्वाचन

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	25,38,270			
पूरक	2,02,875	27,41,145	21,18,527	(-)6,22,618
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,25,233
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित—

मूल	4,72,830			
पूरक	6,440	4,79,270	3,61,047	(-)1,18,223
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,20,566
(31 मार्च 2016)				

पूँजीगत :

दत्तमत	7,40,000	1,55,000	(-)5,85,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 21,185.27 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2015 (₹ 1,811.50 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 217.25 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,028.75 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 6,226.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 6,255.33 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2014—102—5421—छत्तीसगढ़ राज्य

न्यायिक अकादमी—

मूल	535.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)207.96	377.04	375.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 207.96 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने के कारण ₹ 168.96 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 39.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(2) 2014—105—2410—निर्वाह पत्रतामिल

स्थापना—

मूल	1,387.40			
पुनर्वि.	(—)461.16	926.24	921.86	(—)4.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 461.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2014—105—4497—सामान्य स्थापना—

मूल	13,696.30			
पुनर्वि.	(—)2,983.20	10,713.10	10,710.42	(—)2.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 2,983.20 लाख की कमी में से ₹ 2,736.57 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं जिला न्यायालयों की स्थापना नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 246.63 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2014—114—3428—महाधिवक्ता—

मूल	687.20			
पूरक	14.90			
पुनर्वि.	(—)55.57	646.53	631.36	(—)15.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 55.57 लाख की कमी में से ₹ 41.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 13.71 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2014—114—3572—मुफस्सिल स्थापना—

मूल	949.10			
पूरक	17.25			
पुनर्वि.	(—)263.82	702.53	702.50	(—)0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 263.82 लाख की कमी में से ₹ 109.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 104.23 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2014—117—5416—परिवार न्यायालय

की स्थापना—

मूल	1,398.10			
पुनर्वि.	(—)451.16	946.94	946.35	(—)0.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 451.16 लाख की कमी में से ₹ 393.55 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों का भुगतान मजदूरी मद से किए जाने एवं वाहनों का क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 57.61 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2014—118—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण—

मूल	334.00			
पुनर्वि.	(—)126.20	207.80	207.43	(—)0.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 126.20 लाख की कमी में से ₹ 81.71 लाख की कमी अनुपूरक प्रावधान में निधि का प्रावधान नहीं किए जाने से कार्य के अपूर्ण रहने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 44.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(8) 2014—800—2918—बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता—

मूल	150.00			
पुनर्वि.	(-)128.92	21.08	23.74	+2.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 128.92 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2015—102—2409—निर्वाचन अधिकारी—

मूल	1,323.00			
पुनर्वि.	(-)519.59	803.41	805.16	+1.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 519.59 लाख की कमी में से ₹ 516.71 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 2.88 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2015—103—3307—मतदाता सूचियॉ

तैयार करना एवं मुद्रण—

मूल	1,650.00			
पूरक	700.00			
पुनर्वि.	(-)130.39	2,219.61	2,219.86	+0.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.39 लाख की कमी बी. एल. ओ. के मानदेय दर में कमी होने एवं विक्रेता से मतदाता सूची निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2015—108—9503—मतदाताओं को फोटो

परिचय पत्र जारी करना—

मूल	300.00			
पुनर्वि.	(-)163.62	136.38	136.38	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 163.62 लाख की कमी में से ₹ 103.62 लाख की कमी निर्धारित समय पर मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 60.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2052—090—9057—विधि एवं

विधायी कार्य—

मूल	685.00			
पुनर्वि.	(-)168.86	516.14	517.76	+1.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 168.86 लाख की कमी में से ₹ 134.15 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 34.71 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2235—60—200—3255—विधिक सहायता

तथा विधिक सलाह बोर्ड को

सहायक अनुदान—

मूल	1,313.10			
पुनर्वि.	(-)387.95	925.15	937.87	+12.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 387.95 लाख की कमी में से ₹ 363.18 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने यात्रा एवं स्थानान्तरण देयक प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 24.77 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 1,182.23 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,205.66 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2014—102—573—उच्च न्यायालय—

मूल	4,549.80		
पूरक	64.40		
पुनर्वि.	(-) 1,123.04	3,491.16	3,514.85

+23.69

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 1,123.04 लाख की कमी में से ₹ 1,098.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सामग्री क्रय नहीं किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को मजदूरी मद से भुगतान किए जाने, सम्मेलन का आयोजन नहीं किए जाने, विकेताओं से दावे प्राप्त नहीं होने, नये न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने एवं यात्रा एवं स्थानांतरण दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 24.18 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2052—091—9056—माध्यरथम

आधिकरण—

मूल	178.50		
पुनर्वि.	(-) 82.61	95.89	95.62

(-)0.27

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने, अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने एवं सामग्री क्रय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 5,850.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2450—न्याय प्रशासन	2,200.00	..	(-)2,200.00
--------------------	----------	----	-------------

₹ 2,200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5421—छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी	2,600.00	750.00	(-)1,850.00
--	----------	--------	-------------

(3) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5464—हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	2,600.00	800.00	(-)1,800.00
---	----------	--------	-------------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2216—आवास
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्राम रोजगार
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 3054—सड़कें तथा सेतु
- 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,40,26,407			
पूरक	1,04,996	2,41,31,403	1,27,95,973	(−)1,13,35,430
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,15,32,131

प्रभारित—

मूल	200	..	(−)200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			200

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	95,15,500			
पूरक	4,00,000	99,15,500	67,38,258	(−)31,77,242
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				19,55,812

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम था, जुलाई 2015 (₹ 634.96 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 415.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,049.96 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,13,354.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,15,321.31 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
			(₹ लाख में)

(1) 2215—02—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत अभियान—

मूल	15,000.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(−)3,558.19	11,441.81	11,319.14

(−)122.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,558.19 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(2) 2216—03—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6549—इंदिरा आवास योजना— मूल 25,000.00 पुनर्वि. (—)15,683.89 9,316.11 9,314.11 (—)2.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,683.89 लाख की कमी केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 2235—60—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8968—अटल खेतिहार मजदूर बीमा योजना— मूल 1,270.00 पुनर्वि. (—)906.91 363.09 357.48 (—)5.61

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 906.91 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 2501—02—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 3,757.50 पूरक 418.00 पुनर्वि. (—)239.35 3,936.15 3,936.15 ..
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 239.35 लाख की कमी केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2501—02—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7590—नीरांचल परियोजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2501—06—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 7,750.00 पुनर्वि. (—)4,423.76 3,326.24 3,326.24 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,423.76 लाख की कमी केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2501—06—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8775—प्रशासन योजना जिला स्तर— मूल 300.00 पूरक 216.96 516.96 435.45 (—)81.51

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(8) 2505—60—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना—

मूल	191.00		
पुनर्वि.	(-)36.00	155.00	103.49
			(-)51.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 36.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2505—60—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी योजना—

मूल	1,37,500.00		
पुनर्वि.	(-)76,070.70	61,429.30	61,429.30
			..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76,070.00 लाख की कमी राज्यांश के समतुल्य राशि (₹ 75,520.70 लाख) जारी किए जाने एवं जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹ 550.00 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2515—001—1033—विकास खंड कार्यालय—

मूल	2,523.60		
पुनर्वि.	(-)3.42	2,520.18	2,034.79
			(-)485.39

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.42 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3926—विकास आयुक्त—
मूल 331.10
पुनर्वि. (--)48.27

मूल	331.10		
पुनर्वि.	(--)48.27	282.83	217.41
			(-)65.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48.27 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2515—101—2467—पंचायत संचालनालय—

मूल	177.20		
पुनर्वि.	(--)115.09	62.11	66.34
			+4.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 115.09 लाख की कमी में से ₹ 69.11 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 55.11 लाख), वाहनों के क्रय किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 5.50 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 8.50 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 45.98 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2515—101—2474—पंचायती राज संस्थाओं

से संबंधित प्रभार—			
मूल	8,600.42		
पुनर्वि.	(-)4,906.61	3,693.81	7,335.57
			+3,641.76

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 4,906.61 लाख की कमी में से ₹ 2,077.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 2,829.21 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(14) 2515—101—5575—त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)92.49	7.51	7.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.49 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2515—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7687—मुख्य मंत्री पंचायत			
सशक्तीकरण योजना—			
पूरक	415.00		
पुनर्वि.	(-)415.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 415.00 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(16) 2515—102—1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—

मूल	3,149.20		
पुनर्वि.	(-)164.59	2,984.61	2,716.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 164.59 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(17) 2515—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7645—ग्रामीण सड़क नेटवर्क			
प्रबंधन इकाई—			
पूरक	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(18) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—			
मूल	2,072.50		
पुनर्वि.	(-)699.84	1,372.66	1,226.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 699.84 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(19) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4855—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना—			
मूल	4,707.90		
पुनर्वि.	(-)1,042.21	3,665.69	3,484.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,042.21 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना—			
मूल	2,890.40		
पुनर्वि.	(-)802.17	2,088.23	1,757.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 802.17 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(21) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7644—ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण			
एवं अनुसंधान केन्द्र—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)180.00	20.00	(—)20.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(22) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7645—ग्रामीण सड़क नेटवर्क			
प्रबंधन इकाई—			
मूल	535.00		
पुनर्वि.	(—)535.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 535.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(23) 3054—04—337—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

4855—प्रधान मंत्री ग्राम			
सड़क योजना—			
मूल	20,000.00		
पुनर्वि.	(—)5,000.00	15,000.00	15,000.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.00 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1033—विकास खंड			
कार्यालय—			
मूल	3,227.25		
पुनर्वि.	(—)5.17	3,222.08	3,369.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.17 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) ₹ 2.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम था, मार्च 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 4,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 31,772.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 19,558.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 30—जारी

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-

7644—ग्रामीण सङ्क सम्पर्क प्रशिक्षण
एवं अनुसंधान केन्द्र—
मूल 300.00
पुनर्वि. (-)300.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4515-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-

7645-ग्रामीण सङ्क नेटवर्क
प्रबंधन इकाई—

मूल	2,000.00
पुनर्वि.	(-)2,000.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,000.00 लाख का प्रत्याहरण कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7658—सांसद आदर्श ग्राम योजना 1,000.00

(4) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7659—विधायक आदर्श ग्राम योजना 1,000.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(5) 5054-04-337-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-

4855—प्रधानमंत्री ग्राम				
सडक योजना—				
मूल	37,500.00			
पुनर्वि.	(-)1.50	37,498.50	33,356.50	(-)4,142.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.50 लाख की कमी केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना से केन्द्र प्रवर्तित योजना में स्थानांतरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054-04-337-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—	
पूरक	4,000.00
पुनर्वि.	(-) ^{96.00} 3,904.00 3,904.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(7) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क				
एवं विकास योजना—				
मूल	35,000.00			
पूरक	साकेतिक			
पुनर्वि.	(—)16,555.00	18,445.00	14,406.71	(—)4,038.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16,555.00 लाख की कमी अनुबंध में विलम्ब होने के कारण योजना आगामी वित्त वर्ष 2016–17 में निष्पादित की जावेगी। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(8) 5054—04—337—0311—नाबाड़ पोषित योजनायें (सामान्य)—

8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव

पथ योजना—

मूल 12,500.00

पुनर्वि. (—)600.50

11,899.50

9,128.51

(—)2,770.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 600.50 लाख की कमी अनुबंध में विलम्ब होने के कारण योजना आगामी वित्त वर्ष 2016—17 में निषादित की जावेगी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व :

दतमत—

मूल	3,94,217			
पूरक	5,490	3,99,707	2,09,554	(—)1,90,153
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,89,897
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित	40			(—)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40

(31 मार्च 2016)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दतमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 54.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,901.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 1,898.97 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 3451—101—3686—राज्य योजना आयोग—

मूल	350.70		
पुनर्वि.	(—)188.35	162.35	162.35

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 3451—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोनाएं (सामान्य)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी			
कार्यक्रम के अंतर्गत			

प्राप्त अनुदान—

मूल	70.35		
पूरक	(—)70.35		

आधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 0.10 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.25 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 70.35 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2004—05 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 31—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
(3) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7639—राज्य योजना का			
सुदृढ़ीकरण मूल्यांकन			
एवं अनुसंधान—			
मूल	100.00		
पूरक	(-)90.57	9.43	9.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.57 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			..
(4) 3454-02-111-1430-जन्म मृत्यु सम्बन्धी			
आंकड़ों का संकलन—			
मूल	236.00		
पूरक	8.00		
पुनर्वि.	(-)80.61	163.39	162.71
(−)0.68			
(5) 3454-02-111-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
5501—नागरिकता पंजीयन एवं			
जन्म—मृत्यु साँखियकी प्रणाली			
का सुदृढ़ीकरण—			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)55.73	14.27	14.27
..			..
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 80.61 लाख एवं ₹ 55.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(6) 3454-02-111-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7413—राज्य साँखियकी प्रणाली			
का सुदृढ़ीकरण—			
मूल	1,036.70		
पुनर्वि.	(-)1,036.70
..			..
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,036.70 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(7) 3454-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6562—जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण			
अधिनियम 1969 का			
प्रभावी कार्यान्वयन—			
मूल	62.10		
पूरक	2.00		
पुनर्वि.	(-)56.27	7.83	7.83
..			..
(8) 3454-02-205-8048-आर्थिक एवं			
साँखियकी संचालनालय—			
मूल	1,790.50		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)294.18	1,506.32	1,505.21
(−)1.11			
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 56.27 लाख एवं ₹ 294.18 लाख की कमी के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 31—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

3454—02—205—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य

साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत

प्राप्त अनुदान—

मूल 22.00

पुनर्वि. 69.31 91.31 91.31 ..

मानदेय का भुगतान किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69.31 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.94 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 69.31 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

मुख्य शीर्ष—

- 2015—निर्वाचन
- 2029—भू—राजस्व
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर
- 2051—लोक सेवा आयोग
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2056—जेल
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेल और युवा कल्याण
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जलपूर्ति तथा सफाई
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2403—पशुपालन
- 2405—मछली पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2425—सहकारिता
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2701—मध्यम सिंचाई
- 2702—लघु सिंचाई
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
- 3054—सड़क तथा सेतु
- 3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- 4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32—जारी

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	9,51,980			
पूरक	40,000	9,91,980	8,08,759	(-)1,83,221
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,91,730
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित—

मूल	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10
(31 मार्च 2016)			

पूँजीगत :

दत्तमत	200	193	(-)7
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,832.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,917.30 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2039—001—3956—विज्ञापन, बिक्री

और प्रचार व्यय—

मूल.	650.00		
पुनर्वि.	(-)581.33	68.67	68.67

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 96.35 लाख एवं समर्पण द्वारा अन्य ₹ 484.98 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 581.33 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2215—01—800—3956—विज्ञापन, बिक्री

और प्रचार व्यय—

मूल.	275.00		
पुनर्वि.	(-)136.30	138.70	138.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.30 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 2220—01—001—2320—निर्देशन और प्रशासन—

मूल	3,777.80		
पूरक	400.00		
पुनर्वि.	(-)452.44	3,725.36	3,829.33

+103.97

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख एवं समर्पण द्वारा अन्य ₹ 447.44 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 452.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(4) 2220—60—106—1479—जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना—			
मूल 904.00			
पुनर्वि. (—)124.35	779.65	779.42	(—)0.23
(5) 2220—60—106—4065—विशेष अवसरों पर प्रचार—			
मूल 300.00			
पुनर्वि. (—)238.47	61.53	61.53	
(6) 2701—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल 385.00			
पुनर्वि. (—)177.55	207.45	207.45	
(7) 3054—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल 600.00			
पुनर्वि. (—)176.48	423.52	423.52	

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 124.35 लाख, ₹ 238.47 लाख, ₹ 177.55 लाख एवं ₹ 176.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 2029—001—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल. 11.00			
पुनर्वि. 23.77	34.77	34.77	
(2) 2210—80—800—3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—			
मूल. 22.00			
पुनर्वि. 24.41	46.41	46.41	

लम्बित देयकों के भुगतान के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.59 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 24.41 लाख का आवर्धन हुआ है, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,55,92,945			
पूरक	9,400	1,56,02,345	1,49,19,452	(—)6,82,893
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,72,029
(31 मार्च 2016)				
प्रभारित		100	..	(—) 100
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				100
(31 मार्च 2016)				

पूंजीगत :

दत्तमत		500	500	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 94.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनवाश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 6,828.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 10,720.29 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2202—01—001—2721—प्रशासन का सुदृढ़ीकरण विकास खण्ड स्तर—

मूल	3,078.80		
पुनर्वि.	(—)431.55	2,647.25	2,676.92

(2) 2202—01—101—2772—प्राथमिक शालाएं—

मूल	37,258.10		
पुनर्वि.	(—)2,363.85	34,894.25	35,777.47

(3) 2202—01—101—495—आश्रम और शालाएं—

मूल	7,278.50		
पुनर्वि.	(—)1,788.34	5,490.16	5,816.06

+325.90

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2202—02—109—1395—छात्रावास—			
मूल	10,235.20		
पुनर्वि.	(-)1,900.09	8,335.11	8,519.66
			+184.55
(5) 2202—02—109—363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	808.50		
पुनर्वि.	(-)128.57	679.93	689.61
			+9.68
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 431.55 लाख, ₹ 2,363.85 लाख, ₹ 1,788.34 लाख, ₹ 1,900.09 लाख एवं ₹ 128.57 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), (2) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202—02—109—583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं—			
मूल	22,356.50		
पुनर्वि.	(-)2,564.25	19,792.25	21,178.74
			+1,386.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,648.15 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 916.10 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,564.25 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, उभय कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(7) 2202—02—109—761—कन्या शिक्षा			
परिसर—			
मूल	685.60		
पूरक	94.00		
पुनर्वि.	(-)104.82	674.78	682.53
			+7.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202—02—109—979—क्रीड़ा परिसर—			
मूल	1,016.75		
पुनर्वि.	(-)192.50	824.25	891.78
			+67.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.50 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202—02—110—307—अशासकीय संस्थानों का अंशदान—			
मूल	3,916.00		
पुनर्वि.	(-)642.97	3,273.03	3,527.19
			+254.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 642.97 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(10) 2225—02—001—3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास—			
मूल	746.00		
पुनर्वि.	(-)141.99	604.01	604.79
			+0.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.99 लाख की कमी में से ₹ 94.39 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 72.02 लाख) नहीं किए जाने एवं निधि की मांग (₹ 22.37 लाख) प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 47.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(11) 2225—02—001—6130—संचालनालय—

मूल	1,083.85		
पुनर्वि.	(-)221.17	862.68	879.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.17 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2515—101—5495—मुख्य कार्यकारी

आधिकारियों का वेतन—

मूल	1,779.25		
पुनर्वि.	(-)194.24	1,585.01	1,632.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 194.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2202—02—109—3492—माध्यमिक विद्यालय—

मूल	61,654.00		
पुनर्वि.	916.10	62,570.10	62,404.28

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,974.80 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,058.70 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 916.10 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—	7,07,543	5,56,730	(-)1,50,813
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			1,52,692
प्रभारित	40	..	(-)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			40
पूँजीगत	1,000	1,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणी:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,508.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,526.92 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन विनियोग पर कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2235—02—001—2322—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल	1,443.60		
पुनर्वि.	(-)192.36	1,251.24	1,245.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.36 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2235—02—101—3921—निःशक्तजनों की

सहायता के लिये

योजना—

मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)106.85	93.15	99.32

+6.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.85 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 2235—02—101—79—अंधे, बहरे तथा गूँगों

के लिए शाला

तथा संरथाएं—

मूल	843.40		
पुनर्वि.	(-)162.96	680.44	680.35

(-)0.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235—02—101—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7491—नि:शक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(5) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3921—नि:शक्त जनों की सहायता के लिये योजना— मूल 285.00 पुनर्वि. (-)80.74	204.26	216.18	+11.92
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.74 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5650—जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र— मूल 70.00 पुनर्वि. (-)50.30	19.70	19.61	(-)0.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.30 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2235—02—104—8980—नि:शक्तता स्वाभिमान एवं संबल योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)93.00	107.00	102.00	(-)5.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(8) 2235—02—106—3339—छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं— मूल 342.15 पुनर्वि. (-)275.42	66.73	68.09	+1.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 275.42 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2235—02—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3339—छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं— मूल 81.00 पुनर्वि. (-)57.23	23.77	23.59	(-)0.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.23 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(10) 2235—02—200—795—कला पथक—

मूल	288.90		
पुनर्वि.	(-)77.65	211.25	211.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के भी दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 35—पुर्नवास

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

राजस्व	15,502	14,487	(—)1,015
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			1,252

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 10.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 12.52 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन विनियोग पर कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2235—01—200—4625—स्थायी दायित्व गृह

माना, जिला रायपुर

का संचालन—

मूल	127.56		
पुनर्वि.	(—)6.57	120.99	122.01

+1.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.57 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2003—04 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद

2041—वाहन कर

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	5,69,009		
पूरक	7,600	5,76,609	3,27,652
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(−)2,48,957
(31 मार्च 2016)			2,35,569
प्रभारित		2,010	722
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(−)1,288
(31 मार्च 2016)			10

पूंजीगत:

दत्तमत	10,000	10,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 76.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 2,489.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 2,355.69 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ लाख में)			
(1) 2013—108—3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	246.40	212.82	(−)33.58
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 2041—001—3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	494.65		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(−)193.90	300.75	299.70
			(−)1.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.90 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2041—001—5379—राज्य परिवहन	88.65	52.66	(−)35.99
अपीलीय अधिकरण			
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(4) 2041-101-4280—संग्रह प्रभार—

ਮੂਲ ਪੁੱਣੀ.	2,525.80			
	(-)1,596.61	929.19	933.21	+4.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,596.61 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सुचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008–09 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षन्तरगत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2041-102-679-इनफोर्समेंट-

मूल 1,148.55
पुनर्दिन (-)553.29 595.26 592.94 (-)2.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 553.29 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007–08 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2070-114-3598-मोटर गैरेज-

मूल 924.04
प्रक 76.00 1,000.04 941.97 (-)58.07

बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 12.88 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 0.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन विनियोग पर कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2070—114—3598—मोटर गैरेज	20.00	7.22	(-)12.78

बचत के कारण सूचत नहीं किए गए हैं (जुलाइ 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दारान भा.इस शाषान्तरण बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—**3452—पर्यटन****5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय**

राजस्व: वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	5,93,600	1,66,900	(—)4,26,700 4,26,700
---	----------	----------	-------------------------

पूँजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	1,60,000	..	(—)1,60,000 1,60,000
---	----------	----	-------------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :**(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 3452—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3239—छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान— मूल 5,601.00 पुनर्वि. (—)4,007.00	1,594.00	1,594.00	..
---	----------	----------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,007.00 लाख की कमी वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 3452—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7323—भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान— मूल 335.00 पुनर्वि. (—)260.00	75.00	75.00	..
--	-------	-------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 260.00 लाख की कमी वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से अवशिष्ट राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:**(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 5452—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7009—पर्यटन केन्द्रों का विकास— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (—)1,500.00
--	----	----	----

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 37—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5613—जिलों में नवीन टूरिस्ट

मोटल्स का निर्माण—

मूल 100.00

पुनर्वि. (-)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

4408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय

6408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	5,32,96,310			
पूरक	1,794	5,32,98,104	3,71,45,389	(—)1,61,52,715
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,61,55,349
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2016)

50

..

(—)50

50

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	5,25,040			
पूरक	10,760	5,35,800	3,80,173	(—)1,55,627
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,55,627
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 17.94 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,61,527.15 लाख की उपलब्ध के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया 1,61,553.49 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2408—01—001—629—उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ—

मूल	1,002.70		
पूनर्वि.	(—)277.61	725.09	719.51

(—)5.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 277.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 251.78 लाख) नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 25.83 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2408—01—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली

का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण—

मूल

102.00

पूनर्वि.

(—)102.00

..

..

..

अनुदान संख्या 39—जारी

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 102.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007–08 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	-----------------------------------

(3) 2408–01–102–3229—नागरिक आपूर्ति निगम को

खाद्यान्न उपार्जन में हुई
हानि की प्रतिपूर्ति—

मूल	200.00
पूनर्वि.	(–)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2408–01–102–3248—राज्य सहकारी विपणन

संघ को खाद्यान्य उपार्जन में हुई
हानि की प्रतिपूर्ति—

मूल	2,28,800.00
पूनर्वि.	(–)53,800.00

1,75,000.00

1,75,000.00

(5) 2408–01–102–8674—राज्य सहकारी विपणन

संघ को खाद्यान्य उपार्जन में
हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति—

मूल	76,800.00
पूनर्वि.	(–)66,800.00

10,000.00

10,000.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 53,800.00 लाख एवं ₹ 66,800.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2408–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5456—अंत्योदय अन्न योजना—
मूल 2,250.00
पूनर्वि. (–)2,250.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,250.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2408–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5591—अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों
को प्रोत्साहन सहायता—
मूल 300.00
पूनर्वि. (–)296.50

3.50

3.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.50 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2408–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न
सहायता योजना—
मूल 2,10,000.00
पूनर्वि. (–)31,762.04

1,78,237.96

1,78,235.54

(–)2.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 31,762.04 लाख की कुल कमी में से ₹ 31,662.67 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। शेष ₹ 99.38 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(9) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8673—कोर पी.डी.एस.
मेरी मर्जी योजना”—
मूल 175.00
पूनर्वि. (-)175.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 175.00 लाख का प्रत्याहरण वर्ष के दौरान निधि के अप्रयुक्त करने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8933—शक्कर वितरण योजना—
मूल 2,250.00
पूनर्वि. (-)681.84

1,568.16

1,568.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 681.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(11) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8999—मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना—
मूल 3,600.00
पूनर्वि. (-)1,209.58

2,390.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,209.58 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9993—रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान—
मूल 4,950.00
पूनर्वि. (-)3,846.22

1,103.78

1,103.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,846.22 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 107.60 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 4408—02—195—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8895—ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान—सह—गोदाम
निर्माण योजना वितरण—
मूल 0.10
पूरक 107.60
पुनर्वि. (-)107.70

..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 107.70 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(2) 6408—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6914—पहुंच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा

ऋतु में खाद्यान्न भण्डारण

हेतु सहायता—

मूल 250.00

पुनर्वि. (—)131.74

118.26

118.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 131.74 लाख की कमी वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 6408—02—190—0311—नाबाड़ पोषित योजनायें (सामान्य)—

8545—नाबाड़ सहायता से

गोदाम निर्माण—

मूल 5,000.00

पुनर्वि. (—)1,316.53

3,683.47

3,683.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,316.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2705—कमान क्षेत्र विकास

4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :	42,314	30,901	(—)11,413
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,482
(31 मार्च 2016)			
पूँजीगत :	3,55,000	1,83,319	(—)1,71,681
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,70,196
(31 मार्च 2016)			
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 114.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 14.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6305—सिंचाई सहभागिता प्रबंध

समितियों को अनुदान

200.00 98.19 (—)101.81

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iii) ₹ 1,716.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 1,701.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

2823—फील्ड चेनल्स

का निर्माण—

मूल 3,000.00

पुनर्वि. (—)1,701.95

1,298.05

1,332.55

+34.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,701.95 लाख की कमी जल उपभोक्ता अभिकरणों से संबंधित नीति में परिवर्तन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 के एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4705—209—0101—राज्य आयोजन (सामान्य)—

2823—फील्ड चेनल्स का निर्माण

275.00

225.65

(—)49.35

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 40—समाप्त

(v) उचंत लेन देनः—

उचंत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है।

विभिन्न उप—शीर्षों के अन्तर्गत 2015–16 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन—देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दी गई है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2015 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2016 को नामे + जमा (-)
-------	--	--------------------------	-------------------------	---

4701—मध्यम सिंचाई पर

पूँजीगत परिव्यय—

(₹ लाख में)

(1) क्रय	(-)-4.74	(-)-4.74
(2) भण्डार	(-)-0.03	(-)-0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	+15.07
योग	+10.30	+10.30

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2215—जलपूर्ति तथा सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
- 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्राम रोजगार
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 3275—अन्य संचार सेवाएं
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जलपूर्ति और मल प्रत्याहरण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4801—विद्युत परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
- 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
- 6401—कृषि कार्य के लिए कर्ज
- 6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज
- 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 41—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	9,05,50,225			
पूरक	49,93,149	9,55,43,374	6,40,81,512	(—)3,14,61,862
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,10,83,505
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित		10		(—)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..	10

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	2,14,47,690			
पूरक	20,90,455	2,35,38,145	1,66,68,470	(—)68,69,675
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				58,58,243
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित		1,500	10,647	+9,147
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,500	

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 11,121.02 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 705.91 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 38,104.56 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 49,931.49 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 3,14,618.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 3,10,835.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2202—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

मूल	11,304.50		
पुनर्वि.	(—)1,255.71	10,048.79	10,033.86

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 417.00 लाख की वृद्धि, समर्पण द्वारा ₹ 1,471.71 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 201.00 लाख की अन्य कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,255.71 लाख की कमी उल्लिखित की गई हैं। वृद्धि मजदूरी हेतु मांग किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2202—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

मूल	925.00		
पुनर्वि.	(—)258.08	666.92	633.76

(—)33.16

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.08 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010–11 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई हैं।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(3) 2202–01–796–108–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5904—निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (–)1,800.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,800.00 लाख का प्रत्याहरण कोषालयों द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(4) 2202–01–796–109–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979—एकीकृत अम्बेला योजना— मूल 13,500.00 पुनर्वि. (–)3,746.32 9,753.68 9,751.42 (–)2.26			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,746.32 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009–10 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202–01–796–109–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1394—छात्राओं का गणवेश (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए) मूल 1,900.00 पुनर्वि. (–)1,762.59 137.41 144.87 +7.46			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,762.59 लाख की कमी कोषालयों द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने से राशि आहरित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(6) 2202–01–796–109–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (–)2,500.31 4,499.69 4,623.12 +123.43			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.31 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202–01–796–109–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7437—मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 999.30 पुनर्वि. (–)288.80 710.50 716.22 +5.72			
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 288.80 लाख कमी में से ₹ 181.80 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। शेष ₹ 107.00 लाख के कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	

(8) 2202-01-796-111-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)

5396—सर्व शिक्षा अभियान—

मूल 81,409.00

पुनर्वि. (−)34,965.33

46,443.67

46,443.67

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 34,965.33 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। इस शीर्षान्तर्गत 2009-10 से 2014-15 के दौरान निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5169—विद्यालयों में मध्यान्ह

भोजन कार्यक्रम—

मूल 4,667.00

पुनर्वि. (−)589.08

4,077.92

3,968.66

(−)109.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 589.08 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009-10 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों

में मध्यान्ह भोजन

कार्यक्रम—

मूल 3,665.00

पुनर्वि. (−)467.64

3,197.36

3,197.36

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 467.64 लाख की कमी छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2009-10 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2202-02-796-104-1202—विदेशी सहयता प्राप्त

परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी

कार्यक्रम के अन्तर्गत

प्राप्त अनुदान—

मूल 1,369.80

पुनर्वि. (−)297.80

1,072.00

1,070.97

(−)1.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 297.80 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2202-02-796-106-0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

5904—निशुल्क

पाठ्य पुस्तकों

का प्रदाय—

मूल 2,050.00

पुनर्वि. (−)300.00

1,750.00

1,750.00

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(13) 2225—02—796—109—1002—अंतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5480—आदिवासी क्षेत्रों में

सुविधाओं का विस्तार,

अनुच्छेद—[275(i)]—

मूल 1,660.00

पूरक 1,568.86

पुनर्वि. (—)1,231.68

1,997.18

1,942.96

(—)54.22

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,231.68 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(14) 2202—02—796—109—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7247—राष्ट्रीय माध्यमिक

शिक्षा अभियान—

मूल 20,000.00

पुनर्वि. (—)10,884.06

9,115.94

9,115.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,884.06 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने एवं कोषालयों से देयक पारित नहीं किए जाने से राशि आहरित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(15) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

1395—छात्रावास—

मूल 8,057.50

पुनर्वि. (—)1,455.43

6,602.07

6,588.29

(—)13.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,455.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

2194—विशेष कोचिंग

केन्द्र योजना—

मूल 175.00

पुनर्वि. (—)137.82

37.18

53.85

+16.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(17) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5216—उच्च विद्यालय—

मूल 6,639.00

पुनर्वि. (—)1,705.46

4,933.54

5,169.09

+235.55

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,705.46 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2202—02—796—109—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5551—हाईस्कूल की छात्राओं को

नि:शुल्क सायकल प्रदाय—

मूल 2,440.00

पुनर्वि. (—)190.51

2,249.49

2,249.49

..

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.51 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग (₹ 133.67 लाख) प्राप्त होने एवं जिलों द्वारा राशि आहरित (₹ 56.84 लाख) नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
	(₹ लाख में)		

(19) 2202–02–796–109–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
583—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—

मूल	5,469.00		
पुनर्वि.	(–)462.82	5,006.18	5,326.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 462.82 लाख की कमी के अपर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2202–02–796–109–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
6140—छात्र भोजन सहायता योजना—

मूल	865.30		
पुनर्वि.	(–)211.32	653.98	649.64

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 211.32 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2202–02–796–109–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
7363—युवा कैरियर निर्माण योजना—

मूल	370.30		
पुनर्वि.	(–)107.93	262.37	216.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.93 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2202–02–796–110–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान—

मूल	4,450.00		
पुनर्वि.	(–)947.15	3,502.85	3,480.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 947.15 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(23) 2202–03–796–001–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा			

अभियान—

मूल	4,180.00		
पुनर्वि.	(–)3,793.78	386.22	386.22

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,793.78 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2202–03–796–102–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7290—बस्तर विश्वविद्यालय—			
मूल	425.00		

पुनर्वि.	(–)255.00	170.00	170.00
----------	-----------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 255.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(25) 2202—03—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 7,059.60 पुनर्वि. (-)1,587.28	5,472.32	5,501.36	+29.04
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,587.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 2203—796—001—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00
--	----	----	----

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 2203—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,326.00 पुनर्वि. (-)227.44	1,098.56	755.39	(-)343.17
---	----------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 227.44 लाख की कमी विक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं सूरजपुर तथा कोंडागाँव के पॉलीटेक्निक महाविद्यालय आरम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8950—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर— मूल 2,214.30 पुनर्वि. (-)279.12	1,935.18	1,934.12	(-)1.06
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 279.12 लाख की कमी के कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2210—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 4,655.10 पूरक 80.00 पुनर्वि. (-)984.56	3,750.54	3,796.16	+45.62
---	----------	----------	--------

कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण की आवश्यकता होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 190.00 लाख की वृद्धि, एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,174.56 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 984.56 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(30) 2210—01—796—200—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 1,938.00 पुनर्वि. (-)481.40	1,456.60	1,456.60	..
---	----------	----------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 481.40 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(31) 2210-01-796-200-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8649—मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम— मूल 200.00 पूरक (-)200.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण निधि की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2210-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7503—आयुष संस्थाओं का उन्नयन— पूरक 422.28	422.28		(-)422.28
सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 422.28 लाख का अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं गए हैं (जुलाई 2016)।			
(33) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन— मूल 38,720.00 पुनर्वि. (-)11,100.36	27,619.64	27,619.64	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,100.36 लाख की कमी निधि की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2210-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना— मूल 2,234.60 पुनर्वि. (-)175.92	2,058.68	1,717.51	(-)341.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.92 लाख की कमी सरकार के निर्देशानुसार निधि का 40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को स्थानांतरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 2210-04-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना— मूल 223.60 पुनर्वि. (-)17.40	206.20	87.53	(-)118.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17.40 लाख की कमी सरकार के निर्देशानुसार निधि का 40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को स्थानांतरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012-13 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5689—चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना— मूल 3,347.80 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)803.00	2,554.80	2,553.88	(-)0.92

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 803.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	-----------------------------------

(37) 2210–05–796–105–0102–अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—
8941—चिकित्सा
महाविद्यालय
सरगुजा—
मूल 150.00
पूरक 150.00
पुनर्वि. (–)300.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(38) 2210–06–796–003–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

2216—नर्सिंग के बुनियादी
पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य
का एकीकरण—
मूल 601.40
पुनर्वि. (–)273.78

कुल	327.62	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
पुनर्वि.	(–)273.78	326.49	(–)1.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 273.78 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई है।

(39) 2210–06–796–101–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—
5026—छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी
सहायता निधि हेतु आर्थिक
सहायता / अनुदान—
मूल 950.00
पुनर्वि. (–)115.00

कुल	835.00	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
पुनर्वि.	(–)115.00	835.00	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(40) 2210–06–796–101–0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—
4244—मलेरिया—
मूल 1,754.00
पुनर्वि. (–)966.42

कुल	787.58	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
पुनर्वि.	(–)966.42	764.43	(–)23.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 776.42 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 190.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 966.42 लाख की उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के पर्याप्त के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(41) 2210–06–796–101–0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—
7679—टी.बी. के
रोकथाम हेतु
पोषण आहार—
मूल 500.00
पुनर्वि. (–)500.00

कुल	..	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
पुनर्वि.	(–)500.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(42) 2210—80—796—798—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ—

(अनुसूचित जन जाति उपयोजना)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य

साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत

प्राप्त अनुदान—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)700.00

300.00

300.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 700.00 लाख की कमी निधि की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(43) 2211—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

621—उप स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल 8,084.80

पुनर्वि. (-)2,847.93

5,236.87

7,684.85

+2,447.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,847.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(44) 2215—01—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7353—राष्ट्रीय ग्रामीण

पेयजल कार्यक्रम—

मूल 2,555.00

पूरक 1,900.00

4,455.00

4,121.85

(-)333.15

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(45) 2215—01—796—192—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

7314—कांकेर जल

प्रदाय योजना

618.00

247.20

(-)370.80

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(46) 2215—01—796—193—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8908—नवीन शहरी जल प्रदाय

आवर्धन योजना—

मूल 1,574.00

पुनर्वि. (-)1,002.37

571.63

571.63

..

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,002.37 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(47) 2215—02—796—107—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7610—स्वच्छ भारत अभियान—

मूल 11,400.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (-)962.37

10,437.63

11,010.37

+572.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 962.37 लाख की कमी राज्यांश की अवशिष्ट राशि समर्पण करने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

(48) 2216—03—796—105—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6549—इंदिरा आवास

योजना—

मूल 19,000.00

पुनर्वि. (—)11,919.76

7,080.24

7,080.24 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,919.76 लाख की कमी राज्यांश की अवशिष्ट राशि समर्पित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(49) 2217—80—796—191—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8996—राष्ट्रीय शहरी

लाइबलीहुड योजना—

मूल 220.00

पुनर्वि. (—)110.00

110.00

110.00 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

(50) 2220—60—796—101—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

9797—आदिवासी क्षेत्रों

में सूचना केम्प का

आयोजन—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)174.64

125.36

125.36 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.64 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(51) 2225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5024—आदिवासी विशेष

पिछड़े समूह—

मूल 2,500.00

पुनर्वि. (—)1,447.59

1,052.41

1,012.95

(—)39.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,447.59 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(52) 2225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7672—वनबन्धु काल्याण

योजना—

मूल 562.50

पूरक 937.50

पुनर्वि. (—)1,168.62

331.38

299.38

(—)32.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,168.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(53) 2225—02—796—102—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम—	मूल 6,205.10 पूरक 2,644.18 पुनर्वि. (-)3,108.22	5,741.06	5,773.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,108.22 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			+32.50

(54) 2225—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6870—अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण

उपलब्ध बावत्—

मूल 200.00

पुनर्वि. (-)125.00

75.00

75.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(55) 2225—02—796—277—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8979—एकीकृत छाता योजना—

मूल 245.00

पुनर्वि. (-)245.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 245.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(56) 2225—02—796—277—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ—

मूल 773.00

पुनर्वि. (-)473.38

299.62

300.07

+0.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 473.38 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(57) 2230—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7632—युवा क्षमता विकास योजना—

मूल 400.00

पुनर्वि. (-)400.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 400.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(58) 2230—03—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं—

मूल 2,420.50

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (-)818.74

1,601.76

1,611.50

+9.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 818.74 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(59) 2230—03—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8935—लाइवलीहुड कॉलेज— मूल 272.00 पुनर्वि. (-)163.92 108.08 108.08			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(60) 2230—03—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन— मूल 303.00 पुनर्वि. (-)241.99 61.01 61.90 +0.89			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 241.99 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(61) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवाएं योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजनाएं)— मूल 1,349.10 पुनर्वि. (-)818.56 530.54 535.54 +5.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 818.56 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7423—इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (-)3,800.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,800.00 लाख का प्रत्याहरण व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(63) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 20,293.33 पुनर्वि. (-)6,965.65 13,327.68 13,554.26 +226.58			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,965.65 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने एवं राज्य शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(64) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 437.09 पुनर्वि. (-)197.93 239.16 240.32 +1.16			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.93 लाख की कमी छत्तीसगढ़ संवाद से देयक प्राप्त नहीं होने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(65) 2235—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय— मूल 3,420.00 पुनर्वि. (-)747.63 2,672.37 2,746.91 +74.54			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 747.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(66) 2235—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक— मूल 1,873.40 पुनर्वि. (-)1,828.98 44.42 66.61 +22.19			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,828.98 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(67) 2235—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8957—नौनी सुरक्षा योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,989.93 10.07 10.19 +0.12			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,989.93 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(68) 2236—02—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 414—आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना— मूल 18,100.00 पुनर्वि. (-)2,572.05 15,527.95 15,524.78 (-)3.17			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(69) 2236—02—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना— मूल 5,700.00 पुनर्वि. (-)819.60	4,880.40	4,870.21	(-)10.19

(70) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,748.78 पुनर्वि. (-)593.75	1,155.03	1,151.46	(-)3.57
--	----------	----------	---------

उपरोक्त क्रम संख्या (68) से (70) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,572.05 लाख, ₹ 819.60 लाख एवं ₹ 593.75 लाख की कमी नवीन स्थापित आंगनवाड़ी एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिकायत एवं न्यायालयीन प्रकरणों के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने, डबल फोर्ट फिल्ड साल्ट का प्रदाय बंद किए जाने, भारत सरकार से सबाला योजना के अन्तर्गत गेहूँ का आबंटन प्राप्त नहीं होने एवं महिला स्व सहायता समूह को पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (68) एवं (69) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2007—08 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (70) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(71) 2401—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान— मूल 4,180.00 पूरक 950.00 पुनर्वि. (-)2,691.95	2,438.05	2,438.05	..
---	----------	----------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,691.95 लाख की कमी भारत सरकार से विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(72) 2401—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7258—ऑइल सीडस एवं ऑइलपॉम पर राष्ट्रीय अभियान— मूल 361.75 पूरक 90.44 पुनर्वि. (-)203.87	248.32	247.61	(-)0.71
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 203.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(73) 2401—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7264—एन.ए.इ.टी. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)131.28	118.72	114.31	(-)4.41
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 131.28 लाख की कमी भारत सरकार से विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(74) 2401—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 2,418.70 पुनर्वि. (—)322.49 2,096.21 2,077.25 (—)18.96			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.49 लाख की कमी कोषालय द्वारा राशि का आहरण नहीं किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(75) 2401—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8900—जैविक खेती मिशन— मूल 542.00 पुनर्वि. (—)166.50 375.50 359.40 (—)16.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.50 लाख की कमी हरित खाद उर्वरक तैयार किए जाने हेतु बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(76) 2401—796—108—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए.रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम— मूल 734.10 पुनर्वि. (—)556.39 177.71 120.84 (—)56.87
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 556.39 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(77) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 6,852.00 पुनर्वि. (—)5,019.79 1,832.21 1,823.27 (—)8.94
--

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,048.07 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,971.72 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,019.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(78) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7265—एन.एम.एस.ए. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना— पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (—)1,000.00
--

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,000.00 लाख का प्रत्याहरण इस योजना का “प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना” में संविलियन होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(79) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 7,600.00 पूरक 1,631.55 पुनर्वि. (—)4,891.90	4,339.65	4,334.51	(—)5.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,891.90 लाख की कमी धान की किस्मों पर 10 वर्षों का बंधन होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(80) 2401—796—109—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (—)368.36	771.64	771.64	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 368.36 लाख की कमी भारत सरकार से विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(81) 2401—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 8997—परिवर्तित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (—)1,900.00
मॉडिफाईड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर “राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना” के लागू किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,899.90 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.10 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,900.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(82) 2401—796—113—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (—)852.36	287.64	283.06	(—)4.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 852.36 लाख की कमी भारत सरकार से विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(83) 2401—796—113—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8962—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत रोपाई, जोताई एवं बुआई, हेतु अनुदान— मूल 190.00 पुनर्वि. (—)190.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(84) 2401—796—113—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8963—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00
(85) 2401—796—113—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8964—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार प्रसार— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00
उपरोक्त क्रम संख्या (83) से (85) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः प्रत्येक ₹ 190.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(86) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6831—राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना— मूल 4,544.00 पुनर्वि. (-)1,584.73	2,959.27	2,995.71	+36.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,584.73 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(87) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 3,767.00 पुनर्वि. (-)2,830.66	936.34	971.09	+34.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,830.66 लाख की कमी जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(88) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7265—एन.एम.एस.ए.ऑन फार्म वाटर मेनेजमेंट योजना— मूल 987.55 पुनर्वि. (-)987.55	..	1.27	+1.27
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 987.55 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(89) 2401—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई

योजना—

मूल 450.00

पुनर्वि. (—)266.10

183.90

183.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 266.10 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(90) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7705—एकीकृत बागवानी

विकास मिशन—

पूरक 799.96

पुनर्वि. (—)238.81

561.15

463.36

(—)97.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 238.81 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(91) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8945—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (साग—सब्जी)—

मूल 384.00

पुनर्वि. 384.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 384.00 लाख का प्रत्याहरण योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(92) 2403—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—

मूल 358.52

पुनर्वि. (—)137.53

220.99

220.83

(—)0.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.53 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(93) 2403—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7471—नाबार्ड योजनानातर्गत पशुधन एवं कुक्कुट

उद्यमिता विकास हेतु अनुदान—

मूल 200.00

पुनर्वि. (—)165.00

35.00

35.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(94) 2403—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—

8898—राज्य पोषित डेयरी

उद्यमिता विकास योजना—

मूल 190.00

पूरक 190.00

पुनर्वि. (—)286.73

93.27

93.52

(—)0.25

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 286.73 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(95) 2403—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8947—राष्ट्रीय कृषि विकास

(एन.एम.पी.एस.)

योजना—

मूल 165.00

पुनर्वि. (−)163.74

1.26

1.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.74 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(96) 2405—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल 970.00

पुनर्वि. (−)330.05

639.95

639.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.05 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(97) 2405—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8947—राष्ट्रीय कृषि विकास

(एन.एम.पी.एस.) योजना—

मूल 380.00

पुनर्वि. (−)380.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 380.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(98) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

2536—पर्यावरण

वानिकी—

मूल 700.00

पुनर्वि. (−)100.37

599.63

452.86

(−)146.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.37 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(99) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

2962—अवनत वनों

का विकास—

मूल 7,800.00

पूरक (−)9.20

7,790.80

7,694.69

(−)96.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.20 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(100) 2406—01—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7622—राष्ट्रीय बांस मिशन— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 120.00 लाख का प्रत्याहरण राज्यांश के अनुसार राशि विसुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(101) 2406—01—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1004—नदीतट वृक्षारोपण योजना— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)263.50 286.50 285.60 (-)0.90			
(102) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2533—हरियाली प्रसार योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)117.30 2,882.70 2,209.14 (-)673.56			
(103) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)725.66 1,674.34 1,676.29 +1.95			
उपरोक्त क्रम संख्या (101) से (103) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 263.50 लाख, ₹ 117.30 लाख एवं ₹ 725.66 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (102) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (103) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(104) 2406—02—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5231—लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान 1,522.00 1,217.00 (-)305.00			
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(105) 2406—02—796—070—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6886—वन मार्ग पर पुल एवं रस्ता का निर्माण 200.00 (-)200.00			
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(106) 2406—02—796—110—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6771—अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेर रिजर्व का विकास	250.80	72.14	(-)178.66
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(107) 2406—02—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3730—प्रोजेक्ट टाईगर	1,400.00	625.43	(-)774.57
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(108) 2406—04—796—101—0702—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7261—राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम— पूरक 2,000.00	2,000.00	..	(-)2,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(109) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5456—अन्त्योदय अन्न योजना— मूल 1,710.00 पुनर्वि. (-)1,710.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,710.00 लाख का प्रत्याहरण कोषालय द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित किया गया है।			
(110) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना— मूल 1,59,600.00 पुनर्वि. (-)27,938.87	1,31,661.13	1,31,661.13	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27,938.87 लाख की कमी विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(111) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7436—अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना— मूल 42,000.00 पुनर्वि. (-)31,500.00	10,500.00	10,500.00	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 31,500.00 लाख की कमी कोषालय द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(112) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8933—शक्कर वितरण योजना— मूल 1,710.00 पुनर्वि. (-)518.20	1,191.80	1,191.80	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 518.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(113) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8999—मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना— मूल 2,736.00 पुनर्वि. (-)919.28	1,816.72	1,816.72	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 919.28 लाख की कमी विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(114) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9993—रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान— मूल 3,762.00 पुनर्वि. (-)2,923.13	838.87	838.87	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,923.13 लाख की कमी कोषालय द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(115) 2425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5628—कृषक ऋण व्याज दर युवितयुक्तकरण हेतु व्याज अनुदान— मूल 4,864.00 पुनर्वि. (-)4,864.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,864.00 लाख का प्रत्याहरण कोषालय से निधि का आहरण करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(116) 2425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8930—प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से लाईसेंस प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(117) 2501—02—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 2,850.00 पुनर्वि. (-)2,427.78	422.22	422.22	..
(118) 2501—06—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 5,700.00 पुनर्वि. (-)3,172.05	2,527.95	2,527.95	..

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिकय+
बचत(-)

(119) 2505—60—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6728—महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—

मूल 1,04,500.00

पुनर्वि. (-)57,813.73

46,686.27

46,686.27

उपरोक्त क्रम संख्या (117) से (119) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,427.78 लाख ₹ 3,172.05 लाख एवं ₹ 57,813.73 लाख की कमी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राज्यांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(120) 2801—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7305—एच.पी.के कृषि पम्पों को

नि:शुल्क विद्युत शुल्क में

राहत हेतु सब्सिडी—

मूल 46,740.00

पुनर्वि. (-)9,000.00

37,740.00

37,740.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,000.00 लाख की कमी वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषालय द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(121) 2801—80—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7620—उपभोक्ताओं को विद्युत

शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी

17,100.00

12,825.00

(-)4,275.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(122) 2810—02—796—101—0410—उर्जा विकास निधि—

7693—सोलर पम्प हेतु

सहायक अनुदान

1,132.40

736.06

(-)396.34

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(123) 2810—60—796—600—0410—उर्जा विकास निधि—

3188—उर्जा विकास संस्था

को सहायक अनुदान

450.00

292.00

(-)157.50

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(124) 2810—60—796—600—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

5415—ग्रामीण ऊर्जा

को अनुदान—

मूल 280.00

पुनर्वि. (-)168.00

112.00

112.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.00 लाख की कमी वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोषालय द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(125) 2851—796—102—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

6857—उद्योगों को

ब्याज अनुदान—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)423.80

576.20

575.19

(-)1.01

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 423.80 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009–10 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(126) 2851–796–104–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8562—कॉडागॉव में शिल्प सिटी
की स्थापना—

मूल 100.00
पुनर्वि. (–)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009–10 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(127) 2851–796–107–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5521—उत्प्रेरण विकास

कार्यक्रम—

मूल 400.13
पुनर्वि. (–)400.13

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 400.13 लाख का प्रत्याहरण योजना बन्द किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(128) 2851–796–107–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

164—प्राकृतिक टसर कोसा
विकास योजना—

मूल 530.75
पुनर्वि. (–)229.47

301.28 301.40 +0.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 229.47 लाख की कमी में से ₹ 154.54 लाख की कमी रैली आयोजित नहीं किए जाने कारण उल्लिखित की गई हैं। शेष ₹ 78.93 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(129) 2852–80–796–102–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9068—औद्योगिक इकाइयों को

लागत पूँजी अनुदान—

मूल 1,900.00
पुनर्वि. (–)714.67

1,185.33 1,185.33 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 714.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(1) 2210–03–796–197–0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

5998—सामुदायिक
स्वारथ्य केन्द्र—

मूल 4,571.90
पुनर्वि. (–)267.85

4,304.05 5,451.42 +1,147.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 267.85 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2210—03—796—198—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सुविधाएं)— मूल 7,407.80 पुनर्वि. (-)274.54	7,133.26	7,584.44	+451.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 2210—03—796—198—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— जनजाति उपयोजना— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 3,275.00 पुनर्वि. (-)269.55	3,005.45	3,893.95	+888.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(4) 2215—01—796—191—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6743—जल प्रदाय योजना जगदलपुर 0.10		213.26	+213.16
अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(5) 2215—01—796—191—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8622—चिरमिरी आवर्धन जल प्रदाय योजना 1,000.00		1,157.64	+157.64
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(6) 2215—01—796—192—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— जनजाति उपयोजना— 5717—मनेन्द्रगढ़ जल प्रदाय योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. 275.02	575.02	575.02	..
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 275.02 लाख का आवर्धन चालू योजनाओं के निष्पादन हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2215—01—796—193—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5706—बड़े बचेली जल प्रदाय योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 106.00	106.00	106.00	..
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 106.00 लाख का आवर्धन चालू योजनाओं के निष्पादन हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2215—01—796—193—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6773—सुरजपुर जल प्रदाय योजना— मूल 0.10 पुनर्वि. 520.55	520.65	520.65	..

अनुदान संख्या 41—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 520.55 लाख का आवर्धन चालू योजनाओं के निष्पादन हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(9) 2215—01—796—193—6876—बलरामपुर

जल प्रदाय योजना—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 100.80	100.80	100.80	..

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.80 लाख का आवर्धन चालू योजनाओं के निष्पादन हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2401—796—110—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—			
8792—राष्ट्रीय कृषि			
बीमा योजना—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 1,899.90	1,899.90	1,899.90	1,899.90

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,899.90 लाख का आवर्धन चालू योजनाओं के निष्पादन हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2401—796—800—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—			
7707—सिंचाई हेतु			
डीजल अनुदान—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 86.69	86.69	86.69	(-)7.27

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 86.69 लाख का आवर्धन में से ₹ 87.16 लाख की वृद्धि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में डीजल पम्पों से सिंचाई किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 0.47 लाख की वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(12) 2406—01—796—070—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6886—वन मार्ग पर रप्टा एवं			
पुलिया निर्माण	1,950.00	2,165.06	+215.06

(13) 2406—01—796—105—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
5231—लघु वनोपज कार्य हेतु			
लघु वनोपज संघ			
को अनुदान	200.00	505.00	+305.00

(14) 2406—04—796—101—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
7261—राष्ट्रीय वनीकरण			
कार्यक्रम	1,000.00	1,500.00	+500.00

उपरोक्त ०८ संख्या (12) से (14) के शीर्षन्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 41—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 12,366.78 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 3,397.77 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 5,140.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 20,904.55 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 68,696.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 58,582.43 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4202—01—796—202—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

1400—छात्रावास तथा आश्रम

भवन का निर्माण—

मूल 4,000.00

पुनर्वि. (-)4,000.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,000.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4202—01—796—202—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7247—राष्ट्रीय माध्यमिक

शिक्षा अभियान—

मूल 3,889.56

पुनर्वि. (-)1,000.00

2,889.56

2,889.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.00 लाख की कमी अपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202—01—796—202—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7367—मॉडल स्कूल

योजना—

मूल 4,486.83

पुनर्वि. (-)3,922.00

564.83

564.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,922.00 लाख की कमी अपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202—01—796—202—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8979—एकीकृत अम्बेला

योजना—

मूल 1,200.00

पुनर्वि. (-)1,200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,200.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(5) 4202—01—796—202—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1400—छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण— पूरक 6,562.00 पुनर्वि. (-)3,263.80	3,298.20	5,190.58	+1,892.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,263.80 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(6) 4202—01—796—202—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9840—शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण— मूल 1,792.00 पुनर्वि. (-)478.66	1,313.34	1,217.61	(-)95.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 478.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7252—विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनर्भुगतान— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 800.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7289—सरगुजा विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7290—बस्तर विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(10) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7445—सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4202—02—796—103—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 776.00 पुनर्वि. (-)290.08	485.92	485.92	..

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 290.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(–) (₹ लाख में)
(12) 4202–02–796–103–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 250.00 पुनर्वि. (–)250.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4202–02–796–103–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन— मूल 650.00 पुनर्वि. (–)354.09 295.91 296.31 +0.40			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 354.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4202–02–796–103–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 940.00 पुनर्वि. (–)861.16 78.84 79.04 +0.20			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 861.16 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4202–02–796–104–0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,465.00 पुनर्वि. (–)1,121.23 343.77 343.77			
समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 1,121.13 लाख कमी संस्थाओं द्वारा निधि (₹ 33.24 लाख) का उपयोग नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने (₹ 1,087.89 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 4202–02–796–104–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 190.00 पुनर्वि. (–)125.71 64.29 62.32 (–)1.97			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.71 लाख की कमी संस्थाओं द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008–09 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 4210–01–796–110–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8940—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा— मूल 500.00 पुनर्वि. (–)500.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(18) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8950—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 4210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8940—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4210—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)761.52 238.48 238.49 +0.01			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 761.52 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4210—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— जनजाति उपयोजना— 7668—बर्न एवं ट्रॉमा केयर सेंटर 238.00 .. (-)238.00			
(22) 4210—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण 576.00 .. (-)576.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(23) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8941—चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)100.00 500.00 500.00 ..			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 4215—01—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2,091.00 .. (-)2,091.00			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 4215—02—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5699—शालाओं की शौचालय व्यवस्था	205.50	..	(-)205.50
उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(26) 4225—02—796—102—1002—अंतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार [अनुच्छेद 275(1)]— मूल 10,000.00 पूरक 2,298.69 पुनर्वि. (-)5,153.79	7,144.90	6,941.05	(-)203.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,153.79 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछड़े समूह— मूल 722.77 पुनर्वि. (-)340.90	381.87	384.00	+2.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 340.90 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(28) 4225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7672—वनबन्धु काल्याण योजना— मूल 187.50 पूरक 312.50 पुनर्वि. (-)470.00	30.00	17.50	(-)12.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 470.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(29) 4225—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का उत्थान, शोध, प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 1,046.40 पुनर्वि. (-)1,046.40
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,046.40 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्राश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4225—02—796—102—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम—			
मूल 3,238.00			
पूरक 5,933.21			
पुनर्वि. (—)3,708.56	5,462.65	5,468.65	+6.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,708.56 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(31) 4225—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5601—बस्तर विकास प्राधिकरण—			
मूल 3,200.00			
पुनर्वि. (—)1,010.82	2,189.18	2,669.66	+480.48
(32) 4215—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5602—सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण—			
मूल 3,300.00			
पुनर्वि. (—)1,294.39	2,005.61	2,150.18	+144.57
उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,010.82 लाख एवं ₹ 1,294.39 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(33) 4235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 337—आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण—			
मूल 990.00			
पुनर्वि. (—)406.06	583.94	583.94	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 406.06 लाख की कमी वित्तीय वर्ष के अन्त मे केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 4406—02—796—070—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4342—भवन और सड़कों का निर्माण 203.00 .. (—)203.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 4700—03—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2898—बांध एवं संलग्न कार्य—			
मूल 1,002.00			
पुनर्वि. (—)208.91	793.09	793.10	+0.01

अनुदान संख्या 41—जारी

निविदा कार्यों की धीमी प्रगति से समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.01 लाख की कमी एवं वृक्षारोपण हेतु मुआवजा दिए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87.10 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 208.91 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकार्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(36) 4700—03—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5685—बांध सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (–)289.67	710.33	710.34	+0.01
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 202.57 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87.10 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 289.67 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियां निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 4701—80—796—005—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00
--	----	----	----

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण नवीन योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(38) 4701—16—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00
--	----	----	----

(39) 4701—17—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00
--	----	----	----

(40) 4701—22—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00
--	----	----	----

(41) 4701—23—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00
--	----	----	----

उपरोक्त क्रम संख्या (38) से (41) के सभी शीर्षान्तर्गत क्रमशः प्रत्येक ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42) 4701—24—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 210.00 पुनर्वि. (–)210.00
--	----	----	----

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 210.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। उभय कमियां, पारित निर्णय के अनुसार भू अर्जन प्रकरणों के निपटान का मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012–13 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(43) 4701–25–796–800–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 155.00 पुनर्वि. (–)155.00			
समर्पण द्वारा ₹ 60.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 155.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। उभय कमियां, पारित निर्णय के अनुसार प्रकरणों के निपटान का मुआवजा नहीं दिए जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(44) 4701–29–796–800–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 101.00 पुनर्वि. (–)101.00			
भू—आधिग्रहण हेतु मुआवजा का समाधान नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 101.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है।			
(45) 4702–796–101–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7405—मरम्मत / नवीनीकरण / पुनरोद्धार— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (–)4,842.33	157.67	139.70	(–)17.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,842.33 लाख की कमी वित्त विभाग से आयोजना व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 4702–796–101–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. (–)250.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी नई योजना हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(47) 4702–796–101–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण— मूल 800.00 पुनर्वि. (–)393.28	406.72	436.38	+29.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 393.28 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा आयोजना व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिकय+
बचत(—)

(48) 4702—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5059—एनीकट / स्टॉपडेम

का निर्माण—

मूल	23,000.00
पुनर्वि.	(—)98.90

22,901.10

22,852.42

(—)48.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.90 लाख की कमी के अपर्याप्त कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(49) 4702—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7422—औद्योगिक जल आधारभूत विकास—

मूल	6,000.00
पुनर्वि.	(—)2,536.33

3,463.67

3,377.94

(—)85.73

निविदा कार्यों की धीमी प्रगति से पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 36.33 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,536.33 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। ₹ 36.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(50) 4801—06—796—800—0410—उर्जा विकास निधि—

8678—शासकीय विद्यालय/चिकित्सालयों/
आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण—

मूल	5,840.00
पूरक	4,200.00

10,040.00

5,896.00

(—)4,144.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2016)।

(51) 5054—04—796—337—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क

एवं विकास योजना—

मूल	26,400.00
पुनर्वि.	(—)13,950.00

12,450.00

7,237.89

(—)5,212.11

(52) 5054—04—796—337—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8650—मुख्यमंत्री ग्राम

गौरव पथ योजना—

मूल	9,500.00
पुनर्वि.	(—)2,359.25

7,140.75

5,609.50

(—)1,531.25

उपरोक्त क्रम संख्या (51) एवं (52) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 13,950.00 लाख एवं ₹ 2,359.25 लाख की कमी करारनामा में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (51) एवं 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (52) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(53) 6408—02—796—190—0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजनाये

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8545—नाबार्ड सहायता से

गोदाम निर्माण—

मूल	3,800.00
पुनर्वि.	(—)1,000.56

2,799.44

2,799.44

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.56 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 110.00 पूरक 175.00 285.00 363.47 +78.47			
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 4406—01—796—070—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4342—भवन एवं सड़कों का निर्माण— मूल 1,210.00 पुनर्वि. (—)57.34 1,152.66 1,258.62 +105.96			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.34 लाख की कमी, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शारीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4701—08—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 1,200.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 68.22 1,268.22 1,268.19 (—)0.03			
भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान किए जाने हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 669.99 लाख की वृद्धि, भूमि आधिग्रहण प्रकरण का निदान नहीं होने समर्पण द्वारा ₹ 141.78 लाख कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 459.99 लाख की अन्य कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 68.22 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन द्वारा अन्य ₹ 459.99 लाख कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(4) 4701—33—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 10.00 पुनर्वि. 79.60 89.60 89.60 ..			
निर्माण कार्यों का भुगतान किए जाने हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.00 लाख की वृद्धि एवं भूमि अधिग्रहण का निदान नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 15.40 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 79.60 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(5) 4701—34—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 260.00 पुनर्वि. 389.73 649.73 649.72 (—)0.01			
भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान किए जाने हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 390.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.27 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 389.73 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4702-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 20,100.00 पूरक सांकेतिक पुनर्विनियोग 1,553.97 23,653.97 23,563.51 (-)90.46			

निर्माण कार्य का भुगतान किए जाने हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की वृद्धि, समर्पण द्वारा ₹ 946.03 लाख कमी में से ₹ 746.71 लाख की कमी वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति देयकों का निदान नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,553.97 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अन्य ₹ 199.32 लाख कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित

- (vii) विनियोग से हुए ₹ 91,46,697 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
- (viii) ₹ 91.47 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 15,00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ix) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4702-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1831—डिक्री धन का भुगतान— मूल 10.00 पुनर्विनियोग (-) 10.00 .. 106.47 +106.47			

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10.00 लाख का प्रत्याहरण मुआवजे के प्रकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

31 मार्च 2016 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के बावजूद भी ₹ 1,06,46,697 का किया गया व्यय बिना बजट व्यय का परिणाम है।

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(5) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3539—मुख्य जिला सड़कें	27,508.00	10,247.85	(—)17,260.15
(6) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण	150.00	50.61	(—)99.39

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है एवं 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5418—चातुर्दिक् दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण— मूल 150.00 पुनर्वि.	275.00	425.00	435.46	+10.46
--	--------	--------	--------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 275.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 5054—03—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3710—राज्यों के राजमार्ग— मूल 7,914.00 पूरक संकेतिक पुनर्वि.	2,500.00	10,414.00	10,495.43	+81.43
---	----------	-----------	-----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,500.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4871—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण— मूल 10.00 पुनर्वि.	100.00	110.00	39.66	(—)70.34
---	--------	--------	-------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 29.37 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
5054—04—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
3115—भू—अर्जन हेतु मुआवजा	250.00	220.63	(-)29.37
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं

4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	11,03,695			
पूरक	20,001	11,23,696	3,85,793	(—)7,37,903
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	25			(—)25
				..

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	17,500			
पूरक	13,777	31,277	17,479	(—)13,798
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 0.01 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 200.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 200.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 7,379.03 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं प्रशासन 456.95 353.87 (—)103.08

(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
5430—युवा आयोग को अनुदान 150.00 60.00 (—)90.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है एवं 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8923—मुख्यमंत्री युवा भारत
दर्शन योजना—
मूल 1,000.00
पुनर्वि. (—)250.00 750.00 .. (—)750.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी मुख्यतः दौरा कार्यक्रम नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
(4) 2204—104—0701—कैन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7641—राजीव गांधी खेल अभियान	1,500.00	..	(—)1,500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(5) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1079—खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	175.00	88.58	(—)86.42
(6) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1190—ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता			
	484.00	407.44	(—)76.56
(7) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3738—राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज	60.00	9.23	(—)50.77
(8) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5223—खिलाड़ियों को प्रोत्साहन— मूल 1,125.00 पूरक सांकेतिक			
	1,125.00	1,036.00	(—)89.00
(9) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5428—राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार	55.00	2.00	(—)53.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (6) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(10) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7250—खेल विश्वविद्यालय	50.00	..	(—)50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7296—खेल अकादमी— मूल 411.00 पूरक सांकेतिक	411.00	39.58	(—)371.42
(12) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7473—राष्ट्रीय खेल— मूल 4,100.00 पूरक सांकेतिक			
	4,100.00	1.99	(—)4,098.01
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 43—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5429—युवक कल्याण
गतिविधियाँ—
मुल
पूरक
पुनर्वि.

1,200.00	1,450.00	1,446.41	(—)3.59
----------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 250.00 लाख का आवर्धन 20 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में अधिक व्यय होने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित—

(v ₹ 0.25 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2010—11 से 2014—15 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान निरन्तर अप्रयुक्त होना दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

4202—03—102—0102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5226—मूलभूत सुविधाओं का
विकास स्टेडियम आदि—

पूरक	137.77	137.77	..	(—)137.77
------	--------	--------	----	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष –**2202—सामान्य शिक्षा****4402—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय****राजस्व :**

दत्तमत—

मूल	59,39,590			
पूरक	7,600	59,47,190	46,26,675	(-)13,20,515
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				13,23,557

प्रभारित	70	..	(-)70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			70

पूँजीगत :

दत्तमत	91,100	33,484	(-)57,616
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			57,616

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 76.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 13,205.15 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 13,235.57 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2202—03—001—3443—महाविद्यालयीन शिक्षा

संचालनालय—

मूल	504.80		
पुनर्वि.	(-)130.41	374.39	(-)2.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.41 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—03—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

3753—राष्ट्रीय सेवा योजना—	
मूल	649.40

पुनर्वि.	(-)182.76	466.64	466.64	..
----------	-----------	--------	--------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.76 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8971—राष्ट्रीय उच्चतर

शिक्षा अभियान—

मूल	5,600.00
पुनर्वि.	(-)1,578.32

4,021.68

4,021.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,578.32 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7656—दुर्ग विश्वविद्यालय—

मूल	500.00
पुनर्वि.	(-)300.00

200.00

200.00

(5) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9948—विश्वविद्यालय पेशन

भुगतान योजना—

मूल	600.00
पुनर्वि.	(-)360.00

240.00

240.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 360.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(6) 2202-03-103-798—कला, विज्ञान तथा

वाणिज्य महाविद्यालय—

मूल	30,823.00
पुनर्वि.	(-)7,992.44

22,830.56

22,778.06

(-)52.50

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 524.90 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,467.54 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,992.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, उभय कमियों के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011-12 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

798—कला, विज्ञान तथा

वाणिज्य महाविद्यालय—

मूल	10,944.80
पुनर्वि.	(-)3,003.52

7,941.28

8,038.26

+96.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,003.52 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011-12 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8978—नैक प्रत्यायन—

मूल	250.00
पुनर्वि.	(-)100.65

149.35

141.66

(-)7.69

(9) 2202-03-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5672—बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

योजना—

मूल	500.00
पुनर्वि.	(-)71.20

428.80

428.80

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 100.65 लाख एवं ₹ 71.20 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 44—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)

(1) 2202—03—104—3444—महाविद्यालयों को

पोषण अनुदान—

मूल	3,600.00		
पुनर्वि.	524.89	4,124.89	4,095.50

(—)29.39

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 524.90 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 524.89 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2202—03—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3444—महाविद्यालयों को

पोषण अनुदान—

मूल	100.00		
पूरक	76.00		
पुनर्वि.	(—)4.00	172.00	201.39

+29.39

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)

(1) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5205—रविशंकर विश्वविद्यालय,

रायपुर—

मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)200.00

(2) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5531—पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त

विश्वविद्यालय की

स्थापना—

मूल	60.00		
पुनर्वि.	(—)60.00

(3) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5639—स्व. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता

एवं जनसूचना विश्वविद्यालय

की स्थापना—

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(—)50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 200.00 लाख, ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख का प्रत्याहरण निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(4) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय खेरागढ़—

मूल	300.00
पुनर्वि.	(-)15.16

284.84

284.84

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15.16 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7484—बिलासपुर

विश्वविद्यालय—

मूल	250.00
पुनर्वि.	(-)250.00

..

..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2702—लघु सिंचाई

4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व	6,61,585	6,12,004	(—)49,581
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			42,703
(31 मार्च 2016)			

पूँजीगत :

मूल	48,58,005		
पूरक	10,000	48,68,005	39,02,837
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)9,65,168
(31 मार्च 2016)			9,70,795

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 495.81 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 427.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(-)
	अनुदान		व्यय	
			(₹ लाख में)	

(1) 2702—03—101—207—अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल	2,779.50		
पुनर्वि.	(—)262.57	2,516.93	2,420.02
			(—)96.91

(2) 2702—03—103—207—अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल	985.60		
पुनर्वि.	(—)41.47	944.13	953.46
			+9.33

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 262.57 लाख एवं ₹ 41.47 लाख की कमी जल उपभोक्ता संघो द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं आवश्यकता अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2702—03—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5707—शाकम्भरी

परियोजना—

मूल	1,700.00		
पुनर्वि.	(—)21.74	1,678.26	1,673.95
			(—)4.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 21.74 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

(4) 2702—03—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5709—किसान समृद्धि योजना
को अनुदान—

मूल	625.00
पुनर्वि.	(-)86.68

538.32

537.62

(-)0.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.68 लाख की कमी जिलाधिकारी द्वारा नलकूप स्थापित किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

2702—03—102—207—अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल	195.75
पुनर्वि.	(-)11.24

184.51

227.60

+43.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.24 लाख की कमी जल उपभोक्ता संघों द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं आवशकता अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(v) ₹ 9,651.68 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 9,707.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

(1) 4702—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7405—मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण/

पुनरोद्धार—

मूल	1,500.00
पुनर्वि.	(-)1,027.80

472.20

472.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,027.80 लाख की कमी केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना—

मूल	250.00
पुनर्वि.	(-)250.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से नवीन योजनाओं हेतु दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3803—माईनर एवं माइक्रो माईनर सिंचाई योजना—			
मूल	12,600.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(—)188.46	12,511.54	11,840.44
			(—)671.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.46 लाख की कुल कमी में से ₹ 117.50 लाख की कमी वृक्षा रोपण मुआवजा का भुगतान के कारण उल्लिखित हुई हैं। शेष ₹ 70.96 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।			
(4) 4702—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9284—नलकूप की स्थापना—			
मूल	810.00		
पुनर्वि.	(—)810.00	..	0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 810.00 लाख की कमी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			+0.12
(5) 4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5059—एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण—			
मूल	22,300.00		
पुनर्वि.	(—)7,116.75	15,183.25	15,624.82
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,116.75 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा आयोजना व्यय हेतु आंवटन में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के इस दौरान शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।		+441.57	
(6) 4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6070—संगठन स्थापना (भू—जल)—			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(—)60.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 60.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(7) 4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7422—औद्योगिक जल संरचना निर्माण—			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(—)42.09	9,957.91	9,911.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 42.09 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(—)46.54
(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(—)190.14	109.86	451.84
			(—)341.98

अनुदान संख्या 45—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.14 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा आयोजना व्यय हेतु आबंटन में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(viii) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2015–16 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2015 को नामें + जमा(−)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2016 को अंतिम शेष नामें + जमा(−)
4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(−)47.83	(−)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	+42.24
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	+0.04
योग	+180.85	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	1,52,500	93,000	(-)59,500 59,500
पूँजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	97,950	27,129	(-)70,821 70,821
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 3425—60—200—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5632—साइन्स सिटी

की स्थापना—

मूल	550.00
पुनर्वि.	(-)375.00

175.00 175.00

..

(2) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
परिषद को अनुदान—

मूल	650.00
पुनर्वि.	(-)175.00

475.00 475.00

..

(3) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला

की स्थापना—

मूल	75.00
पुनर्वि.	(-)45.00

30.00 30.00

..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 375.00 लाख, ₹ 175.00 लाख एवं ₹ 45.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2009—10 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 46—समाप्त

पूँजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(1) 5425—600—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5632—साइन्स सिटी की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	"	"	"
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 5425—600—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 479.50 पुनर्वि. (-)208.21	271.29	271.29	"
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 208.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिकय+
या	व्यय	बचत(-)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2203—तकनीकी शिक्षा

2230—श्रम तथा रोजगार

4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	59,18,650			
पूरक	1,861	59,20,511	25,61,593	(-)33,58,918
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				33,59,671
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित	20	..	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20
(31 मार्च 2016)			

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	9,49,450			
पूरक	सांकेतिक	9,49,450	3,36,645	(-)6,12,805
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,10,573
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, दिसम्बर 2015 (₹ 1.25 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 17.36 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 18.61 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 33,589.18 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 33,596.71 लाख का अभ्यार्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
	(₹ लाख में)		

(1) 2203—001—1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—

मूल	360.20			
पूरक	17.36			
पुनर्वि.	(-)76.72	300.84	300.16	(-)0.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 76.72 लाख की कमी में से ₹ 61.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 56.19 लाख) नहीं किए जाने एवं यात्रा दावे (₹ 4.97 लाख) प्रस्तुत नहीं किए किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 14.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 2203-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-

8971—राष्ट्रीय उच्चतर

शिक्षा अभियान—

मूल	3,500.00
पुनर्वि.	(-)3,500.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,500.00 लाख का प्रत्यहारण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2203-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

5637—विवेकानन्द तकीनीकी

विश्वविद्यालय

की स्थापना—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(-)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2203-105-2668-पॉलीटेक्निक

संस्थाएँ—

मूल 4,069.50

पुरक 1.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 775.41 लाख की कमी में से ₹ 726.68 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं ने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 48.73 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007–08 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई

(5) २२०३-१०५-०१०१-चात्या आयोजना (सामाज्या)-

3668 पांची ने दिल्ली

2668-५।

राष्ट्रपति—
मल 1,137.00

ମୂଲ 1,137.00
ପରିବା (-) 184.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 184.90 लाख की कमी में से ₹ 96.02 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 87.04 लाख) नहीं किए जाने एवं संस्थानों से राशि की मांग (₹ 8.98 लाख) नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 88.88 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जलाई 2016)। 2007–08 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दस्तिगत हुई है।

(6) 2203-112-502-इंजीनियरिंग

महाविद्यालय—

मल 1,730.20

ਪੜ੍ਹਿ (-)416 72

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 416.72 लाख की कमी में से ₹ 339.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 76.81 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006–07 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(7) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 3,959.70 पुनर्वि. (-)3,293.85	665.85	669.31	+3.46

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,140.00 लाख की कमी, वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,153.85 लाख की अन्य कमी, रिक्त पदों की पूर्ति (₹ 219.17 लाख) नहीं किए जाने संस्थानों द्वारा निधि का उपयोग (₹ 30.02 लाख) नहीं किए जाने एवं उत्कृष्टता केन्द्र एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना (₹ 1,865.00 लाख) नहीं होने के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रावधान में ₹ 3,293.85 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 39.66 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7341—आई. आई. आई. टी. की स्थापना— मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)523.00	1,077.00	1,077.00	..
--	----------	----------	----

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 523.00 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2203—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8643—मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
--	----	----	----

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2230—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7632—युवा क्षमता विकास योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)663.33	36.67	37.19	+0.52
---	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 663.33 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2230—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8272—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता— मूल 878.00 पुनर्वि. (-)86.99	791.01	791.46	+0.45
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.99 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(12) 2230—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9147—रोजगार

कार्यालय—

मूल	230.00
पुनर्वि.	(-)168.40

61.60 59.80 (-)1.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.40 लाख की कमी, वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने (₹ 112.40 लाख) एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया प्रबंध नहीं किए जाने (₹ 56.00 लाख) के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(13) 2230—03—003—717—औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान—

मूल	6,057.30
पुनर्वि.	(-)1,577.48

4,479.82 4,536.76 +56.94

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,577.48 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 2230—03—003—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7438—स्टेट स्किल

डेव्हलपमेंट मिशन—

मूल	10,312.50
पुनर्वि.	(-)10,242.23

70.27 70.27 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,242.23 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2230—03—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान—

मूल	580.80
पुनर्वि.	(-)113.71

467.09 487.38 +20.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.71 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(16) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान—

मूल	1,395.20
पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	(-)430.04

965.16 963.14 (-)2.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 430.04 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(17) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7438—स्टेट स्कॉल डेक्कलपमेंट मिशन—	मूल 200.00 पुनर्वि. (-)70.00	130.00	130.00
---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.00 लाख की कमी, वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना—	मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)14,932.28	5,067.72	5,067.72
---------------------------------------	--	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,996.17 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 11,936.11 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 14,932.28 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियां वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(19) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8935—लाइवलीहुड कॉलेज—	मूल 228.00 पुनर्वि. (-)116.08	111.92	111.92
--------------------------	----------------------------------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.08 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2203—112—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7477—तकनीकी संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम—	मूल 400.00 पुनर्वि. 1,140.00	1,540.00	1,540.00
---	---------------------------------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,140.00 लाख का आवर्धन टी. ई. क्यू. आई. पी. के अन्तर्गत राज्य परियोजना—II उप इकाई एवं संस्थानों की स्थापना किए जाने के कारण उल्लिखित गई है।

(2) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7700—सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी— (सिपेट)—	पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 2,996.17	2,996.17	2,996.17
---	------------------------------------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,996.17 लाख का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 47—जारी

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 6,128.05 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 6,105.73 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4202–02–103–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

8935—लाईवलीहुड			
कॉलेज—			
मूल	701.00		
पुनर्वि.	(-)517.94	183.06	157.64
			(-)25.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 517.94 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202–02–103–0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण			
संस्थाएं—			
मूल	190.00		
पुनर्वि.	(-)190.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 190.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 4202–02–103–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण			
संस्थाएं—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)195.54	4.46	4.46

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.54 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006–07 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4202–02–103–0311—नाबाड़ पोषित योजनायें (सामान्य)—

8935—लाईवलीहुड			
कॉलेज—			
मूल	5,807.00		
पुनर्वि.	(-)3,508.20	2,298.80	2,298.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,508.20 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4202–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

717—औद्योगिक प्रशिक्षण			
संस्थाएं—			
मूल	660.00		
पुनर्वि.	(-)626.47	33.53	36.63
			+3.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 626.47 लाख की कमी वास्तविक आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(6) 4202—02—104—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल	1,716.50		..
पुनर्वि.	(-)924.70	791.80	791.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 924.70 लाख की कमी संस्थानों द्वारा निधि का उपयोग (₹ 357.16 लाख) नहीं किए जाने एवं भारत सरकार से निधि (₹ 567.54 लाख) प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल	140.00		..
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)100.01	39.99	39.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.01 लाख की कमी संस्थानों द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज जांजगीर चाम्पा के लिए प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	3,43,780	2,49,994	(—)93,786 74,719
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 937.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 747.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202—01—101—495—आश्रम और

शालाएं—

मूल	535.80		
पुनर्वि.	(—)178.56	357.24	358.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 178.56 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही आंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—02—109—1395—छात्रावास—

मूल	2,504.50		
पुनर्वि.	(—)414.16	2,090.34	1,978.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 414.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही आंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202—02—110—307—अशासकीय संस्थाओं

को अंशदान—

मूल	317.50		
पुनर्वि.	(—)140.16	177.34	88.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही आंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

अनुदान संख्या 50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2053—जिला प्रशासन

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016) टीका एवं टिप्पणियां	15,430	24,870	+9,440 4,616
--	--------	--------	-----------------

राजस्व :

- (i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 94,39,540 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
- (ii) ₹ 94.40 लाख की अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 46.16 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2053—093—2987—बीस सूत्रीय कार्यक्रम
का क्रियान्वयन—

मूल	154.30	248.70
पुनर्वि.	(-)46.16	108.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 46.16 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक
अनुदान	व्यय
	(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2075—विविध सामान्य सेवायें

2250—अन्य सामाजिक सेवायें

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

मूल	1,09,760			
पूरक	सांकेतिक	1,09,760	77,691	(-)32,069
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				21,648
(31 मार्च 2016)				

पूंजीगत :

पूरक	2,500			(-)2,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 320.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 216.48 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन अनुदान पर अपर्याप्त बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2250—103—3379—मंदिर आदि को

परिपोषण अनुदान—

मूल	38.50		
पुनर्वि.	(-)38.50		..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 38.50 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2250—103—4388—समाधियों, मंदिरों

के रख—रखाव और

अन्य भत्ते—

मूल	25.00			
पुनर्वि.	(-)15.00	10.00	5.00	(-)5.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए

गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2250—800—259—अन्य संरथाओं

को अनुदान—

मूल	100.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)37.11	62.89	51.96	(-)10.93

समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 112.11 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में प्रावधान से ₹ 37.11 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 51—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(4) 2250—800—6292—शासकीय मंदिरों

का पुनरोद्धार—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00

जिलों से दावे प्राप्त नहीं होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(5) 2250—800—0101—राज्य आयोजन (सामान्य)—

5805—मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों

पर धर्मशालाओं आदि

का निर्माण—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)18.34	81.66	12.00
			(-)69.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18.34 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पूँजीगत :

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4250—800—0101—राज्य आयोजन (सामान्य)—

5805—मंदिरों तथा धार्मिक

स्थलों पर धर्मशालाओं

आदि का निर्माण—

पूरक	25.00	25.00	..
			(-)25.00

₹ 25.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)		वास्तविक	आधिक्य+
कुल	व्यय	बचत(-)	
अनुदान	(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2853—अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

4217—शहरी विकास पर पूँजी

राजस्व :

मूल	2,72,047		
पूरक	12,322	2,84,369	1,13,611
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)1,70,758
(31 मार्च 2016)			1,65,686

पूँजीगत	4,20,000	2,56,297	(—)1,63,703
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,63,703
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अंत्यत कम था, दिसम्बर 2015 को प्राप्त किया गया ₹ 123.22 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,707.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 1,656.86 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
	(₹ लाख में)		

(1) 2217—05—789—192—0103—अनुसूचित जातियों के

लिए विशेष घटक योजना—

7643—मुख्यमंत्री शहरी

आजिविका योजना—

मूल

100.00

पुनर्वि.

(—)60.00

40.00

40.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2217—05—789—192—0103—अनुसूचित जातियों—

के लिए विशेष घटक योजना

8543—भागीरथी नल—

जल योजना—

मूल

406.26

पुनर्वि.

(—)406.26

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 406.26 लाख का प्रत्याहरण परियोजना का संचालन हेतु अधिकृत आधिकारियों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इसे शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(3) 2217—05—789—193—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7260—नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान—

मूल	482.00
पुनर्वि.	(-)294.77

187.23

187.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 294.77 लाख की कमी कोषालय से देयकों के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2217—05—789—193—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7643—मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(-)120.00

80.00

80.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2217—05—789—193—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8543—भागीरथी नल

जल योजना—

मूल	402.61
पुनर्वि.	(-)402.61

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 402.61 लाख का प्रत्याहरण परियोजना का संचालन हेतु प्रधिकत अधिकारियों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2853—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7611—गौण खनिज से प्राप्त

राजस्व का नगरीय निकायों

के लिए अंतरण—

मूल	250.00
पूरक	123.22
पुनर्वि.	(-)373.22

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 373.22 लाख का प्रत्याहरण निधि का आहरण करने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूंजीगत :

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4217—60—789—191—1103—राज्य वित्त आयोग की

अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7241—नगरीय निकायों का

अधोसंरचना विकास—

मूल	2,520.00
पुनर्वि.	(-)1,020.00

1,500.00

1,500.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,020.00 लाख की कमी कोषालय से देयकों की अनापत्ति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 4217-60-789-192-1103—राज्य वित्त आयोग की

अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7241—नगरीय निकायों का

अधोसंरचना विकास—

मूल 924.00

पुनर्वि. (-)401.03

522.97

522.97

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 401.03 लाख की कमी कोषालय से देयकों की अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4217-60-789-193-1103—राज्य वित्त आयोग की

अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7241—नगरीय निकायों का

अधोसंरचना विकास—

मूल 756.00

पुनर्वि. (-)216.00

540.00

540.00

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.00 लाख की कमी कोषालय से देयकों की अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

राजस्व	11,55,000	8,90,350	(—)2,64,650
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,64,650
(31 मार्च 2016)			

पूँजीगत	6,00,000	..	(—)6,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			6,00,000
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(-)
	अनुदान	व्यय	
		(₹ लाख में)	

(1) 2415—01—120—9182—इंदिरा गांधी

कृषि विश्वविद्यालय
को अनुदान—
मूल 8,700.00
पुनर्वि. (—)2,175.00 6,525.00 6,525.00 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,175.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2415—01—120—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8902—मेनपाट में आलू
अनुसंधान केन्द्र—
मूल 100.00
पुनर्वि. (—)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2415—01—120—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182—इन्दिरा गांधी कृषि
विश्वविद्यालय—
मूल 2,750.00
पुनर्वि. (—)371.50 2,378.50 2,378.50 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.50 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 54—समाप्त

पूँजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

4415—01—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182—इन्दिरा गांधी कृषि

विश्वविद्यालय को

अनुदान—

मूल	6,000.00
पुनर्वि.	(-)6,000.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 6,000.00 लाख का प्रत्याहरण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय

आधिकय+
बचत(—)

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2236—पोषण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	90,54,293			
पूरक	24,425	90,78,718	62,17,607	(—)28,61,111
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				29,09,016

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	10	..	(—) 10	10
---	----	----	--------	----

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	3,47,010			
पूरक	1,01,750	4,48,760	3,87,050	(—)61,710
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				61,710

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 194.25 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 244.25 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 28,611.11 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 29,090.16 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियन्त्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2235—02—001—9041—महिला एवं बाल

कल्याण संचानालय—

मूल	870.50		
पुनर्वि.	(—)312.59	557.91	555.62
			(—)2.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 312.59 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(2) 2235—02—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7361—सबला योजना—

मूल	334.40		
पुनर्वि.	(—)163.49	170.91	175.63
			+4.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.49 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय वास्तविक आधार पर किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। आंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(3) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजनान्तर्गत)— मूल 1,096.81 पुनर्वि. (—)702.94 393.87 410.19 +16.32			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 702.94 लाख की कमी एस.एन.आई.पी. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7262—मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (—)1,500.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,500.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा वापसी हेतु निर्देश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है (₹ 110.06 लाख)। शेष ₹ 1,389.94 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7423—इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (—)4,283.43 716.57 716.57			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,283.43 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9042—एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह— मूल 1,008.56 पुनर्वि. (—)536.85 471.71 494.06 +22.35			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 536.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(7) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 26,778.59 पुनर्वि. (—)7,526.57 19,252.02 19,554.54 +302.52			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,526.57 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वित्तीय वर्ष के अंत में मानदेय हेतु स्वीकृति प्राप्त होने, मितव्ययी उपायों के अपनाने, स्थानांतरण, प्रशिक्षण एवं एल.टी.सी. हेतु देयकों के प्राप्त नहीं होने, भवनों के किराये में कमी होने एवं भारत सरकार से नवीनीकरण घटक की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 602.13 पुनर्वि. (—)253.63 348.50 357.69 +9.19			

अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 253.63 लाख की कमी, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, छत्तीसगढ़ संवाद से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2003–04 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	
(9) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण—			
मूल	1,167.50		
पुनर्वि.	(–)633.60	533.90	534.24
			+0.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 633.60 लाख की कुल कमी में से ₹ 265.70 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 367.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना—				
मूल	5,000.00			
पुनर्वि.	(–)1,180.90	3,819.10	3,819.10	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,180.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010–11 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2235–02–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय—				
मूल	4,500.00			
पुनर्वि.	(–)495.69	4,004.31	4,009.96	+5.65

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 495.69 लाख की कमी आगनवाड़ी में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008–09 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2235–02–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक का विकास—				
मूल	2,465.00			
पुनर्वि.	(–)2,444.95	20.05	46.77	+26.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,444.95 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित व्यय वास्तविक आधार पर किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(13) 2235–02–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8958—आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय—				
मूल	150.00			
पुनर्वि.	(–)98.01	51.99	51.99	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.01 लाख की कमी बिजली का उपयोग नहीं किए जाने, मितव्ययी उपयोगों को अपनाने एवं आंगनबाड़ी के विद्युतीकरण के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(14) 2235—02—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7701—बेटी बचाओ— बेटी पढ़ाओ— पूरक 89.59 पुनर्वि. (—)68.78	20.81	25.41	+4.60	
				समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 68.78 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।
(15) 2235—02—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7702—महिलाओं के लिए हेल्प लाइन— पूरक 85.66 पुनर्वि. (—)85.66				
				समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 85.66 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।
(16) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5563—क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्था— मूल 141.75 पुनर्वि. (—)92.40	49.35	78.82	+29.47	
				समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.40 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
(17) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8626—अनैतिक देह व्यापार एवं यौन शोषण की रोकथाम हेतु कार्यक्रम— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)159.75	40.25	44.30	+4.05	
(18) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8681—राज्य महिला आयोग— मूल 220.60 पुनर्वि. (—)106.90	113.70	119.69	+5.99	
(19) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8809—घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नवा विहान)— मूल 281.52 पुनर्वि. (—)146.67	134.85	143.23	+8.39	
				उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 159.75 लाख, ₹ 106.90 लाख एवं ₹ 146.67 की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012—13 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।
(20) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8957—नौनी सुरक्षा योजना— मूल 4,050.00 पुनर्वि. (—)4,050.00				
				समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 4,050.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(21) 2235—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8976—कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम— मूल 131.37 पुनर्वि. (—)120.94 10.43 10.43 ..			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.94 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 7,500.00 पुनर्वि. (—)1,075.83 6,424.17 6,409.18 (—)14.99			
(23) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 23,000.00 पुनर्वि. (—)1,439.55 21,560.45 21,582.52 +22.07			
उपरोक्त क्रम संख्या (22) से (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,075.83 लाख एवं ₹ 1,439.55 लाख की कमी नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का न्यायालयीन प्रकरणों, शिकायतें आदि दर्ज होने के कारण संचालन नहीं होने, सबला योजना अंतर्गत दरों में कमी, महिला स्व सहायता समूह का भुगतान नहीं किए जाने एवं डबल फॉटीफाइड नमक वितरण पर रोकथाम के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8660—निःशुल्क नमक प्रदाय योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (—)700.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 700.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से डबल फॉटीफाइड नमक की खरीदी हेतु निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8985—रेडी टू ईट के लिए प्रयोगशाला की स्थापना/सुदृढ़ीकरण— मूल 50.00 पूरक 50.00 पुनर्वि. (—)92.75 7.25 7.35 +0.10			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,578.50 पुनर्वि. (—)411.51 1,166.99 1,175.98 +8.99			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 411.51 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. योजना से पूर्व में किए गए प्रावधान के अनुसार मितव्ययी उपायों को अपनाने, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के चिकित्सकों की संख्या में कमी एवं डी.जी.एस. एवं डी.से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 55—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2012–13 एवं 2014–15 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

337—आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण—			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)525.36	774.64	774.64

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 525.36 लाख की कमी वित्तीय वर्ष के अन्त में केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4235–02–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8985—रेडी टू ईट के लिए प्रयोगशाला की स्थापना / सुदृढ़ीकरण—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2851—ग्राम तथा लघु उद्योग

4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों
पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	8,72,922		
पूरक	सांकेतिक	8,72,922	6,75,938
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(−)1,96,984
(31 मार्च 2016)			1,97,518

प्रभारित—

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	10	..	(−)10
(31 मार्च 2016)			10

पूंजीगत :

दत्तमत	27,022	14,423	(−)12,599
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			12,449
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,969.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,975.18 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
(₹ लाख में)			

(1) 2851—103—931—केन्द्रीय कार्यालय—

मूल	462.65		
पुनर्वि.	(−)138.95	323.70	324.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से कुल ₹ 138.95 लाख की कमी में से ₹ 111.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 27.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2851—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7623—राष्ट्रीय हाथकरघा			
विकास कार्यक्रम—			

मूल	125.00		
पुनर्वि.	(−)125.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 125.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र विकास कार्यक्रम से संबंधित स्वीकृति राशि का कार्यकारी अधिकरण को प्रत्यक्ष रूप से अंतरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 2851—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6913—कुम्भकार टेराकोटा

शिल्प योजना—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)250.00

50.00

50.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी, आबंटित राशि विमुक्ति हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2851—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8655—माटीकला बोर्ड

की स्थापना—

मूल 350.00

पुनर्वि. (—)210.00

140.00

140.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 210.00 लाख की कमी आबंटित राशि के विमुक्ति हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2851—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9201—प्रदर्शनी, प्रचार

एवं प्रसार—

मूल 100.00

पुनर्वि. (—)60.00

40.00

40.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी आबंटित राशि के विमुक्ति हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2851—105—1068—खादी बोर्ड के स्थापना

व्यय हेतु अनुदान—

मूल 638.00

पुनर्वि. (—)196.00

442.00

442.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2851—107—3778—रेशम उद्योग

की योजनाओं का

क्रियान्वयन—

मूल 3,696.70

पुनर्वि. (—)399.06

3,297.64

3,296.90

(—)0.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 399.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी होने एवं राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2851—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5521—उत्प्रेरण विकास

कार्यक्रम—

मूल 526.50

पुनर्वि. (—)526.50

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 526.50 लाख का प्रत्याहरण केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा योजना को बंद किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अन्यथा किया गया।

अनुदान संख्या 56—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) ₹ 125.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 124.49 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6769—भारतीय हथकरघा

प्रौद्योगिकी संस्थान

की स्थापना—

मूल	105.00
पुनर्वि.	(-)105.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 105.00 लाख का प्रत्याहरण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(-) (₹ हजार में)
---------------	------------------	----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

राजस्व:

मूल	53,78,772			
पूरक	2,70,00,000	3,23,78,772	1,38,40,735	(—)1,85,38,037
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,90,67,910
(31 मार्च 2016)				
पूँजीगत		2,000		(—)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,000
(31 मार्च 2016)				
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किया गया कुल अनुपूरक प्रावधान ₹ 2,70,000.00 लाख में से दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया (₹ 1,35,000.00 लाख) अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था वहीं मार्च 2016 में प्राप्त किया गया (₹ 1,35,000.00 लाख) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,85,380.37 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,90,679.10 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2245—01—101—7710—फसल क्षति

हेतु सहायता—

पूरक	1,35,000.00		
पुनर्वि.	(—)1,00,879.21	34,120.79	33,313.26

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,332.53 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 96,546.68 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,00,879.21 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2245—01—103—7345—पोषण आहार—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(—)100.00

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2245—01—282—7347—लोक स्वास्थ्य—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(—)100.00

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(4) 2245—01—800—1467—जिला एवं
अन्य सड़कों—

मूल	2,000.00
पुनर्वि.	(-)2,000.00

जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,993.64 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.36 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,000.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(5) 2245—01—800—2389—निर्माण कार्य—

मूल	500.00
पुनर्वि.	(-)500.00

(6) 2245—01—800—3819—लघु सिंचाई (कृषि)—

मूल	1,100.00
पुनर्वि.	(-)1,100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,100.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(7) 2245—02—101—747—ओला पीड़ितों

को राहत—

मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)238.63	761.37	821.30	+59.93

सरगुजा जिले के ओला वृद्धि प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 489.00 लाख की वृद्धि एवं जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 727.63 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 238.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(8) 2245—02—102—2661—पेय जल प्रदाय—

मूल	300.00			
पुनर्वि.	(-)300.00			

जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2245—02—106—1467—जिला एवं

अन्य सड़कों—

मूल	4,400.00			
पुनर्वि.	(-)4,365.46	34.54	34.54	

तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34.54 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,400.00 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,365.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(10) 2245—02—107—7349—मरम्मत—

मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00			

(11) 2245—02—108—7349—मरम्मत—

मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(12) 2245—02—109—7349—मरम्मत—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः प्रति ₹ 100.00 लाख के प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है एवं 2012—13 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत भी हुई थी।

(13) 2245—02—110—2018—नगद दान—

मूल	600.00			
पुनर्वि.	(-)540.67	59.33	62.07	+2.74

समर्पण द्वारा ₹ 390.67 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 540.67 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 2245—02—111—7352—शोकाकुल परिवारों

को सहायक अनुदान—

मूल	2,300.00			
पुनर्वि.	(-)400.52	1,899.48	2,174.91	+275.43

जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 500.52 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 400.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2245—02—112—5607—बाढ़ नियंत्रण—

मूल	1,700.00			
पुनर्वि.	(-)1,577.33	122.67	128.89	+6.22

जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 965.23 लाख की कमी एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 312.10 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 612.10 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,577.33 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। ₹ 300.00 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2245—02—112—7357—बाढ़ आदि

में सहायता—

मूल	109.00			
पुनर्वि.	(-)109.00

जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 9.00 लाख की कमी एवं सूखा ग्रस्त किसानों को सहायता देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 109.00 लाख का प्रत्याहरण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2245—02—113—7357—बाढ़ आदि

में सहायता—

मूल	1,200.00			
पुनर्वि.	(-)726.40	463.60	466.52	+2.92

जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 726.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(−)
	(₹ लाख में)		

(18) 2245—02—114—7357—बाढ़ आदि

में सहायता—

मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(−)726.09	273.91	223.12

(−)50.79

समर्पण द्वारा ₹ 626.09 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 726.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। उभय कमियों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2245—02—117—7357—बाढ़ आदि

में सहायता—

मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(−)587.77	412.23	454.12

+41.89

जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 409.77 लाख की कमी एवं सूखा ग्रस्त किसानों को सहायता देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 178.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 587.77 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2245—02—122—989—क्षतिग्रस्त सिंचाई,

बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों

के मरम्मत और उसकी

पुनः स्थापना—

मूल	4,400.00		
पुनर्वि.	(−)4,034.34	365.66	394.40

+28.74

जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 21.34 लाख की कमी एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने तथा सूखा ग्रस्त किसानों को सहायता देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,013.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,034.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई गत हुई है।

(21) 2245—05—101—4849—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता

निधि से आपदा राहत निधि

में अंतरण—

मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(−)3,000.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 3,000.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2012—13 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2245—05—101—7427—राज्य आपदा

मोर्चन निधि—

मूल	24,100.00		
पुनर्वि.	(−)2,853.50	21,246.50	21,246.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,853.50 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2245—80—103—4849—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता

निधि से आपदा राहत

निधि में अंतरण—

पूरक	1,35,000.00		
पुनर्वि.	(−)82,276.00	52,231.00	52,231.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82,276.00 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 58—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)	बचत(—)

(1) 2245—01—101—2018—नगद दान—

मूल	800.00		
पुनर्वि.	12,784.56	13,584.56	17,941.51

जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,570.00 की लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 785.44 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 12,784.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2245—01—101—96—अग्नि पीड़ितों

को राहत—

मूल	1,005.00		
पुनर्वि.	(—)101.47	903.53	1,184.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.47 की लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 2245—01—102—2661—पेयजय

की पूर्ति—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	4,140.18	4,240.18	4,259.42

जिला कलेक्टरों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 157.82 की लाख की कमी एवं सूखा ग्रस्त जिलों में पेय जल की मांग होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,298.00 लाख की वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,140.18 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 2245—02—101—2018—नगद दान

2,300.00	3,379.44	+1,079.44
----------	----------	-----------

अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(v) आकाल राहत निधि—

यह निधि बाढ़ अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2015 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 1,611.51 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान (—) ₹ 794.90 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान ₹ 47.12 लाख का निवेश किया गया। 31 मार्च 2016 को निधि का अंत शेष ₹ 767.49 लाख (जमा) था।

निधि लेखा का 31 मार्च 2016 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :-

विवरण	01 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2016 को अंतशेष
अकाल राहत निधि	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में	₹ लाख में
	101 निधि लेखा	1,202.81 (जमा)	00	(—)842.09
	102 निवेश लेखा	408.70 (जमा)	47.12	47.19
	योग	1,611.51 (जमा)	47.12	(—)794.90
				767.49 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2015—16 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संब्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में सम्मिलित किया गया है।

(vi) राज्य आपदा मोर्चन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोर्चन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक—2005' के खण्ड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग)के पत्र क्रम संख्या 33—5/2015—एन.डी.एम—1 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू—स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोर्चन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोर्चन निधि के अन्तर्गत 2015–16 से 2019–20 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 14 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोर्चन निधि की कुल राशि में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2015–16 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 24,100.00 लाख में से केन्द्रांश ₹ 18,075.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 6,025.00 लाख था।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष “1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान—01—आयोजनेतर अनुदान—109—राज्य आपदा मोर्चन निधि में अंशदान हेतु अनुदान” के अंतर्गत जमा होता था। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष “8121—“सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोर्चन निधि” में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष “2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत—05—राज्य आपदा मोर्चन निधि—101—आरक्षित निधि में अंतरण” में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोर्चन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर “2245—दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोर्चन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोर्चन निधि के अंतर्गत पुर्णप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2015 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 35,658.42 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा शीर्ष “8121—“सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोर्चन निधि” में ₹ 74,056.73 लाख जमा किया गया। एवं लेखा शीर्ष “2245—05—101—7427 को नामें किया गया है। ₹ 65,005.36 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2016 को निधि का अंत शेष ₹ 44,709.79 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियम योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष “2049—ब्याज आदयी”—05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामे किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोर्चन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोर्चन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ.निधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोर्चन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोर्चन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से राशि ₹ 52,231.00 लाख की राशि विमुक्त की है एवं राज्य शासन का पत्र क्रमांक 235/वित्त/B—/2015 दिनांक 19.05.2016 द्वारा इसके जमा हेतु स्वीकृति जारी की है।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2015–16 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया। 2011–12 एवं 2014–15 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं

**4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों
पर पूँजीगत परिव्यय**

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	7,400	3,273	(—)4,127 4,109
पूँजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	5,20,000	5,10,566	(—)9,434 5,306
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 41.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को ₹ 41.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7282—जिला योजना का

सुदृढ़ीकरण—

मूल	74.00		
पुनर्वि.	(—)41.09	32.91	32.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 41.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :

(iii) ₹ 94.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 53.06 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4515—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7493—विधान सभा निर्वाचन

क्षेत्र विकास योजना—

मूल	5,200.00		
पुनर्वि.	(—)53.06	5,146.94	5,105.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.06 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2215—जलपूर्ति और सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम और रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार
- 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्रामीण रोजगार
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 3275—अन्य दूरसंचार सेवायें
- 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
- 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
- 6401—कृषि कार्य के लिए कर्ज
- 6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	3,12,02,551			
पूरक	18,00,439	3,30,02,990	2,15,21,990	(-)1,14,81,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				90,62,730

प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			10

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	1,08,68,581			
पूरक	7,13,112	1,15,81,693	68,77,296	(-)47,04,397
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				24,35,796

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 2,504.18 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 3,398.77 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 12,101.44 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 18,004.39 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,14,810.00 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया केवल ₹ 90,627.30 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2202—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

495—आश्रम और शालाएं—

मूल 1,071.10

पुनर्विनियोजन ₹419.45

651.65

746.61

+94.96

मांग प्राप्त नहीं होने एवं कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 348.45 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71.00 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 419.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी के कारणों का साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2202—01—789—108—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5904—निःशुल्क पाठ्य

पुस्तक प्रदाय

1,100.00

21.47

(−)1,078.53

(3) 2202—01—789—109—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

1394—छात्राओं का गणवेश

(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)

935.00

144.11

(−)790.89

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(4) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान	25,708.00	19,850.19	(-)5,857.81
(5) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	3,145.00	2,483.75	(-)661.25
(6) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	2,475.00	1,902.74	(-)572.26
(7) 2202-02-789-104-1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	971.70	449.75	(-)521.95
(8) 2202-02-789-109-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 5,000.00 पूरक 2,230.40 पुनर्वि. (--)2,832.26	4,398.14	4,398.14	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,832.26 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	17,400.00	4,067.88	(-)13,332.12
--	-----------	----------	--------------

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009-10 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1395—छात्रावास— मूल 3,813.00 पुनर्वि. (--)1,095.79	2,717.21	2,952.08	+234.87
---	----------	----------	---------

प्रावधान से ₹ 1,095.79 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 332.00 लाख की वृद्धि, जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण एवं ₹ 1,417.79 लाख की कमी, कोषालय से निधि का आहरण नहीं किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 218.00 लाख के अन्य कमी, जिसके पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016), का निवल प्रभाव था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(11) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3673-राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 6,820.00 पुनर्वि. (-)3,055.73 3,764.27 3,806.97 +42.70			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,055.73 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(12) 2202-03-789-001-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 1,320.00 पुनर्वि. (-)547.56 772.44 772.44 ..			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 547.56 लाख की कमी केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 2202-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 3,061.40 पुनर्वि. (-)437.73 2,623.67 2,611.36 (-)12.31			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 437.73 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार भुगतान करने एवं जिलों से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011-12 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210-01-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6967-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर— मूल 2,562.00 पुनर्वि. (-)303.39 2,258.61 2,242.33 (-)16.28			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.39 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(15) 2210-01-789-200-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8645-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 612.00 पुनर्वि. (-)193.60 418.40 418.40 ..			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(16) 2210-01-789-200-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8649-मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00			

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्यहारण राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(17) 2210–02–789–101–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7503—आयुष संस्थाओं का उन्नयन	140.76	..	(–)140.76
₹ 140.76 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने का कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(18) 2210–02–789–101–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8951—आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय, बिलासपुर	383.90	178.98	(–)204.92
बचत के करण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210–03–789–103–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1228—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय— मूल 544.60 पुनर्वि. (–)284.01	260.59	326.79	+66.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 284.01 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210–03–789–110–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन— मूल 12,320.00 पुनर्वि. (–)6,620.35	5,699.65	5,699.65	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,620.35 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210–03–789–198–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)— मूल 3,831.80 पुनर्वि. (–)1,704.78	2,127.02	2,155.89	+28.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,704.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210–05–789–101–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8952—आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर	660.10	160.43	(–)499.67
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(23) 2210—05—789—105—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6968—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर—	मूल 3,090.50 पूरक 400.00 पुनर्वि. (—)609.14	2,881.36	2,843.79 (—)37.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 609.14 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(24) 2210—06—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7679—टी.बी. के रोकथाम हेतु पोषण आहार—	मूल 200.00 पुनर्वि. (—)200.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्यहारण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(25) 2210—80—789—798—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	मूल 500.00 पुनर्वि. (—)392.76	107.24	107.24 ..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 392.76 लाख की कमी राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2211—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 621—उप स्वारथ्य केन्द्र—	मूल 1,717.50 पुनर्वि. (—)994.89	722.61	960.08 +237.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 994.89 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(27) 2215—01—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम—	मूल 1,467.00 पूरक 600.00	2,067.00	1,932.33 (—)134.67
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2215—02—789—107—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान—	मूल 3,600.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)186.43	3,413.57	2,963.57 (—)450.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(29) 2216—03—789—105—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6549—इंदिरा आवास योजना— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)3,764.14	2,235.86	2,237.66	+1.80
उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 186.43 लाख एवं ₹ 3,764.14 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप शेष राशि का समर्पण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(30) 2217—80—789—191—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7685—स्मार्ट सिटी— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)550.00
(31) 2217—80—789—191—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7686—सरदार पटेल शहरी आवास— मूल 5,280.00 पुनर्वि. (-)5,280.00
उपरोक्त क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से क्रमशः ₹ 550.00 लाख एवं ₹ 5,280.00 लाख का प्रत्यहारण केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(32) 2217—80—789—191—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 220.00 पुनर्वि. (-)110.00	110.00	110.00	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.00 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(33) 2225—01—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7629—अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ— मूल 595.00 पुनर्वि. (-)350.96	244.04	293.62	+49.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 350.96 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(34) 2225—01—789—102—0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित — 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 1,990.00 पुनर्वि. (-)614.80	1,375.20	1,682.78	+307.58

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 614.80 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(35) 2225—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

5631—अनुसूचित जाति

विकास प्राधिकरण—

मूल 550.00

पुनर्वि. (—)219.71

330.29

330.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 219.71 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने एवं जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(36) 2225—01—789—190—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

3185—अनुसूचित जाति सहकारी

वित्त विकास निगम

की स्थापना—

मूल 600.00

पुनर्वि. (—)386.00

214.00

214.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 386.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(37) 2225—01—789—277—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण

योजनाएँ—

मूल 503.00

पुनर्वि. (—)285.60

217.40

218.63

+1.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.60 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(38) 2230—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

7632—युवा क्षमता विकास

योजना—

मूल 100.00

पुनर्वि. (—)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्यहारण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(39) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5354—एकीकृत सेवायें योजना

(विदेशी सहायता

अन्तर्गत योजना)—

मूल 239.81

पुनर्वि. (—)136.30

103.51

103.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.30 लाख की कमी भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित एस.एन.आई.पी. परियोजना का निष्पादन हेतु गतिविधियों को पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(40) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7423—इंदिरा गांधी मातृत्व

सहयोग योजना—

मूल 1,200.00

पुनर्वि. (-)1,200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,200.00 लाख का प्रत्यहारण व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(41) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

9044—एकीकृत बाल

विकास योजना—

मूल 6,492.23

पुनर्वि. (-)1,814.63

4,677.60

4,684.39

+6.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,814.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा, स्थानान्तरण एवं प्रशिक्षण के दावे प्राप्त न होने, मितव्यवी उपयों को अपनाने एवं किराए के भवन से स्व निर्मित भवन में स्थानान्तरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42) 2235—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6908—कार्यकर्ताओं एवं

सहायिकाओं

को मानदेय—

मूल 1,080.00

पुनर्वि. (-)133.93

946.07

978.65

+32.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.93 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(43) 2235—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का

उन्नयन तथा ईसीसीई

घटक—

मूल 591.60

पुनर्वि. (-)582.10

9.50

15.99

+6.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 582.10 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(44) 2235—02—789—103—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8957—नौनी सुरक्षा

योजना—

मूल 950.00

पुनर्वि. (-)949.17

0.83

1.07

+0.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 949.17 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(45) 2236—02—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2179—अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम— मूल 5,750.00 पुनर्वि. (—)874.39 4,875.61 4,863.66 (—)11.95			

(46) 2236—02—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7361—सबला योजना— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (—)432.65 1,367.35 1,367.35 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (45) एवं (46) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 874.39 लाख एवं ₹ 432.65 लाख की कमी नव गठित आंगनवाड़ी एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की शिकायतें तथा न्यायालयिन प्रकरणों के कारण योजना का निष्पादन नहीं किए जाने, डबल फोर्टीफाइट साल्ट का प्रदाय बंद किए जाने, भारत सरकार से 'सबला योजना' के अन्तर्गत गेहूँ का आबंटन प्राप्त नहीं होने एवं महिला स्व सहायता समूह को पुर्ण भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (45) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(47) 2236—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 394.68 पुनर्वि. (—)133.21 261.47 279.34 +17.87
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.21 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाये जाने, नवजतन योजना का सत्यापन कार्य पुर्ण नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किए जाने, निजि चिकित्सकों की संख्या में कमी, देयक प्राप्त न होने एवं आई. सी. डी. एस. द्वारा बनाये गये प्रावधानों के अनुसार आंगनवाड़ी गुणवत्ता विकास अभियान के अन्तर्गत राज्य निधि से किये गये व्यय में मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(48) 2401—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान— मूल 1,320.00 पूरक 300.00 पुनर्वि. (—)554.20 1,065.80 1,065.80 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 554.20 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(49) 2401—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 763.80 पुनर्वि. (—)77.00 686.80 659.49 (—)27.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.00 लाख की कमी कोषालय में तकनिकी समस्या आने से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(50) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,098.00 पुनर्वि. (-)1,527.47	570.53	570.61	+0.08

प्रवधान से ₹ 1,527.47 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.64 लाख की कमी, डिजल पम्प से सिंचाई हेतु निधि की आवश्यकता के कारण एवं सॉइल हेल्थ कार्ड का समावेश एवं परम्परागत कृषि विकास योजना को उपयोजना बनाए जाने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,411.83 लाख की अन्य कमी का संयुक्त प्रभाव था, समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(51) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7265—एन.एम.एस.ए.ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00

प्रावधान से ₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रत्यहारण समर्पण द्वारा ₹ 209.80 लाख की कमी इस योजना का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित होने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.20 लाख की अन्य कमी, का संयुक्त प्रभाव था। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(52) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (हरित क्रांति)— मूल 2,200.00 पूरक 415.23 पुनर्वि. (-)1,548.26

1,066.97 1,066.97 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,548.26 लाख की कमी राज्य स्तरीय समिति द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(53) 2401-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी.सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर ¹ एक्सटेंशन— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)130.45
--

229.55 229.55 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.45 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि की विमुक्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(54) 2401-789-110-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना— 8997—मॉडीफाइड राष्ट्रीय फसल बीमा योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00

..

अनुदान संख्या 64—जारी

प्रावधान से ₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रत्यहारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 599.90 लाख की कमी, मॉडीफाईड राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से बदले जाने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.10 लाख की अन्य कमी, का संयुक्त प्रभाव था। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(55) 2401–789–113–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8961—कृषि यात्रिकी करण

मिशन अन्तर्गत कृषि यंत्रों

पर अनुदान—

मूल 360.00

पुनर्वि. (–)268.24

91.76

91.76

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 268.24 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि की विमुक्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(56) 2401–789–119–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6831—राज्य अंशदान के लिए

राष्ट्रीय बागवानी

मिशन योजना—

मूल 1,704.00

पुनर्वि. (–)399.28

1,304.72

1,327.89

+23.17

प्रावधान से ₹ 399.28 लाख की कमी समर्पण द्वारा ₹ 519.28 लाख की कमी, स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.00 लाख की वृद्धि, राज्यांश के समतुल्य राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण उल्लिखित होने, का निवल प्रभाव था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(57) 2401–789–119–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल 827.00

पुनर्वि. (–)532.17

294.83

294.94

+0.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 532.17 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(58) 2401–789–119–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7265—एन.एम.एस.ए. ऑन

फार्म वाटर मेनेजमेंट

योजना—

मूल 370.32

पुनर्वि. (–)370.32

प्रावधान से ₹ 370.32 लाख का सम्पूर्ण प्रत्यहारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.00 लाख की कमी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु राज्यांश उपलब्ध कराने एवं समर्पण द्वारा ₹ 250.32 लाख की अन्य कमी, केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने का संयुक्त प्रभाव था। 2014–15 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई।

(59) 2401–789–119–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना

180.00

77.11

(–)102.89

बचत के करणों को सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(60) 2401—789—119—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8945—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (साग सब्जी)— मूल 121.00 पुनर्वि. (—)121.00			
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 121.00 लाख का प्रत्यहारण योजना का निष्पादन हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(61) 2402—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम— पूरक 387.10 पुनर्वि. (—)387.10			
(62) 2403—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7257—राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (61) एवं (62) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण क्रमशः ₹ 387.10 लाख एवं ₹ 100.00 लाख का प्रत्यहारण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(63) 2403—789—102—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7621—नेशनल लाइव स्टॉक मिशन— पूरक 250.00 पुनर्वि. (—)92.85 157.15 26.85 (—)130.30			
प्रावधान से ₹ 92.85 लाख की कमी समर्पण द्वारा ₹ 105.20 लाख की कमी, केन्द्र एवं राज्यांश में त्रुटि परिलक्षित होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.35 लाख की वृद्धी, केन्द्रांश की विमुक्ति हेतु प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण उल्लिखित होने, का निवल प्रभाव था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(64) 2403—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 600.00 पुनर्वि. (—)225.57 374.43 374.43 ..			
प्रावधान से ₹ 225.57 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.49 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 155.08 लाख की अन्य कमी का संयुक्त प्रभाव था। दोनों कमीयां केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(65) 2406—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2962—अवनत वनों का विकास— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (—)221.04 2,778.96 2,854.77 +75.81			

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.04 लाख की कमी अधिनस्थ वन मण्डलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(66) 2406—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—
2533—हरियाली प्रसार योजना—

मूल 2,280.00
पुनर्वि. (-)183.87

2,096.13 1,532.59 (-)563.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.87 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(67) 2406—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—
6828—पथ वृक्षारोपण—

मूल 220.00
पुनर्वि. (-)124.49

95.51 95.66 +0.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 124.49 लाख की कमी सड़क के किनारे वृक्ष रोपण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(68) 2406—04—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित

योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7261—राष्ट्रीय वनीकरण

कार्यक्रम—

पूरक 700.00

700.00 .. (-)700.00

₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(69) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5456—अन्त्योदय अन्न योजना—

मूल 540.00
पुनर्वि. (-)324.00

216.00 216.00 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 324.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(70) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न

सहायता योजना—

मूल 50,400.00
पुनर्वि. (-)8,822.80

41,577.20 36,577.22 (-)4,999.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,822.80 लाख की कमी विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(71) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8933—शक्कर वितरण

योजना—

मूल 540.00
पुनर्वि. (-)163.64

376.36 376.36 ..

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(72) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8999—मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना— मूल 864.00 पुनर्वि. (—)290.30	573.70	573.70	..
(73) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9993—रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान— मूल 1,188.00 पुनर्वि. (—)712.95	475.05	475.05	..
उपरोक्त क्रम संख्या (71) से (73) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 163.64 लाख, ₹ 290.30 लाख एवं ₹ 712.95 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (72) एवं (73) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(74) 2425—789—107—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 1,936.00 पुनर्वि. (—)1,936.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,936.00 लाख का प्रत्यहारण कोषालय से आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(75) 2501—02—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 900.00 पुनर्वि. (—)106.67	793.33	793.33	..
(76) 2501—06—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (—)1,001.70	798.30	798.30	..
(77) 2505—60—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना— मूल 33,000.00 पुनर्वि. (—)18,256.97	14,743.03	14,743.03	..

अनुदान संख्या 64—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (75) से (77) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 106.67 लाख, ₹ 1,001.70 लाख एवं ₹ 18,256.97 लाख की कमी राज्यांश की शेष राशि का अभ्यार्पण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (75) एवं (77) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(78) 2801–06–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7305–5 एच.पी.के कृषि पर्म्पों
को निःशुल्क विद्युत शुल्क में
राहत हेतु सब्सिडी—

मूल 26,260.00
पुनर्वि. (–)6,590.00

19,670.00

19,670.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,590.00 लाख की कमी देयकों को पूर्व में प्रस्तुत होने पर भी कोषालय द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(79) 2810–02–789–101–0410—उर्जा विकास निधी—

7693—सोलर पम्प हेतु सहायक अनुदान 357.60

232.44

(–)125.16

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(80) 2851–789–107–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5521—ईनड्यूस विकास

कार्यक्रम—

मूल 126.34
पुनर्वि. (–)126.34

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 126.34 लाख का प्रत्यहारण केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर द्वारा योजना का समापन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(1) 2055–789–109–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5172—नये थानों की स्थापना—

मूल 303.00
पुनर्वि. (–)12.37

290.63

540.28

+249.65

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.37 लाख की कमी मितव्यवी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2202–02–789–109–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7363—युवा कैरियर निर्माण
योजना—

मूल 120.20
पुनर्वि. (–)11.51

108.69

684.55

+575.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.51 लाख की कमी कम मांग प्राप्त होने एवं रिक्त पदों पुर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2210—03—789—197—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 1,376.00 पुनर्वि. (—)176.39	1,199.61	1,856.02	+656.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.39 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ है।

(4) 2215—01—789—192—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6860—चांपा जल प्रदाय योजना	0.10	209.83	+209.73
---	------	--------	---------

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(5) 2401—789—110—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8792—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 599.90	599.90	599.90	..
---	--------	--------	----

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 599.90 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागु किए जाने से राशि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2406—04—789—101—0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7261—राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	500.00	899.24	+399.24
---	--------	--------	---------

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, जुलाई 2015 (₹ 5,376.61 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 1,754.51 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 7,131.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vi) ₹ 47,043.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया केवल ₹ 24,357.96 लाख का अभ्यर्पण कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202—01—789—202—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1400—छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण— मूल 150.00 पुनर्वि. (—)150.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(2) 4202—02—789—103—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

717—ओद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थाएं—

मूल 275.00

पुनर्वि. (−)274.10

0.90

0.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.10 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4210—01—789—110—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6967—चिकित्सा महाविद्यालय

तथा संबंध चिकित्सालय

बिलासपुर—

पूरक 525.00

पुनर्वि. (−)525.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 525.00 लाख की प्रत्याहरण का कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 4210—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का

भवन निर्माण—

मूल 193.50

पूरक 150.00

343.50

150.81

(−)192.69

(5) 4210—02—789—103—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

4143—मूलभूत सेवाओं के

अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र का निर्माण—

मूल 176.00

पूरक 275.00

451.00

227.29

(−)223.71

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 4210—03—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8952—आयुर्वेदिक महाविद्यालय

बिलासपुर

150.00

(−)150.00

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(7) 4215—01—789—102—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5403—पाइप द्वारा ग्रामीण

जल प्रदाय योजना

5,375.00

3,125.62

(−)2,249.38

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(8) 4215—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना—	250.00	29.24	(—)220.76
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4225—01—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7699—प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— पूरक 4,000.00 पुनर्वि (—)3,956.00	44.00	44.00	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,956.00 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 4225—01—789—102—0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (—)944.40	555.60	575.60	+20.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 944.40 लाख की कमी शासन से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(11) 4225—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (—)9.23	2,990.77	2,413.01	(—)577.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.23 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित की नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(12) 4235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 312.00 पुनर्वि. (—)142.88	169.12	169.12	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 142.88 लाख की कमी वित्तीय वर्ष के अंत में केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4515—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7493—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)6.93	993.07	613.67	(—)379.40

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.93 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(14) 4700—01—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—			
2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,102.70	2,897.30	2,897.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,102.70 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 4700—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—			
2898—बांध तथा संलग्न कार्य—			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,120.04	2,879.96	2,878.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,120.04 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही से संबंधित योजनागत व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 4700—10—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—			
2884—नहर तथा उससे			
संबंधित कार्य—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)950.52	49.48	49.48

प्रावधान से ₹ 950.52 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 97.00 लाख की कमी, निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 853.53 लाख की अन्य कमी, वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही से संबंधित योजना व्यय कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है, का संयुक्त प्रभाव था। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई है।

(17) 4700—12—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—			
2884—नहर तथा उससे			
संबंधित कार्य—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)302.21	697.79	697.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.21 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण हेतु देयकों का समायोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 4702—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—			
3803—माईनर एवं माइक्रो			
माईनर सिंचाई योजना—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00		

समर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति एवं भूमि अधिग्रहण हेतु देयकों का समायोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(19) 4702-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)2,038.35	1,461.65	1,461.71	+0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,038.35 लाख की कमी वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति हेतु देयकों का समायोजन नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही से संबंधित योजना व्यय में कमी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 4702-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059—एनिकट /स्टॉप डेम का निर्माण— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)3,320.92	3,679.08	3,617.72	(-)61.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,320.92 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही से संबंधित ^{योजनागत व्यय में कमी किए जाने एवं निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008-09 से 2014-15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।}			
(21) 4702-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422—औद्योगिक जल संरचना निर्माण— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)2,104.45	4,895.55	4,895.54	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,104.45 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही से संबंधित ^{योजनागत व्यय कमी में किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।}			
(22) 4801-06-789-800-0410—उर्जा विकास निधी— 6758—कृषि पंपों का उर्जाकरण— मूल 1,720.00 पूरक 794.51	2,514.51	1,720.00	(-)794.51
अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(23) 5054-03-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149—वहद पुलो का निर्माण	2,987.00	971.09	(-)2,015.91
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009-10 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	3,575.00	679.43	(-)2,895.57
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012-13 से 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
(25) 5054—04—789—337—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 8,600.00 पुनर्वि. (−)2,200.00 6,400.00 4,821.40 (−)1,578.60			
(26) 5054—04—789—337—0313—नाबाड़ पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (−)1,779.00 1,221.00 542.51 (−)678.49			
उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,200.00 लाख एवं ₹ 1,779.00 लाख की कमी अनुबंध में विलम्ब होने से योजना का अगले वित्त वर्ष में कार्यान्वित होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (26) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 5054—04—789—337—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण— मूल 31,839.00 पुनर्वि. (−)650.00 31,189.00 16,560.78 (−)14,628.22			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 650.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(28) 6215—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2182—नगरीय नई शहरी जल प्रदाय योजनाएं 230.00 38.50 (−)191.50			
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 6408—02—789—190—0311—नाबाड़ पोषित योजनायें (सामान्य)— 8545—नाबाड़ सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (−)828.91 371.09 371.09 ..			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 828.91 लाख की कमी कोषालय द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
(1) 4250—789—203—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 976—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 200.00 पुनर्वि. 550.00 750.00 635.60 (−)114.40			

अनुदान संख्या 64—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 550.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
(2) 5054-04-789-337-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—			
मूल	9,000.00		
पुनर्वि. पुनर्वि.	(-)1.00	8,999.00	13,141.04
			+4,142.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना का केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में अन्तरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—**2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें****5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय****राजस्व:**

दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	1,74,042	1,54,893	(—)19,149 18,837
---	----------	----------	---------------------

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	10	..	(—)10 10
---	----	----	-------------

पूंजीगत:

दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	4,95,400	4,95,400
---	----------	----------	----------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 191.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 188.37 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

2052—091—4043—विमानन संचालनालय—

मूल	1,740.42		
पुनर्वि.	(—)188.37	1,552.05	1,548.93 (—)3.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.37 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपयों को अपनाने एवं नए हैंगर द्वारा कार्य का निष्पादन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2004—05 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 66—पिछ़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिकय+
बचत(-)**मुख्य शीर्ष-****2202—सामान्य शिक्षा**

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा

पिछ़े वर्गों का कल्याण

4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य

पिछ़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	21,03,640			
पूरक	64,800	21,68,440	15,67,274	(-)6,01,166
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,05,444
(31 मार्च 2016)				

पूंजीगत	2,16,500	15,824	(-)2,00,676
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,00,676
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम था, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 648.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 6,011.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 6,054.44 लाख का अभ्यर्पण आवस्ताविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
(₹ लाख में)			

(1) 2202—02—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5904—निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय—

मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	180.00	180.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 2202—02—109—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—

8050—छात्रवृत्तियां—

मूल	1,800.00		
पूरक	648.00		
पुनर्वि.	(-)2,448.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 2,448.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(3) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2949—बालिकाओं का गणवेश—

मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(—)599.03	500.97	398.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 599.03 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3673—राज्य छात्रवृत्तियां—

मूल	14,500.00		
पुनर्वि.	(—)998.48	13,501.52	13,870.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 998.48 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5551—हाई स्कूल की छात्राओं को

निःशुल्क सायकल प्रदाय—

मूल	586.00		
पुनर्वि.	(—)54.13	531.87	323.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54.13 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2225—04—277—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

8050—छात्रवृत्तियां—

मूल	1,615.00		
पुनर्वि.	(—)1,611.64	3.36	3.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,611.64 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 4202—01—202—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

1395—छात्रावास—

मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4225—03—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5096—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास

निगम को अंशपूँजी धनवेष्टन—

मूल	140.00		
पुनर्वि.	(—)90.00	50.00	50.00

अनुदान संख्या 66—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी कोषालय से देयकों का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 4225—04—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना—

पूरक 1,500.00

पुनर्वि. (—)1,499.76

0.24

0.24

..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,499.76 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4225—04—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9410—हज कमेंटी को सहायक अनुदान—

मूल 200.00

पुनर्वि. (—)200.00

..

..

..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

कुल अनुदान
या
विनियोग

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

- 2059—लोक निर्माण कार्य
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2216—आवास
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम तथा रोजगार
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2403—पशुपालन
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
 3054—सड़क तथा सेतु
 4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4405—मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय
 5053—नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	50,38,560			
पूरक	1,344	50,39,904	37,78,949	(-)12,60,955
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,106
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित	4,500	2,859	(-)1,641
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	46,38,893			
पूरक	14,46,228	60,85,121	48,28,563	(-)12,56,558
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				100
(31 मार्च 2016)				

अनुदान संख्या 67—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 6.00 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 7.44 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 13.44 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 12,609.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 21.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्षक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059—01—051—2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	200.00	..	(-)200.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख के अत्यधिक अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 2059—01—053—2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	550.00	419.46	(-)130.54
(3) 2059—01—053—3383—विशेष मरम्मत—भवन	900.00	683.42	(-)216.58
(4) 2059—01—053—3387—विशेष मरम्मत—भवन	450.00	371.74	(-)78.26
(5) 2059—01—053—4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण (मूलभूत सेवाओं के लिए)	880.00	630.77	(-)249.23
(6) 2059—01—053—6220—लोक निर्माण विभाग	375.00	274.89	(-)100.11
(7) 2059—60—053—3645—राजकीय उच्चतर विद्यालय एवं महाविद्यालयों भवनों के रख रखाव	660.00	540.18	(-)119.82
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2), (3) एवं (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2059—60—053—3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख रखाव—			
मूल 982.50			
पूरक (−)120.00	862.50	677.82	(-)184.68
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2059—60—053—4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	330.00	205.06	(-)124.94
अत्यधिक राशि की बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(10) 2059—80—001—2418—निष्पादन—			
मूल 18,579.57			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 2.15	18,581.72	16,604.77	(-)1,976.95
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.15 लाख का आर्वधन लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2059—80—001—3566—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	2,068.45		
पुनर्वि.	(-)3.45	2,065.00	1,413.41
			(-)651.59
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 3.45 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2418—निष्पादन	8,652.95	7,566.86	(-)1,086.09
(13) 2059—80—052—9269—मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन	886.75	531.10	(-)355.65
(14) 2059—80—799—1051—भण्डारण	547.75	120.50	(-)427.25
(15) 2216—05—053—4095—विशेष मरम्मतें	1,875.00	1,385.69	(-)489.31
(16) 2216—05—053—4489—सामान्य मरम्मतें	1,800.00	1,705.83	(-)94.17
(17) 2216—80—001—2300—निर्देशन और प्रशासन— (मांग संख्या 67—2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभारों का समानुपातिक भाग)	4,380.83	3.75	(-)4,377.08
(18) 2216—80—052—692—औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67—2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)	603.43	0.36	(-)603.07

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (18) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत, 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत, 2012—13 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत, 2011—12 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2007—08 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 71.45 लाख को "2059—लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यात्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (vi) में दिए गए हैं।

वर्ष 2015—16 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2015 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2016 को नामे+ जमा(-)
(₹लाख में)				
2059—लोक निर्माण कार्य—				
(i) क्रय	(-) 2,282.95	(-) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,537.78	120.50	..	1,658.28
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,541.50	(-)49.05	20.50	+ 7,471.95
योग	+ 6,796.33	71.45	20.50	+ 6,847.28

अनुदान संख्या 67—जारी

प्रभारित—

(v) ₹ 16.41 लाख की उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 48,285.63 लाख के कुल व्यय के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 13,919.28 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था वहीं दिसम्बर 2015 में ₹ 343.00 लाख तथा मार्च 2016 ₹ 200.00 लाख में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(vii) ₹ 12,565.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया केवल ₹ 1.00 लाख की अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4059—01—051—1001—अतिरिक्त

केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

6333—भू—राजस्व कार्यालय भवन 2,000.00 1,662.93 (-)337.07

अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059—01—051—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—

5558—जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण

पूरक 200.00 200.00 .. (-)200.00

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 4059—01—051—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

2450—न्याय प्रशासन 3,000.00 1,826.97 (-)1,173.03

(4) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2629—पुलिस 1,500.00 1,227.65 (-)272.35

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2716—प्रशासन अकादमी— 260.00 (-)43.56

मूल 260.00

पूरक 234.56

पुनर्विनियोजन 150.00 344.56 301.00 (-)43.56

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3755—राष्ट्रीय सैन्य दल 400.00 305.48 (-)94.52

बचत के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3855—लोक निर्माण कार्य भवन—

मूल 3,240.00

पूरक 200.00

पुनर्विनियोजन 1,170.00 2,270.00 1,362.54 (-)907.46

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,170.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(8) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4606—स्टाम्प एवं पंजीयन	456.00	216.62	(—)239.38
(9) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5049—राज्य विधानसभा— मूल 100.00 पूरक (—)100.00	200.00	73.00	(—)127.00
(10) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5600—परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण 600.00	600.00	366.79	(—)233.21
(11) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6333—भू—राजस्व कार्यालय भवन 3,800.00	3,800.00	2,691.44	(—)1,108.56
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (11) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7274—लोक अभियोजन— मूल 255.00 पुनर्वि. (—)40.00	215.00	33.38	(—)181.62
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 40.00 लाख के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 एवं 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8036—आबकारी विभाग 100.00 .. (—)100.00	100.00	..	(—)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(14) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8040—ज़ेल भवनों का निर्माण मूल 1,483.00 पूरक 230.00 1,713.00 661.93 (—)1,051.07	1,713.00	661.93	(—)1,051.07
(15) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण 2,095.00 1,839.09 (—)255.91	2,095.00	1,839.09	(—)255.91
(16) 4202—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 515—इन्जीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान, भवनों का निर्माण 1,800.00 1,488.69 (—)311.31	1,800.00	1,488.69	(—)311.31
उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2006—07 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 4202—03—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि— मूल 3,052.00 पूरक 1,853.20 पुनर्वि. (—)2,600.00 2,305.20 2,198.78 (—)106.42	2,305.20	2,198.78	(—)106.42
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,600.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(18) 4202—03—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5908—खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण	1,000.00	354.93	(—)645.07
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 4202—03—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8984—यूथ हॉस्टल	100.00	..	(—)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण (मूलभूत सेवाओं के लिए)	300.00	98.93	(—)201.07
(21) 4210—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण— मूल 100.00 पूरक 325.00	425.00	125.02	(—)299.98
उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005—06 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009—10 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(22) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 300.00 पुनर्वि. (—)100.00	200.00	..	(—)200.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से 100.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 5,000.00 पूरक 4,000.00	9,000.00	7,874.69	(—)1,125.31
अत्यधिक राशि के बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(24) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3125—भू—राजस्व	200.00	..	(—)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5640—उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण— मूल 700.00 पूरक 256.37	956.37	59.77	(—)896.60
₹ 256.37 लाख की अत्यधिक बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(26) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5918—सामान्य प्रशासन विभाग— मूल 300.00 पूरक 159.00	459.00	..	(—)459.00
---	--------	----	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6222—न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)	200.00	36.00	(—)164.00
---	--------	-------	-----------

(28) 4235—02—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7446—समाज कल्याण संस्थाओं का शेड योजना एकीकृत परिसर (माना केम्प)	150.00	52.24	(—)97.76
--	--------	-------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 4250—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8935—लाइवलीहुड कॉलेज— मूल 325.00 पुनर्वि. (—)100.00	225.00	..	(—)225.00
---	--------	----	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(30) 4405—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3321—मत्त्यालय	100.00	..	(—)100.00
--	--------	----	-----------

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्नांतर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1481—जिला प्रशासन— मूल 10.00 पुनर्वि. 100.00	110.00	87.03	(—)22.97
--	--------	-------	----------

(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 250.00 पूरक 106.14 पुनर्वि. 100.00	456.14	441.67	(—)14.47
---	--------	--------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन लम्बित दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(3) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण—			
मूल	6,800.00		
पूरक	6,225.00		
पुनर्वि.	1,600.00	14,625.00	14,364.24
			(—)260.76

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,600.00 लाख का आवर्धन लम्बित दायित्वों का भुगतान एवं निर्माण कार्य का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5086—महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	2,000.00	3,000.00	2,847.80
			(—)152.20

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन लम्बित दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(5) 4250—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 976—ओ.प्र.स. कार्यालय भवनों का निर्माण—			
मूल	3,695.00		
पुनर्वि.	100.00	3,795.00	3,782.05
			(—)12.95

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख का आवर्धन लम्बित ऋणों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

**अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

- 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत :

मूल	19,64,377			
पूरक	92,400	20,56,777	18,48,068	(—)2,08,709
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				

पूंजीगत :

- (i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 924.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।
- (ii) ₹ 2,087.08 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4059—01—796—051—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6333—भू—राजस्व कार्यालय—

भवन—

मूल 2,500.00

पूरक (—)500.00

2,000.00

1,999.14

(—)0.86

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2010—11 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4059—01—796—051—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3855—लोक निर्माण भवन

150.00

86.67

(—)63.33

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4059—01—796—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5407—कोषालय / उपकोषालय वित्त विभाग

से संबंधित भवनों का निर्माण—

पूरक

72.00

72.00

..

(—)72.00

₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(4) 4202—01—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण—			
मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)300.00	2,200.00	2,163.14	(-)36.86
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4202—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण—			
मूल 1,525.00 पुनर्वि. (-)800.00	725.00	346.21	(-)378.79
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 800.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई।			
(6) 4202—03—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि—			
मूल 60.00 पूरक 25.00	85.00	..	(-)85.00
सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4210—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण—			
मूल 100.00 पूरक 200.00	300.00	189.29	(-)110.71
(8) 4210—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण—			
मूल 200.00 पूरक 345.00	545.00	221.95	(-)323.05
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010—11 से 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 4210—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण—			
मूल 150.00 पूरक 70.00	220.00	159.56	(-)60.44
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4216—01—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5918—सामान्य प्रशासन विभाग—			
पूरक 212.00 पुनर्वि. (-)100.00	112.00	..	(-)112.00

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(11) 4250—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8935—लाइवलीहुड कालेज— मूल 325.00 पुनर्वि. (—)50.00	275.00	..	(—)275.00
---	--------	----	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(12) 4250—796—203—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 976—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 3,483.77 पुनर्वि. (—)900.00	2,583.77	2,537.69	(—)46.08
---	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 900.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 4210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 395—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण— मूल 200.00 पुनर्वि. 100.00	300.00	297.11	(—)2.89

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4220—शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 3,600.00 पुनर्वि. 1,000.00	4,600.00	4,660.65	+60.65
---	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 4225—02—796—277—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5093—शिक्षक आवास गृह अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।	10.00	202.95	+192.95
---	-------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,500.00 लाख का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

राजस्व

मूल	48,45,820		
पूरक	सांकेतिक	48,45,820	13,90,367
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)34,55,453
(31 मार्च 2016)			34,55,453

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक
	अनुदान	व्यय
		(₹ लाख में)

(1) 2217—05—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7681—वाटर ए.टी.एम.

की स्थापना—

मूल	840.00
पुनर्वि.	(—)840.00

(2) 2217—05—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7681—वाटर ए.टी.एम.

की स्थापना—

मूल	616.00
पुनर्वि.	(—)616.00

(3) 2217—05—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7681—वाटर ए.टी.एम.

की स्थापना—

मूल	791.00
पुनर्वि.	(—)791.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 840.00 लाख, ₹ 616.00 लाख एवं ₹ 791.00 लाख का प्रत्याहरण परियोजना आधिकारी से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(4) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7404—आपदा प्रबंधन

कार्यक्रम—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(—)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

(5) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत

अभियान—

मूल	3,700.00	
पुनर्वि.	(—)2,355.02	1,344.98
		1,344.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,355.02 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिकर्य+
बचत(—)

(6) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7685—स्मार्ट सिटी—
 मूल 17,000.00
 पुनर्वि. (—)16,600.00

400.00 400.00 ..

भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्ति नहीं होने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 2,976.40 लाख की कमी एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 8,846.50 लाख) एवं भारत से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹ 225.00 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,623.60 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 16,600.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष ₹ 4,552.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(7) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7686—सरदार पटेल
 शहरी आवास—
 मूल 11,920.00
 पुनर्वि. (—)11,555.89

364.11 364.11 ..

कोषालय द्वारा देयकों के पारित नहीं होने के कारण समर्पण द्वारा ₹ 8,524.41 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,031.48 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 11,555.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं (जुलाई 2016)।

(8) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8996—राष्ट्रीय शहरी
 आजीविका मिशन—
 मूल 2,288.00
 पुनर्वि. (—)1,146.37

1,141.63 1,141.63 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,146.37 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2217-80-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7682—सार्वजनिक शौचालयों
 का निर्माण—
 मूल 1,657.50
 पुनर्वि. (—)1,657.50

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,657.50 लाख का प्रत्याहरण परियोजना आधिकारी से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(10) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7404—आपदा प्रबंधन
 कार्यक्रम—
 मूल 300.00
 पुनर्वि. (—)300.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 300.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।

(11) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत
 अभियान—
 मूल 2,600.00
 पुनर्वि. (—)1,032.90

1,567.10 1,567.10 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,032.90 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(12) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन—	मूल 412.00 पुनर्वि. (-)206.00	206.00	206.00
--------------------------------------	----------------------------------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 2217-80-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7682—सार्वजनिक शौचालायों का निर्माण—	मूल 1,430.00 पुनर्वि. (-)1,430.00
---	--------------------------------------	----	----

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,430.00 लाख का प्रत्याहरण परियोजना आधिकारी से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(14) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7404—आपदा प्रबंधन कार्यक्रम—	मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00
---------------------------------	----------------------------------	----	----

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(15) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत अभियान—	मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,376.38	623.62	623.62
-----------------------------	--------------------------------------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,376.38 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(16) 2217-80-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7682—सार्वजनिक शौचालायों का निर्माण—	मूल 1,101.75 पुनर्वि. (-)1,101.75
---	--------------------------------------	----	----

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,101.75 लाख का प्रत्याहरण परियोजना आधिकारी से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—	6741—नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन—	मूल 0.10 पुनर्वि. 4,583.35	4,583.45

अनुदान संख्या 69—समाप्त

समर्पण द्वारा ₹ 0.05 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,583.40 लाख वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,583.35 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। ₹ 31.30 लाख की वृद्धि, केन्द्रांश की राशि वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। शेष ₹ 4,552.10 लाख की वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही ₹ 0.05 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

- (2) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-

6808—लघु एवं मध्यम नगरों

की अधोसंरचना

विकास योजना—

मूल 0.10

पुनर्विं. 3,000.08

अन्त विकास से अन्त विशेषज्ञता से

मारत सरकार से प्राप्त स्थायीकृत क अनुसार व्यव किए जान के कारण समय द्वारा ₹ 0.10 लाख का कमा दें पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.18 लाख वृद्धि के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,000.08 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया, जिसके पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

- (3) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवातित योजना (सामान्य)-

7706—अमृत मिशन—

पूरक साकोतेक

पुनावे. 225.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 225.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण के उल्लिखित किया गया है।

**अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

3275—अन्य दूरसंचार सेवायें

राजस्व :

मूल	7,77,261			
पूरक	5,58,500	13,35,761	10,71,606	(—)2,64,155
वर्ष के दौरान अभ्यर्थित राशि				2,64,155
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 5,344.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक था, जबकि दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 240.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6818—स्वान परियोजना—			
मूल	1,120.00		
पुनर्वि.	(—)181.11	938.89	658.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 181.11 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6924—सामान्य सेवा केन्द्रीय परियोजना—

मूल	101.00		
पुनर्वि.	(—)101.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 101.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7270—ई—जिला परियोजना—

मूल	100.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(—)199.90	0.10	0.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7276—स्टेट डाटा सेंटर

की स्थापना—

पूरक	550.00		
पुनर्वि.	(—)143.00	407.00	407.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(5) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7278—राज्य में कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम—	मूल 310.00 पुनर्वि. (—)310.00	..	(₹ लाख में)
(6) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7482—सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई—गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान—	मूल 105.60 पुनर्वि. (—)105.60
(7) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7646—डिजिटल इंडिया (छत्तीसगढ़)—	मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 310.00 लाख, ₹ 105.60 लाख एवं ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 3275—800—0101—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6818—स्वान परियोजना—	पूरक 1,600.00 पुनर्वि. (—)658.89	941.11	941.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 658.89 लाख की कमी के पर्याप्त कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(9) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6894—डिजीटल शासन की स्थापना—	मूल 200.00 पुनर्वि. (—)100.00	100.00	100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7647—मोबाइल गवर्नेंस—	मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00
(11) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7648—सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए आई.टी.टॉवर की स्थापना—	मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(12) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7649—‘आधार’ पर आधारित भू—अभिलेख— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00			
(13) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7650—एकीकृत स्मार्ट कार्ड योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00			
(14) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7651—विभागों के लिए बिंग डेटा एनालिसिस— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00			
(15) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8546—मुख्यमंत्री डैश बोर्ड योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)62.04 137.96 137.96			
(16) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8726—छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना— पूरक 300.00 पुनर्वि. (—)80.00 220.00 220.00			
(17) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8953—मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा तथा जी.आई.एस. एप्लीकेशन— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः प्रत्येक ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण चालु वित्तीय वर्ष के दौरान योजना का निष्पादन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8546—मुख्यमंत्री डैश			
बोर्ड योजना—			
मूल 200.00			
पुनर्वि. (—)62.04	137.96	137.96

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.04 लाख की कमी के पर्याप्त के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं
(जुलाई 2016)

(16) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8726—छत्तीसगढ़ इन्फोटेक			
प्रमोशन सोसायटी			
की स्थापना—			
पूरक 300.00			
पुनर्वि. (—)80.00	220.00	220.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.00 लाख की कमी राशि जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(17) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8953—मानव संसाधन,			
वित्त एवं लेखा तथा			
जी.आई.एस.			
एप्लीकेशन—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (—)100.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 100.00 लाख का प्रत्याहरण चालु वित्तीय वर्ष के दौरान योजना का निष्पादन नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8913—लेपटॉप/टेबलेट का

निशुल्क प्रदाय—

मूल 1,800.00

पूरक 2,185.00

3,985.00

4,265.00

+280.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय

आधिक्य+
बचत(—)

(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत:

मूल	40,15,000	28,52,669	(—)11,62,331
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			11,80,121
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 11,623.31 लाख की आंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 11,801.21 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
	अनुदान	व्यय	
		(₹ लाख में)	

(1) 4700—02—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना			
निर्माण कार्य (नाबाड़)—			
मूल	8,110.00		
पुनर्वि.	(—)5,265.04	2,844.96	2,844.96
			..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,265.04 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4700—04—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना			
निर्माण कार्य (नाबाड़)—			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(—)180.00		
			..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 180.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 4700—07—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना			
निर्माण कार्य (नाबाड़)—			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(—)802.53	397.47	397.47
			..

(4) 4700—12—800—0313—नाबाड़ पोषित योजनाएं

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
5516—वृहद सिंचाई परियोजना			
निर्माण कार्य (नाबाड़)—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(—)622.45	1,377.55	1,377.55
			..

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(-)
(5) 4700-12-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	13,700.00		
प्राप्ति	() 2,501.22	11,198.67	11,289.80

(6) 4701-06-800-0311—चाहार्ड पोषित योजनापं (सामाज्य)—

५१८८—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)—	मूल 600.00 पनर्वि. (-)100.02	499.98	382.57	(-)117.41
---	---------------------------------	--------	--------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 802.53 लाख, ₹ 622.45 लाख, ₹ 2,501.33 लाख एवं ₹ 100.02 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2014–15 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4701-12-800-0311-नाबाड्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

5188—मध्यम सिंचाई परियोजना
निर्माण कार्य (नाबाड)–
मूल 200.00
पुनर्वि. (-)200.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 4702-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

मूल	5,800.00			
पुनर्वि.	(-)3,798.06	2,001.94	2,002.81	(-)0.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,798.06 लाख की कमी मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग द्वारा आबंटित निधि के तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही की आयोजना मद में कटौती किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008–09 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षन्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4700-03-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना				
निर्माण कार्य (नाबाड़)—				
मूल	500.00			
पुनर्वि.	498.80	998.80	998.80	..

निर्माण कार्य के भुगतान हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.20 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 498.80 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया, जिसके कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 75—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान		व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(2) 4700—05—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—			
5516—वृहद सिंचाई परियोजना			
निर्माण कार्य (नाबाड़)—			
मूल 2,810.00			
पुनर्वि. 994.23	3,804.23	3,803.12	(-)1.11

निर्माण कार्य के भुगतान हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 5.77 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 994.23 लाख का आवधन उल्लिखित किया गया है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 4701—01—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)—
5188—मध्यम सिंचाई परियोजना

निर्माण कार्य (नाबाड़)—
मूल 100.00
पुनर्वि. (-)94.91
5.09 122.51 +117.42

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.91 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 4702—101—0312—नाबाड़ पोषित योजनाएं—
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)

5189—लघु सिंचाई योजना
निर्माण कार्य (नाबाड़)—
मूल 4,600.00
पुनर्वि. 290.10 4,890.10 4,975.85 +85.75

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 751.00 लाख की वृद्धि वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 460.90 लाख की कमी वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 290.10 लाख का आवधन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

5054—सङ्कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत	30,00,000	29,64,743	(—)35,257
---------	-----------	-----------	-----------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) ₹ 352.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड

डेवलपमेन्ट सेक्टर

प्रोजेक्ट—फेज-II

मूल 11,400.00

पुनर्वि. (—)8,100.00

3,300.00

3,163.69

(—)136.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त

परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट

सेक्टर प्रोजेक्ट—फेज-II

मूल 6,100.00

पुनर्वि. 1,700.00

7,800.00

6,271.40

(—)1,528.60

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,700.00 लाख का आवधन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 5054—03—337—1201—विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड

डेवलपमेन्ट सेक्टर

प्रोजेक्ट—फेज-II

मूल 12,500.00

पुनर्वि. (—)6,400.00

18,900.00

20,212.33

+1,312.33

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,400.00 लाख का आवधन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2071—पेंशन और सेवा निवृति लाभ

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	36,64,560			
पूरक	2,26,678	38,91,238	32,31,218	(-)6,60,020
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,89,904
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित	420	..	(-)420
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			110

(31 मार्च 2016)

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	12,30,100			
पूरक	1,62,900	13,93,000	5,30,962	(-)8,62,038
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,62,038
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 1,244.16 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 1,022.62 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,266.77 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 6,600.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 4,899.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2071—01—800—5499—सेवा निवृत कर्मचारियों

को चिकित्सा सुविधा—

मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)57.47	242.53	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.47 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। इस तरह सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीषान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2210—01—110—1353—चिकित्सा महाविद्यालय

तथा संबद्ध चिकित्सालय—

मूल	6,903.90		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)957.82	5,946.08	5,883.99

(-)62.09

अनुदान संख्या 79—जारी

सिरिज, एक्स—रे फ़िल्म इत्यादी के क्रय किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 857.82 लाख की अन्य कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 957.82 लाख की कमी उल्लिखित की गई है, जिसके कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2006—07 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8938—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव से सम्बद्ध चिकित्सालय—	मूल पुनर्वि. पुनर्वि.	500.00 (—)198.01	301.99	334.64	+32.64
--	-----------------------------	---------------------	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा 73.51 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 124.51 लाख की अन्य कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 198.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कमियों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 2210—02—101—4194—शासकीय आयुर्वेदिक

फार्मसी एण्ड डिपो—	मुल पुनर्वि. पुनर्वि.	474.70 (—)122.49	352.21	259.28	(—)92.92
--------------------	-----------------------------	---------------------	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.49 लाख की कमी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को 40 प्रतिशत स्थानान्तरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2210—02—101—460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय

और औषधालय—	मुल पुनर्वि. पुनर्वि.	936.30 (—)55.87	880.43	682.71	(—)197.72
------------	-----------------------------	--------------------	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 55.87 लाख की कमी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को 40 प्रतिशत स्थानान्तरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2008—09 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2210—02—101—461—आयुर्वेदिक प्रशासन का

सुदृढीकरण	670.40	497.36	(—)173.04
-----------	--------	--------	-----------

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012—13 से 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2210—02—101—7511—आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय—

मुल पुनर्वि. पुनर्वि.	476.90 (—)31.05	445.85	314.76	(—)131.09
-----------------------------	--------------------	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 31.05 लाख की कमी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को 40 प्रतिशत स्थानान्तरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2210—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7503—आयुष संस्थाओं का उन्नयन—	मूल पूरक	63.40 1,654.12	1,717.52	1,540.16	(—)177.36
-------------------------------	-------------	-------------------	----------	----------	-----------

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(9) 2210—04—101—460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय

और औषधालय—

मूल	7,529.10		
पुनर्वि.	(-)302.10	7,227.00	6,381.02

(—)845.98

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.10 लाख की कमी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को 40 प्रतिशत स्थानान्तरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2210—04—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय

और औषधालय—

मूल	613.50		
पुनर्वि.	(-)240.00	373.50	316.81

(—)56.69

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.00 लाख की कमी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को 40 प्रतिशत स्थानान्तरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2210—04—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7240—आयुर्वेदिक ग्राम	500.00	354.04	(—)145.96
-----------------------	--------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(12) 2210—05—101—469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय—

मूल	1,573.40		
पुनर्वि.	(-)1.80	1,571.60	980.82

(—)590.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.80 लाख की कमी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को 40 प्रतिशत स्थानान्तरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक राशि की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2210—05—105—1352—चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर—

मूल	4,486.70		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)634.00	3,952.70	3,950.02

(—)2.68

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 634.00 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(14) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1915—दंत महाविद्यालय—

मूल	1,861.60		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)348.02	1,513.58	1,510.33

(—)3.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 348.02 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(15) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6996—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़—

मूल	1,600.00		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-)219.86	1,680.14	1,850.26

+170.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 219.86 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव—			
मूल 1,200.00			
पूरक 200.00			
पुनर्वि. (—)630.31	769.69	1,196.64	+426.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 630.31 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2210—06—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण—			
मूल 1,130.60			
पुनर्वि. (—)603.39	527.21	535.85	+8.64
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 603.39 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009—10 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2210—06—112—7279—चिकित्सा महाविद्यालय—			
मूल 400.00			
पुनर्वि. (—)100.00	300.00	300.00	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर—			
मूल 472.30			
पुनर्वि. (—)69.62	402.68	925.58	+522.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 69.62 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1352—चिकित्सा महाविद्यालय—			
मूल 876.90			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. (—)26.22	850.68	928.62	+77.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 26.22 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
प्रभारित—			
(v) ₹ 4.20 लाख की उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 1.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।			

अनुदान संख्या 79—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से अत्यन्त कम रहा, जुलाई 2015 (₹ 1,129.00 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 500.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,629.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध

चिकित्सालय रायपुर—

मूल	525.00
पुनर्वि.	(—)525.00

(2) 4210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध

चिकित्सालय, रायगढ़—

मूल	500.00
पुनर्वि.	(—)500.00

(3) 4210—03—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव—

मूल	6,900.00
पुनर्वि.	(—)6,900.00

(4) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8897—सिक्कल सेल इन्स्टीट्यूट की स्थापना—

मूल	500.00
पुनर्वि.	(—)500.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 525.00 लाख, ₹ 500.00 लाख, ₹ 6,900.00 लाख एवं ₹ 500.00 लाख का प्रत्याहरण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(5) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8939—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव—

मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(—)361.59	1,138.41	1,138.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.59 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7719—सुपर स्पेशियलिटी

चिकित्सालय, रायपुर—

पूरक	सांकेतिक
पुनर्वि.	207.86

	207.86
	207.86

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 207.86 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 80—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹1,041.26 लाख एवं ₹ 865.36 लाख की कमी वास्तविक दर्ज संख्या से कम उपस्थिति होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2005–06 से 2014–15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007–08 से 2014–15 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(3) 2202–01–197–8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 55,000.00			
पुनर्वि. (–)1,847.37	53,152.63	53,466.07	+313.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,847.37 लाख की कमी सी.ई.ओ., जिला पंचायत द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202–01–197–0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 35,000.00			
पूरक 17.77			
पुनर्वि. (–)635.12	34,382.65	34,047.00	(–)335.65
(5) 2202–02–196–8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 25,000.00			
पुनर्वि. (–)6,754.40	18,245.60	18,503.97	+258.37
(6) 2202–02–196–0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 18,000.00			
पुनर्वि. (–)3,525.20	14,474.80	14,140.53	(–)334.27
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 635.12 लाख, ₹ 6,754.40 लाख एवं ₹ 3,525.20 लाख की कमी सी.ई.ओ., जिला पंचायत द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2235–60–198–4858—इन्दिरा सहाया योजना	7,770.00	7,032.18	(–)737.82
(8) 2235–60–198–9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	28,900.00	25,228.46	(–)3,671.54
(9) 2235–60–198–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1,000.00	880.75	(–)119.25
(10) 2235–60–198–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावरथा पेंशन	7,860.00	7,603.68	(–)256.32

अनुदान संख्या 80—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2012–13 एवं 2014–15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014–15 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
	(₹ लाख में)		

(11) 2405–101–0701—केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)–			
मूल	167.00		
पुनर्वि.	(–)6.60	160.40	4.67
			(–)155.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.60 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(12) 2405–101–0701—केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8947—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
(एन.एम.पी.एस.)			
मूल	133.00		
पुनर्वि.	(–)133.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 133.00 लाख का प्रत्याहरण भारत सरकार द्वारा योजना बंद किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 2515–196—5847—जिला पंचायतों को

सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान—			
मूल	560.00		
पूरक	162.00		
पुनर्वि.	(–)181.20	540.80	540.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 181.20 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक गणना के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(14) 2515–198—5848—जिला पंचायतों को

मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान			
पूरक	30,000.00		
पुनर्वि.	(–)2,705.83	27,294.17	27,344.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,705.83 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(15) 2515–198—7691—पंचायतों की

आस्तियों का संधारण—			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(–)2,500.00		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,500.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(16) 2515–198—8209—पंचायत पदाधिकारियों

को मानदेय एवं सुविधायें—			
मूल	6,120.00		
पुनर्वि.	(–)86.63	6,033.37	6,033.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.63 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(17) 2515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)568.85 1,931.15 2,083.80 +152.65			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 568.85 लाख की कमी आंशिक रूप से कोषालय से राशि आहरित किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(18) 2515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7690—ई—पंचायत— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)348.76 151.24 160.68 +9.60			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 568.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(19) 2853—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 13,640.00 पुनर्वि. (-)12,137.80 1,502.19 1,692.58 +190.39			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,137.80 लाख की कमी वित्त विभाग से देय समय पर राशि आहरित करने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2007—08 से 2014—15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(20) 3604—197—0480—पंचायत, भू—राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि— 4610—स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,588.53 3,411.17 3,377.25 (-)34.22			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,588.53 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7336—इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 1,836.00 1,950.40 +114.40			
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			

पूँजीगत :

(v) ₹ 8,304.36 लाख के अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 8,570.24 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 80—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 4515—196—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (—)644.68	555.32	654.49	+99.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 644.68 लाख की कमी आंशिक रूप से कोषालय से राशि आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(2) 4515—197—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना— मूल 900.00 पुनर्वि. (—)900.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 900.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(3) 4515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7688—तीन हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में लघु स्टेडियमों का निर्माण— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (—)187.19	2,112.81	2,118.35	+5.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.19 लाख की कमी आंशिक रूप से कोषालय से राशि आहरित किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(4) 4515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 8555—छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण— मूल 5,200.00 पुनर्वि. (—)432.17	4,767.83	4,455.24	(—)312.59
(5) 4515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 8986—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना— मूल 25,000.00 पुनर्वि. (—)6,392.41	18,607.59	19,081.34	+473.75

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 432.17 लाख एवं ₹ 6,392.41 लाख की कमी कोषालय से राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2217—शहरी विकास
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2853—अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
- 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
- 4217—शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय
- 6217—शहरी विकास के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,52,58,855			
पूरक	सांकेतिक	1,52,58,855	1,22,45,817	(—)30,13,038
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				27,22,440
(31 मार्च 2016)				

प्रभारित—

मूल	6,20,000			
पूरक	70,000	6,90,000	6,54,410	(—)35,590
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				35,590
(31 मार्च 2016)				

पूँजीगत :

दत्तमत		40,75,000	10,89,567	(—)29,85,433
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				29,93,433
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 30,130.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया केवल ₹ 27,224.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 2202—01—192—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	4,200.00		
पुनर्वि.	(—)516.09	3,683.91	3,652.43
(—)31.48			
(2) 2202—01—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	3,900.00		
पुनर्वि.	(—)430.78	3,469.22	3,329.04
(—)140.18			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202—02—192—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 2,800.00			
पुनर्वि. (-)61.34	2,738.66	2,525.64	(-)213.02
(4) 2202—02—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 2,200.00			
पुनर्वि. (-)285.57	1,914.43	1,808.72	(-)105.71
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 516.09 लाख, ₹ 430.78 लाख, ₹ 61.34 लाख एवं ₹ 285.57 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा मांग के अनुसार निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011—12 से 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014—15 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217—05—191—7675—चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल 8,719.60			
पुनर्वि. (-)3,769.14	4,950.46	7,956.16	+3,005.70
प्रावधान से ₹ 3,769.14 लाख की कमी, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,005.70 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 763.44 लाख की अन्य कमी का संयुक्त प्रभाव या दोनों कमीयों के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(6) 2217—05—191—1101—वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान (सामान्य)—7260—नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान—			
मूल 2,657.45			
पुनर्वि. (-)925.00	1,732.45	1,732.45	..
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 925.00 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2217—05—191—1101—वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान (सामान्य)—8934—शहरी क्षेत्र में महिला शौचालय का निर्माण—			
मूल 330.00			
पुनर्वि. (-)330.00
(8) 2217—05—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—			
मूल 3,200.00			
पुनर्वि. (-)3,200.00
(9) 2217—05—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—8443—भागीरथी नल जल योजना—			
मूल 951.40			
पुनर्वि. (-)951.40

अनुदान संख्या 81—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 330.00 लाख, ₹ 3,200.00 लाख एवं ₹ 951.40 लाख का प्रत्याहरण जिला पंचायतों द्वारा मांग के अनुसार निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012–13 से 2014–15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2014–15 के दौरान क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
	(₹ लाख में)		

(10) 2217–05–192–1101—वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)—

7260— नगरीय निकायों कों			
मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान—			
मूल 972.25			
पुनर्वि. (–)834.88	137.37	137.37	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 834.88 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2217–05–192–1101—वित्त आयोग की अनुशंसा

के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)—			
8934—शहरी क्षेत्र में महिला			
शौचालय का निर्माण—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (–)100.00

(12) 2217–05–192–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—			
मूल 250.00			
पुनर्वि. (–)250.00

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण जिला पंचायत द्वारा मांग अनुसार निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(13) 2217–05–192–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7643—मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना—			
मूल 300.00			
पुनर्वि. (–)180.00	120.00	120.00	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(14) 2217–05–193–1101—वित्त आयोग की अनुशंसा

के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)—			
7260— नगरीय निकायों कों			
मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान—			
मूल 795.40			
पुनर्वि. (–)659.37	136.03	136.03	..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 659.37 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2217–05–193–1101—वित्त आयोग की अनुशंसा

के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)—			
8934—शहरी क्षेत्र में महिला			
शौचालय का निर्माण—			
मूल 100.00			
पुनर्वि. (–)100.00

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(−) (₹ लाख में)
(16) 2217—05—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ— मूल 250.00 पुनर्वि. (−)250.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख का प्रत्याहरण जिला पंचायतों द्वारा मांग अनुसार निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(17) 2217—05—193—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7643—मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (−)240.00	160.00	160.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(18) 2235—60—191—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,870.00	2,142.56	(−)727.44
(19) 2235—60—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	600.00	379.20	(−)220.80
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013—14 एवं 2014—15 के दौरान भी क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2235—60—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7589—नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायो-मीट्रिक पद्धति से भुगतान अनुदान	500.00	..	(−)500.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(21) 2235—60—192—4858—इंदिरा सहारा योजना	652.00	526.70	(−)125.30
(22) 2235—60—192—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,500.00	1,261.75	(−)238.25
(23) 2235—60—193—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,900.00	1,388.96	(−)511.04
(24) 2235—60—193—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	654.00	542.95	(−)111.05
उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (24) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 3604—191—8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान— मूल 56,571.00 पुनर्वि. (−)14,021.20	42,549.80	42,549.80	..

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 3604—192—8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान— मूल 20,264.00 पुनर्वि. (-)2,776.63 17,487.37 17,487.37 ..			

उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 14,021.20 लाख एवं ₹ 2,776.63 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014—15 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 3604—193—7306—सामान्य उद्दश्यीय अनुदान— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00 ..

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(28) 3604—193—8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान— मूल 16,763.00 पुनर्वि. (-)83.70 16,679.30 16,679.30 ..

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 83.70 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2235—60—193—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	120.00	210.75	+90.75
------------------------------------	--------	--------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

प्रभारित

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

3604—193—4035—विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय

निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ

दण्ड तथा अन्य प्राप्तियाँ—

मूल 1,110.00	पूरक 150.00	विनियोग 904.10	वास्तविक व्यय 904.10 ..
--------------	-------------	----------------	-------------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.90 लाख की कमी जिला पंचायतों द्वारा मांग के अनुसार निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 29,854.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 29,934.33 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 81—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4217-60-191-1101—वित्त आयोग की अनुशंसा

के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)—

7241—नगरीय निकायों का

अधोसंरचना विकास—

मूल 23,020.00

पुनर्वि. (—)14,314.79

8,705.21

8,705.21

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,314.79 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4217-60-192-1101—वित्त आयोग की अनुशंसा

के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)—

7241—नगरीय निकायों का

अधोसंरचना विकास—

मूल 7,074.00

पुनर्वि. (—)6,347.57

726.43

806.43

+80.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,347.57 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(3) 4217-60-193-1101—वित्त आयोग की अनुशंसा

के अन्तर्गत अनुदान (सामान्य)—

7241—नगरीय निकायों का

अधोसंरचना विकास—

मूल 3,006.00

पुनर्वि. (—)1,621.97

1,384.03

1,384.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,621.97 लाख की कमी कोषालय से देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 6217-60-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल 7,250.00

पुनर्वि. (—)7,250.00

(5) 6217-60-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल 200.00

पुनर्वि. (—)200.00

(6) 6217-60-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—

मूल 200.00

पुनर्वि. (—)200.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 7,250.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 200.00 लाख का प्रत्याहरण जिला पंचायतों द्वारा राशि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 से 2014-15 के दौरान भी क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जलपूर्ति तथा सफाई

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236—पोषण

2403—पशु—पालन

2405—मछली—पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ

2853—अलोह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग

4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	1,39,65,367	1,13,94,955	(—)25,70,412
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			40,71,670
(31 मार्च 2016)			

पूंजीगत	26,22,700	23,26,754	(—)2,95,946
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,54,279
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 25,704.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 40,716.70 लाख का अभ्यपर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
			(₹ लाख में)

(1) 2202—01—796—197—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5169—विद्यालयों में मध्यान्ह

भोजन कार्यक्रम—

मूल 15,000.00

पुनर्वि. (—)8,014.04

6,985.96

10,745.59

+3,759.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,014.04 लाख की कमी जिलों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—01—796—197—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों

में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—

मूल 10,000.00

पुनर्वि. (—)5,188.73

4,811.27

7,242.56

+2,431.29

अनुदान संख्या 82—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,188.73 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2009–10 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(3) 2202—01—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2949—बालिकाओं का गणवेश—			
मूल 4,200.00			
पुनर्वि. (–)3,537.37	662.63	659.82	(–)2.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,537.37 लाख की कमी जिलों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202—01—796—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 60,000.00			
पुनर्वि. (–)9,901.29	50,098.71	56,225.99	+6,127.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,901.29 लाख की कमी जिलों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।			
(5) 2202—02—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 30,000.00			
पुनर्वि. (–)6,720.96	23,279.04	25,863.35	+2,584.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,720.96 लाख की कमी जिलों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2011–12 से 2014–15 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	500.00	394.20	(–)105.80
(7) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5,310.00	5,230.10	(–)79.90
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8891—फुलवारी योजना— पूरक 3,000.00			
पुनर्वि. (–)1,042.76	1,957.24	1,939.64	(–)17.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,042.76 लाख की कमी कार्यकारिणी अभिकरण को परिवर्तन किए जाने से आबंटित निधियों का उचित रूप से उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014–15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2515—796—198—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उप योजना)— 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)535.25 1,364.75 1,292.25 (-)72.50			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 535.25 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(10) 2515—796—198—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

7690—ई—पंचायत—

मूल 380.00

पुनर्वि. (-)380.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 380.00 लाख का प्रत्याहरण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2853—02—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त

राजस्व का पंचायतों को अंतरण—

मूल 5,910.00

पुनर्वि. (-)5,309.36 600.64 992.92 +392.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,309.36 लाख की कमी छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग से देय तिथि पर राशि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)। 2014—15 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iii) ₹ 2,959.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को ₹ 2,542.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4515—796—196—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तीकरण योजना—

मूल 912.00

पुनर्वि. (-)489.96 422.04 497.41 +75.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 489.96 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(2) 4515—796—197—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तीकरण योजना—

मूल 684.00

पुनर्वि. (-)684.00

अनुदान संख्या 82—समाप्त

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 684.00 लाख का प्रत्याहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(3) 4515—796—198—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

7688—तीन हजार से अधिक

आबादी वाले ग्रामों में मिनी

स्टेडियम निर्माण—

मूल 1,748.00

पुनर्वि. (-)380.40

1,367.60

1,392.35

+24.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 380.40 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(4) 4515—796—198—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

8986—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण

विकास योजना—

मूल 22,800.00

पुनर्वि. (-)988.43

21,811.57

21,294.78

(-)516.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 988.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

**अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2217—शहरी विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
 4217—शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय

राजस्व:

मूल	4,46,750			
पूरक	458	4,47,208	3,05,761	(—)1,41,447
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,63,574
(31 मार्च 2016)				

पूँजीगत:

मूल	9,10,000	5,30,006	(—)3,79,994
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,71,993
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि कुल व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 4.58 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथा आवश्यक सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,414.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को किया गया ₹ 1,635.74 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(1) 2217—05—796—191—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना —

8543—भागीरथी नल जल योजना—	
मूल	308.58

पुनर्वि. (—)308.58

(2) 2217—05—796—192—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8543—भागीरथी नल जल योजना—	
मूल	160.94

पुनर्वि. (—)160.94

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान क्रमशः ₹ 308.58 लाख एवं ₹ 160.94 लाख का प्रत्याहरण परियोजना हेतु प्राधिकृत अधिकारी से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—05—796—193—1102—राज्य वित्त आयोग की

अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

7260—नगरीय निकायों को मूलभूत	
------------------------------	--

सेवाओं हेतु अनुदान—

मूल	865.15
-----	--------

पुनर्वि. (—)371.00

494.15

494.15

अनुदान संख्या 83—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.00 लाख की कमी कोषालय से देयक की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(4) 2217—05—796—193—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7643—मुख्यमंत्री शहरी			
आजीविका योजना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(—)180.00	120.00	120.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी परियोजना संचालन के प्राधीकारी द्वारा मांग प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2217—05—796—193—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8543—भागीरथी नल			
जल योजना—			
मूल	213.93		
पुनर्वि.	(—)213.93		

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 213.93 लाख का प्रत्याहरण परियोजना के संचालन हेतु प्राधिकृत अधिकारी से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 के दौरान भी इन शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—			
5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	228.00	422.66	+194.66

अत्यधिक राशि का आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2853—02—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7611—गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का			
नगरीय निकायों के लिए अंतरण—			
मूल	8.00		
पूरक	4.58		
पुनर्वि.	(—)11.29	1.29	93.20
			+91.91

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11.29 लाख की कमी वित्त विभाग से देय तिथि पर राशि का आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

पूंजीगत:

(v) ₹ 3,799.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2016 को केवल ₹ 3,719.93 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 83—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(1) 4217—60—796—191—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7241—नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास— मूल 5,460.00 पुनर्वि. (-)2,089.09	3,370.91	3,370.91	..
(2) 4217—60—796—192—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7241—नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास— मूल 2,002.00 पुनर्वि. (-)959.97	1,042.03	1,042.03	..
(3) 4217—60—796—193—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7241—नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास— मूल 1,638.00 पुनर्वि. (-)670.87	967.13	887.13	(-)80.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,089.09 लाख, ₹ 959.97 लाख एवं ₹ 670.87 लाख की कमी कोषालय से देयक हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत में अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2016)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट—जारी

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 14 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-) (₹ हजार में)	
08. भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन— पूंजीगत— दत्तमत	4,32,000	..	(-)4,32,000	
10. वन— राजस्व— दत्तमत	2,60,000	1,25,200	(-)1,34,800	
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय— राजस्व— दत्तमत	2,59,500	3,40,450	+80,950	
	पूंजीगत— दत्तमत	10,48,000	13,31,851	+2,83,851
17. सहकारिता— पूंजीगत— दत्तमत	..	7,931	+7,931	
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी— राजस्व— दत्तमत	1,70,000	42,465	(-)1,27,535	
23. जल संसाधन विभाग— राजस्व— दत्तमत	18,12,282	1,335	(-)18,10,947	
	पूंजीगत— दत्तमत	200	3,685	+3,485
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल पूंजीगत— दत्तमत	22,90,000	3,56,576	(-)19,33,424	
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय— पूंजीगत— दत्तमत	15,96,340	8,40,713	(-)7,55,627	
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन— राजस्व— दत्तमत	..	1,79,000	+1,79,000	
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— राजस्व— दत्तमत	1,65,744	1,07,991	(-)57,753	
	पूंजीगत— दत्तमत	7,94,000	5,89,600	(-)2,04,400

परिशिष्ट—समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-) (₹ हजार में)
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय— राजस्व—			
दत्तमत	1,61,70,772	64,92,957	(-)96,77,815
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,000	..	(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना— राजस्व—			
दत्तमत	53,360	35,559	(-)17,801
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,51,451	1,73,746	(-)77,705
67. लोक निर्माण कार्य—भवन— राजस्व—			
दत्तमत	18,28,131	19,57,113	+1,28,982
पूंजीगत—			
दत्तमत	9,44,617	..	(-)9,44,617
80. त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता— राजस्व—			
दत्तमत	5,00,000	3,37,725	(-)1,62,275

योग—			
राजस्व—			
दत्तमत	2,12,19,789	96,19,796	(-)1,15,99,993
पूंजीगत—			
दत्तमत	73,58,608	33,04,102	(-)40,54,506
महायोग—			
राजस्व	2,12,19,789	96,19,796	(-)1,15,99,993
पूंजीगत	73,58,608	33,04,102	(-)40,54,506

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2016
www.cag.gov.in

agchattisgarh@cag.gov.in